राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04] पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का दूसरा दिवस [संख्या: 02

शनिवार,

25 जनवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

रामेश्वर प्रसाद गुर्जर, श्री, पूर्व सदस्य के निधन पर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं इस विधान सभा के पूर्व सदस्य श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर के निधन पर संवेदना व्यक्त करते हुए यह शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व विधायक श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर का जन्म 01 जुलाई, 1939 को विराटनगर तहसील के नौरंगपुरा ग्राम में हुआ। आपने मैट्रिक तथा बी.एस.टी.सी. की शिक्षा प्राप्त की।

श्री रामेश्वर गुर्जर छठी एवं नौवीं राजस्थान विधान सभा में जमवारामगढ़ निर्वाचन क्षेत्र से विधायक निर्वाचित हुए। आप छठी विधान सभा में जनता पार्टी तथा नौवीं विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी के विधायक रहे। विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति तथा आबकारी, सूचना एवं जन-सम्पर्क तथा पशुपालन विभागों की संसदीय परामर्शदात्री समिति के सदस्य रहे।

ग्रामीण क्षेत्र में शिक्षा प्रसार के लिए समर्पित रहे श्री गुर्जर ने ग्रामीणों के सहयोग से स्कूल भवन के निर्माण में अपना योगदान दिया तथा छात्र-छात्राओं को शालाओं तक लाने हेतु विशेष प्रयास किए। सामाजिक कुरीतियों के उन्मूलन के लिए प्रयत्नशील रहे श्री गुर्जर ने कृषकों को शोषण से मुक्ति दिलाने हेतु संघर्ष किया।

श्री रामेश्वर प्रसाद गुर्जर का दिनांक 27 दिसम्बर, 2019 को निधन हो गया।

(श्री अध्यक्ष)

मैं अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोकसंतप्त परिजनों को उनका बिछोह सहन करने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करें।

(तदनंतर सदन द्वारा दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की गयी)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, फलासिया के विधायक की मृत्यु हुए करीब 20-21 दिन हो गये हैं, लेकिन यह कलेक्टर की ड्यूटी है कि यहां विधान सभा को सही समय पर सूचना दे। मेरे कल भी ध्यान में था लेकिन मैंने आपको डिस्टर्ब नहीं किया। आज रामेश्वर जी का आया, लालूदास जी की भी मृत्यु हो चुकी है। आप कलेक्टर से पूछें कि इस तरह सूचना डिले क्यों करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आपकी भावना से सहमत हैं। सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे।

श्री शांति कुमार धारीवाल, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री, जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को सदन की मेज़ पर रखेंगे।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

प्रतिवेदन एवं लेखे

जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-395 के अंतर्गत जयपुर मैट्रो रेल कारपोरेशन लिमिटेड का 10वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 को सदन की मेज़ पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बुलाकीदास कल्ला, ऊर्जा मंत्री, ऊर्जा विभाग के पांच वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज़ पर रखेंगे।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-395 के अंतर्गत निम्नांकित वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखे सदन की मेज़ पर रखता हूं:-

अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19वां प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2018-19

1. अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखे वर्ष 2018-19

राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का चतुर्थ प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2018-19

2. राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2018-19

जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19वां प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2018-19

3. जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा विवरण वर्ष 2018-19

राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

4. राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड का चतुर्थ वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19 वां प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

5. जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का 19वां वार्षिक प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

श्री अध्यक्ष: कार्य सलाहकार समिति के प्रतिवेदन का उपस्थापन एवं उस पर विचार। डा. महेश जोशी, सरकारी मुख्य सचेतक, कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करेंगे।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति (क्रम संख्या 11)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 24 जनवरी, 2020 को मध्याह्न पश्चात् 12.40 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020 से सोमवार दिनांक 10 फरवरी, 2020 तक सदन में अग्रेतर लिए जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

शनिवार, दिनांक 25 जनवरी, 2020	1. राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का प्रस्तुतीकरण एवं उसका अनुमोदन 2. संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन। 3. नागरिकता (संशोधन) अधिनियम पर प्रस्तुत शासकीय संकल्प पर विचार एवं पारण।
रविवार, दिनांक 26 जनवरी, 2020 से रविवार, दिनांक 09 फरवरी, 2020 तक	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2020	राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद-विवाद।

अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के ग्यारहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा प्रतिवेदन पर सहमति प्रदान की गयी।

(श्री अध्यक्ष)

विधायी कार्य: पुर:स्थापित किया जाने वाला विधेयक

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020, श्री रघु शर्मा, प्रभारी मंत्री, प्रस्ताव करेंगे।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से डा. सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेद विश्वविद्यालय, जोधपुर (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर वाद-विवाद। डा. राजकुमार शर्मा (विभाजन संख्या-136), सदस्य, विधान सभा धन्यवाद प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट आप विराजें प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): मूल विधेयक 2002 में बना था उसका जिक्र कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: पहले जो सिस्टम है, पुराने बिल का रेफरेंस होता है, वही आता है रेफरेंस, अपने आपको करेक्ट करें। माननीय राजकुमार जी।

अभिभाषण

धन्यवाद प्रस्ताव

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि राज्यपाल महोदय को निम्नांकित रूप में धन्यवाद (समावेदन) प्रस्तुत किया जाए :-

''इस सत्र में एकत्रित हम, राजस्थान विधान के सदस्यगण, राज्यपाल द्वारा इस सदन में दिये गए अभिभाषण के प्रति उनके आभारी हैं।''

श्री अध्यक्ष: श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विभाजन संख्या-20), सदस्य, विधान सभा, प्रस्ताव का अनुमोदन करेंगे।

धन्यवाद प्रस्ताव पर वाद विवाद

श्री इन्द्राज सिंह गुर्जर (विराटनगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से उक्त प्रस्ताव का अनुमोदन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: संविधान संशोधन के अनुसमर्थन ......

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था पहली बार देखी कि प्रस्ताव मूव भी कर दें और उस पर किसी प्रकार की चर्चा न करें। समर्थन भी कर दें और उसके विषय में कुछ बोले भी नहीं, मेरे हिसाब से शायद पहली बार इस सदन की व्यवस्था देख रहे हैं। अगर आपको इतना ही करना आवश्यक था तो दो-चार दिन और चला सकते थे। जिस प्रकार से जनता को आप मैसेज दे रहे हो, क्या देना चाह रहे हो? मेरा विनम्र निवेदन है, या तो यह है कि दुबारा, दुबारा यह न तो उसके प्रस्ताव के समर्थन में भाषण देंगे, न इसके समर्थन में भाषण देंगे, चर्चा उससे आगे चलेगी, तब तो फिर भी समझ में आ सकता है। बाकी केवल प्रस्ताव रख देना और समर्थन कर देना, यह एक तरह से इस अभिभाषण का अपमान है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपकी भावना को समझ रहे हैं। दो पार्ट हैं, प्रस्ताव करना और पारित करना। आज प्रस्ताव रखा है, पारित करने के लिए कार्य सलाहकार समिति में निर्णय किया है, दस तारीख बाद पारित करेंगे। प्रस्ताव रखने में कोई आब्जेक्शन नहीं है। मैंने आपकी भावना समझी है। अच्छा होता कि दोनों चीज साथ होतीं लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, इसे दो भाग में बांटा है। प्रस्ताव रखा है इसलिए प्रस्ताव नियमानुसार है।

(श्री अध्यक्ष)

समर्थन भी नियमानुसार है और पारित करने की भी तारीख है, दस तारीख के बाद करेंगे।

संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री संविधान संशोधन के अनुसमर्थन हेतु संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

शासकीय संकल्प

संविधान (126वां संशोधन) विधेयक, 2019 का अनुसमर्थन

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित संकल्प प्रस्तुत करता हूं:-

"यह सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अंतर्गत आने वाले संशोधनों, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करता है।"

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, इस पर चर्चा लगभग सवा बारह से साढ़े बारह तक समाप्त करेंगे। मैं सबसे पहले निवेदन करूंगा भारतीय जनता पार्टी के श्री राजेन्द्र राठौड़ को, वे अपने विचार व्यक्त करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के संसदीय इतिहास के अन्दर यह पहला अवसर होगा, जब किसी बजट सत्र का आगाज महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा नहीं होकर एक ऐसे संविधान संशोधन के अनुसमर्थन की चर्चा के साथ प्रारम्भ हुआ है, जिस संविधान संशोधन के लिये माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा है कि मैं 126वें संशोधन विधेयक, 2019 के लिये प्रस्तावित करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, यह संविधान संशोधन अपनी संवैधानिक यात्रा पूरी कर चुका है। मुझे सदन को बताते हुए प्रसन्नता भी है, पर सत्तारूढ़ दल के इस रुख पर अफसोस भी है कि शायद मंत्री महोदय, आपको यह मालूम नहीं होगा कि 126वां संविधान संशोधन, एक महत्वपूर्ण संशोधन देश की लोक सभा और देश के विधान मण्डलों में शोषित लोग जो बरसों से जिनको मुख्य धारा

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

में लाने का ध्येय बाबा साहब अम्बेडकर का था, उनको आरक्षण देने का संशोधन, अध्यक्ष महोदय, इसी 21 जनवरी को देश के महामहिम राष्ट्रपति के इस पर हस्ताक्षर हो गये हैं। अध्यक्ष महोदय, इस पर 22 जनवरी को भारत सरकार के गजट नोटिफिकेशन, मैं आपकी अनुमति से गजट नोटिफिकेशन सदन के पटल पर रखना चाहता हूं। यह भारत सरकार का राजपत्र है, यह है मिनिस्ट्री आफ लॉ एण्ड जस्टिस, अध्यक्ष महोदय, इसका नम्बर मैं निवेदन करूं, 22012020-215637, दिनांक 22.01.2020, यानी जो आज प्रस्ताव आप रख रहे हैं, मंत्री महोदय, शायद यह आपकी जानकारी में नहीं है कि आज यह देश का कानून बन चुका है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका होगा, जब देश की कोई विधान सभा संविधान के आर्टिकल-368 (2) (डी) के अन्दर किसी ऐसे प्रस्ताव का अनुमोदन कर रही है जो आज भारत सरकार का कानून है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हम सदन को एक निरर्थक बहस की तरफ बढ़ा रहे हैं और मैं निवेदन इसलिये करना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय ने जिन शब्दों का इस्तेमाल किया है, वे शब्द हैं 'अनुसमर्थन', अब 'अनु' और 'समर्थन' का मतलब क्या हुआ? अध्यक्ष महोदय, 'अनु' का मतलब अनुमोदन और उसके बाद समर्थन। तो क्या भारत सरकार की किसी ऐसी प्रचलित विधि का, क्या ऐसे किसी नियम का, कानून का हम इस वक्त कह सकते हैं कि हम अनुसमर्थन करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान आपकी अनुमति से आर्टिकल-256 की ओर आकर्षित करना चाहूंगा। संविधान का आर्टिकल-256, अध्यक्ष महोदय, हमें यह कहता है कि राज्य की कार्यपालिका, संसद द्वारा बनाई गई विधियां व विद्यमान विधियों को राज्य में लागू करने की अनुपालना सुनिश्चित करेगी।

आज आवश्यकता सिर्फ इस बात की थी कि एक धन्यवाद प्रस्ताव देश के प्रधान मंत्री के नाम से जारी होता और यहां संकल्प लिया जाता कि आर्टिकल-256 में जो राज्य की कार्यपालिका को काम करना है, इस आरक्षण के बारे में वह काम कर रहे हैं। इसलिये यही नहीं, अध्यक्ष महोदय, मैं बाकी बात तो आपसे बाद में कहूंगा, आपके सामने एक पुस्तक पड़ी है, राजस्थान विधान सभा के नियम और प्रक्रियाओं की। आप मुलाहिजा फर्माएं, अध्यक्ष

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

महोदय, इसके नियम 118 में, उसमें संविधान के समर्थन की, अनुमोदन की पूरी प्रक्रिया निर्धारित की गई है। मेरा आरोप है, संसदीय कार्य मंत्रीजी, आपने उन प्रक्रियाओं को बिलकुल ही नहीं अपनाया।

अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी इस कार्यवाही वृत्तांत को कालांतर में पढ़ा जाएगा, लोग सवाल करेंगे, हम सब पर सवाल करेंगे कि क्या उस वक्त विधान सभा में बैठे माननीय सदस्यों का संसदीय ज्ञान इतना अल्प था कि उन्होंने एक ऐसे विधेयक के रूप में जो पारित हो गया, पारण हो गया और भारत सरकार का लॉ आफ लैण्ड बन गया, उस पर उन्होंने अनुसमर्थन की आज बहस की है।

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पीए.डी. मंत्री महोदय, आपका विभाग भी निराला है और आपके अंदाजों का तो कहना ही क्या, मायने, आपने जिस प्रकार अचानक 19 जनवरी को, पूरे प्रदेश में अलग-अलग जगहों पर सरपंचों-पंचों के चुनाव चल रहे हैं, अचानक मालूम पड़ता है कि महामहिम राज्यपाल महोदय को मंत्रिमण्डल ने एक सर्कूलर के माध्यम से आनन-फानन में एक अभिशंसा भेज दी, और राज्यपाल महोदय ने बड़ी उदारता से आर्टिकल-174 (1) के अंतर्गत सदन को आहूत कर लिया।

अध्यक्ष महोदय, कल हमने महामहिम राज्यपाल महोदय का, उनके संवैधानिक दायित्वों को पूरा करने के लिये आर्टिकल-176 (1) में जो उनको दायित्व है, उसका अभिभाषण हमने इस सदन में सुना। प्रतिपक्ष के नेता ने सही कहा कि यह हिन्दुस्तान में नहीं, इस राजस्थान की विधान सभा में पहला मौका है, जब अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा होने से पहले एक संशोधन के अनुसमर्थन पर चर्चा हो रही है। अभिभाषण, मंत्री महोदय, कौल और शकधर यह कहता है कि यह सरकार का नीति पत्र है, इसमें एक वर्ष में सरकार ने जो काम किया उसके लेखे-जोखे का विवरण है। अध्यक्ष महोदय, यह पहला मौका है राजस्थान के अन्दर कि एक ही दिन में राज्यपाल महोदय का अभिभाषण तैयार होता है, राजस्थान के नौकरशाह तैयार करते हैं और बिना मंत्रिमण्डलीय उप समिति औपचारिकता पूरी करती है। मैं समझता हूं इससे बड़ा दुर्भाग्य कुछ हो नहीं सकता। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, यह 15वीं विधान सभा का चौथा सत्र, विधान सभा के इतिहास में एक ऐसी छाप छोड़ जाएगा, वह संसदीय लोकतंत्र को छोटा करने के रूप में जाना जाएगा।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मैं निवेदन करना चाहूंगा, आपने यह पुस्तक हमें दी है, अध्यक्ष महोदय, इस पुस्तक के प्रथम पृष्ठ पर देखें। इसमें लिखा है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 208 के उपबंधों के अनुसार राजस्थान विधान सभा द्वारा बनाये गये नियमों का अधिकृत हिन्दी अनुवाद। यह 208 (1) क्या कहते हैं, वह नियम है, अध्यक्ष महोदय, जिसके तहत हम सारी कार्यवाही करते हैं, और जिस प्रकार मैंने पहले उल्लेख किया, मैं पूछना चाहता हूं, आपने इसके अन्दर, जो नियम बने हुए हैं, नियम 118, अनुसमर्थन के लिये उन नियमों की पालना क्यों नहीं की? और आपने इस बार विधान सभा का आगाज किया, आपने रुल 3(2) देखा होगा, उसमें लिखा है साधारणतया 21 दिन का नोटिस। अध्यक्ष महोदय, अभी मैं सोच रहा था कि यह साधारण बात असाधारण क्यों हो गई। 21 दिन के नोटिस की जगह 4 दिन का नोटिस क्यों? खोजबीन करने के बाद इसके केन्द्र बिन्दु में मुझे कोई बिन्दु अगर नजर आया तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री आये। क्योंकि संसदीय कार्य मंत्रीजी ने वह करिश्मा कर दिया, इस देश के एस.सी., एस.टी. के लोगों के आरक्षण के मसले पर इन्होंने, जो राज्य सभा ने इनको एडवाइजरी भेजी 126वें संविधान संशोधन के लिये 20 दिसम्बर को, जिस पर आर्टिकल 368 (2) (डी) के तहत उस एडवाइजरी में लिखा था 10 जनवरी से पहले इसका अनुसमर्थन करें। आप उस पर विराजे रहे, आप उस पर सोये रहे। मैं समझता हूं कि आपने एक तरह से अपमान किया है राजस्थान की विधान सभा का, राजस्थान के अवाम का, आपने इस पुस्तक में दिये गये नियमों की पालना नहीं की।

अध्यक्ष महोदय, 20 जनवरी को आप लखनऊ में विराजे थे। यह हमारा सौभाग्य है कि लोक सभा के अध्यक्ष भी हमारे राजस्थान से हैं। आपके भाषण, आपके मौलिक विचार, उनके बारे में दिल्ली में जब मेरी मुलाकात हुई तो उन्होंने कहा कि आपके राजस्थान विधान सभा अध्यक्ष के जो मौलिक विचार हैं, उन विचारों से संसदीय लोकतंत्र के अन्दर नवाचार हो सकता है। मैं समझता हूं जब आप इस विधान सभा की गरिमा को आगे बढ़ाने के लिये विधान सभा के इतिहास का उल्लेख लखनऊ में पीठासीन अधिकारियों के बीच में कर रहे थे, ठीक उसी समय, बहुत तेजी से राजस्थान शासन सचिवालय में विधान सभा की गरिमा को तार-तार करने के लिये आनन-फानन में विधान सभा के इस सत्र के माध्यम से इस अनुसमर्थन की चर्चा हो रही थी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, अभी 28 नवम्बर को इसी विधान सभा में संविधान दिवस मनाया। सबको आपने कहा कि संविधान के प्रति सम्मान, संविधान की गरिमा, विधायिका के महत्व को जन-जन तक लेकर जाओ। अध्यक्ष महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी विराजे हैं। आपने एक राजनीतिक कार्यक्रम के अन्दर संविधान की प्रस्तावना की शपथ दिलाई, हमें अच्छा लगा। पर आज हो क्या रहा है? अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, आर्टिकल 334 में जिस संशोधन का जिक्र आज हम कर रहे हैं, 10 दिसम्बर को लोक सभा में इसका पारण हुआ, और ध्वनि मत से नहीं, सर्वसम्मत पारित हुआ।

मेरे सामने बैठे कांग्रेस के मित्र जो छोटी सी संख्या में वहां पर बैठते हैं उन्होंने भी मेजें थपथपाईं। यह 12 दिसम्बर को राज्य सभा में पारित हुआ। आधी से ज्यादा इस देश की विधान सभाओं एवं विधान मंडलों ने इसका अनुसमर्थन कर दिया और अब जब यह कानून के रूप में हमारे सामने हैं 22 जनवरी से, आज 25 जनवरी को जबकि आखिरी तारीख थी 25 जनवरी को इसमें 10 वर्ष के, इस संविधान संशोधन के माध्यम से, इसका कार्यकाल बढ़ाना था, तब हम चर्चा कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे संविधान निर्माता ने जिस संविधान को बनाया, जिस शिल्पीकार ने बनाया, जिस बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेकर हमारे सामने वाले लोग बार-बार चर्चा करते हैं, वास्तव में यह सही है कि उन्होंने सामाजिक न्याय का एक दस्तावेज बनाया और इसीलिए मैं कोट करना चाहता हूं, अंबेडकरजी ने यह कहा कि- “this Constitution apart from being a document on empowering India is also a document of Social Justice.” इस सोशल जस्टिस के डाकूमेंट में यह लिखा है, आर्टिकल 330 में शिड्यूल्ड कास्ट को रिजर्वेशन देने की बात रखी और आर्टिकल 332 में शिड्यूल्ड ट्राइब को लोक सभा और विधान मंडलों में आरक्षण देने की बात रखी। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी में कांस्टीट्यूशनल शिड्यूल आर्डर 1950 बना, कांस्टीट्यूशनल शिड्यूल ट्राइब आर्डर 1950 बना, इस आर्डर के तहत व्यापक सर्वेक्षण हुआ कि किस राज्य के अंदर कौन-कौनसी जातियों को आर्टिकल 330, 332 के अंतर्गत हम आरक्षण से लाभान्वित करेंगे। अलग-अलग समय पर निश्चित तौर पर इसमें संशोधन भी हुए।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

संविधान बना था, संविधान निर्माताओं के मन में यह था, मैं इसलिए कह रहा हूं, इसका महत्व समझें। शायद मंत्री महोदय नहीं समझेंगे, 334 आर्टिकल जब बना था तब संविधान निर्माताओं के मन में यह बात थी कि 10 वर्ष इनको आरक्षण देंगे और 10 वर्ष में जब यह विधायिका के अंदर, संसद के अंदर, नीति-निर्धारण करने वाली संस्था के अंदर हमारे एस.सी., एस.टी. के भाई बैठेंगे तो मुख्य धारा में लाने में यह बहुत बड़ा सहायक होगा। पर माननीय अध्यक्ष महोदय, यह 10 वर्ष पर्याप्त नहीं थे। इसका समय-समय पर अनुभव हुआ है। हमारा लोकतंत्र शैशव अवस्था से परिपक्व अवस्था में चला गया पर सामाजिक न्याय का सपना अधूरा रह गया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी एक सर्वेक्षण हुआ है। यह सर्वेक्षण कहता है कि इस हिन्दुस्तान में एस.सी., एस.टी. के 45 परसेंट लोग आज बिलो पावर्टी लाइन हैं। यह सर्वेक्षण यह भी कहता है कि शहरी क्षेत्रों में एस.सी., एस.टी. के 24 परसेंट लोग बिलो पावर्टी लाइन हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, साक्षरता के जो आंकड़े जारी हुए 2011 में, आज सामान्य-जन में साक्षरता 72 परसेंट है। आज एस.सी. के अंदर 66 परसेंट है और एस.टी. के अंदर 59 परसेंट है और ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स की बात, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप कई बार करते रहे हैं। आपके बड़े मौलिक विचार उसके बारे में हमने सुने हैं। यह ह्यूमन डवलपमेंट इंडेक्स जिसमें साक्षरता है, प्रति व्यक्ति आय है, लैण्ड होल्ड, आई.एम.आर. है, एम.एम.आर., किसके सिर पर कितनी छत है, उसका है, वह सारे यह कहते हैं कि इस आरक्षण के माध्यम से जो सामाजिक न्याय का सपना था, वह अभी अधूरा है इसलिए इस आरक्षण को जो 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से लागू किया गया और अगर इसी तरह की भावना औरों की होती, अगर इसी राजस्थान विधान सभा ने जो किया और विधान सभा करती तो आपके पीछे बैठे हुए रमेशजी मीना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार खो चुके होते।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आपने समाचार-पत्रों में पढ़ा होगा, आज भी छपा है। मैं आज ही पढ़ रहा था, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें छपा है कि देश के एक परसेंट अमीर के पास जो सम्पत्ति है, वह देश की 70 परसेंट जनता यानी, 95 करोड़ लोगों से ज्यादा, उनसे चार गुणा ज्यादा है। आज भी यह असमानता हमारे सामने हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और देश के कुछ अरबपति आज देश के एक वर्ष के बजट के बराबर की सम्पत्ति रखते हैं।

मानननीय अध्यक्ष महोदय, यह छोटी बातें नहीं, यह 126वां संशोधन क्यों किया गया? यह पहली बार नहीं हुआ है। माननीय अध्यक्ष महोदय, पहला संशोधन हुआ था 8वां संविधान संशोधन 1959 में, जो पहले शब्द इसमें लिखा गया था 10 वर्ष के लिए आरक्षण, उसको बढ़ाकर उसमें 20 वर्ष किया गया। दूसरा इसमें संशोधन हुआ 23वां संविधान संशोधन 1969 में, उसमें लिखा कि 20 वर्ष का, उस समय 20 वर्ष बीत गये थे, उसको बढ़ाकर 30 वर्ष किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, तीसरा इस मामले में संशोधन हुआ 45वां 1980 में, 30 वर्ष को बढ़ाकर 40 वर्ष किया गया और 62वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ, उसमें 40 वर्ष को बढ़ाकर 50 वर्ष किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, 79वां संविधान संशोधन, 1999 में हुआ, जिसमें 50 वर्ष को बढ़ाकर 60 वर्ष किया गया। 95वां संविधान संशोधन 2009 में हुआ। उसमें 60 वर्ष की जगह पर 70 वर्ष प्रतिपादित किया गया और अब 126वां संविधान संशोधन है, यह 2019 में हुआ है, इसमें 70 वर्ष के स्थान पर अब 80 वर्ष प्रस्तावित किया गया है और 25 जनवरी को ही इसकी आखिरी तारीख थी। आज आखिरी तारीख है, जब यह कानून का रूप ले चुका है अगर आज की तारीख तक आधी विधान सभाएं अनुसमर्थन नहीं करतीं तो इसका क्या होता?

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज लोक सभा में 543 सीट्स हैं। आज हमारे एस.सी. के भाई उसमें 84 लोग हैं, एक दो नहीं है। एस.टी. के 47 लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के सारे विधान मण्डलों में 4120 सीट्स में से एस.सी. के भाई 614 हैं और एस.टी. के 554 हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपको मालूम है कि आल इंडिया सेंसस एक्ट, 1948 में बना और उसके तहत सेंसस रजिस्ट्रेशन जनरल आफ इंडिया सेंसस के आंकड़े जारी करते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं मंत्री महोदय, इसकी गंभीरता आप देखें। 2021 से यह संबंधित है। मैं यह निवेदन करना चाहता हूं सदन को कि 2011 में इस देश में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या थी, जनसंख्या के आंकड़ों के अनुसार 20 करोड़ 78 लाख 372 और एस.टी. के लोगों की संख्या थी 10 करोड़ 45 लाख 716 और मैं समझता हूं कि आपने अपमान उन गांधीजी का कर दिया, जिस गांधीजी ने पूना पैक्ट के माध्यम से

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

इस भारत के अंदर पहली बार आरक्षण की बात कही। यरवदा की जेल के अंदर पूना पैक्ट के माध्यम से उस समय 147 सीटों पर यह रिजर्वेशन की बात हुई और उसके अंदर ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर जेम्स रामसे मैक्डोनाल्ड के साथ हस्ताक्षर करने वाले अंबेडकरजी थे।

मैं समझता हूं कि गांधीजी की बात करने वालों को, आपको यह देखना तो चाहिए और मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि सदन को स्मरण होगा कि वर्ष 2014 और 2019 के लोक सभा के चुनाव में आपने कैसी-कैसी बातें नहीं कीं? आपने कोटा से लेकर सब जगह पर कही। मोदीजी आएंगे तो आरक्षण खतम हो जाएगा। संविधान ही बदल देंगे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां तक कहा कि जब अचानक नोटबंदी इस देश में हो सकती है और आधी रात को जी.एस.टी. लागू हो सकती है तो अचानक आरक्षण खतम हो जाएगा। यह आप लोगों ने जगह-जगह पर भाषण दिये।

माननीय अध्यक्ष महोदय, पर हुआ क्या? 124वां संविधान का संशोधन करके इस देश में सामाजिक न्याय की एक नई अवधारणा पैदा कर दी आर्थिक आधार पर 10 परसेंट लोगों को आरक्षण देकर।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह सकता हूं कि यह जो बात थी 'सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास', आज देश के अंदर मैं राजस्थान की बात करता हूं। कभी किसी ने सोचा कि राजस्थान में हमारी महिलाओं के सम्मान को ऊंचा करने के लिए गरीब के घर में शौचालय होगा? राजस्थान में 79 लाख शौचालय बने हैं। पंचायती राज मंत्री महोदय, उप मुख्य मंत्रीजी बैठे हैं, यह मेरे को सही कर देंगे, आज उसमें 70 परसेंट एस.सी., एस.टी. के पास हैं। प्रधान मंत्री आवास योजना में, उप मुख्य मंत्रीजी, साढ़े आठ लाख मकान बने हैं, उसमें से 80 परसेंट एस.सी., एस.टी. के लोगों के पास हैं। आज राजस्थान में उज्ज्वला योजना के माध्यम से 56 लाख बहनों के पास गैस का कनेक्शन है, उसमें से 50 परसेंट एस.सी., एस.टी. के लोगों के पास है। जन-धन योजना, डी.बी.टी., मैं समझता हूं कि सीधे लोगों के खातों में पैसा जाना प्रारम्भ हो गया। किसान सम्मान निधि के रूप में जो 52 लाख लोगों के पास 6 हजार रुपया जा रहा है, इसमें भी 44 परसेंट एस.सी. के लोग हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा। यह मेरे को टोक रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप क्यों बोल रहे हैं? माननीय सदस्य, प्लीज। माननीय मंत्रीजी। माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस संशोधन के बारे में सरकार अगर गंभीर होती तो 168 (17) (2) (डी) के अंदर जब यह साफ लिखा है, मैं उद्धृत करना चाहता हूं। उसमें लिखा है कि लोक सभा, विधान सभा के प्रतिनिधित्व के संबंध में संविधान का संशोधन तब तक लागू नहीं होगा, मंत्री महोदय, जब तक 50 परसेंट राज्य मंडल इसका अनुसमर्थन नहीं करेंगे, राष्ट्रपति महोदय तब तक इस पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे। आज हालत क्या है? माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के अंदर 28 राज्य मंडल में से 19 विधान सभाओं ने 10 जनवरी से पहले इसका अनुसमर्थन किया है। मैं सदन के पटल पर उनका नाम लिखना चाहता हूं और धन्यवाद भी देना चाहता हूं उन विधान सभाओं के अध्यक्षजी को और उनको चलाने वाले लोगों को। उत्तर प्रदेश की विधान सभा, फिर हरियाणा की विधान सभा, गुजरात, असम, हिमाचल, पंजाब, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, केरल, बिहार, नागालैंड, मणिपुर।

मैं समझता हूं, अध्यक्ष महोदय, अगर यही हालत यह सब लोग करते, तो जो कहते हो न, कि आज 59 लोग बैठे हैं इस विधान सभा में एस.सी., एस.टी. के, उनको खड़े होकर नारा लगाना चाहिए 'मोदी है तो मुमकिन है।' यह मोदीजी अगर प्रस्ताव नहीं लाते और अगर यह प्रस्ताव राजस्थान की विधान सभा में गहलोत सरकार की तरह बाकी लोग भी करते तो आज यह मुमकिन नहीं होता। आज यह संबंध एक-दो से नहीं, चालीस करोड़ लोगों से है।

अध्यक्ष महोदय, यक्ष प्रश्न यह उठता है जिसके लिये मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। 10 दिसम्बर को यह लोक सभा में पारित होता है, 12 दिसम्बर को राज्य सभा में पारित होता है और 20 दिसम्बर को राज्य सभा सचिवालय अपने पत्र क्रमांक, मंत्री महोदय लिख लो आप, आर.एस. 16.9.2019/बी दिनांक 20 दिसम्बर, 2019 आपको भेजता है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा विधान सभा के सचिवालय को, 27 दिसम्बर को विधान सभा के सचिव राज्य के मुख्य सचिव को पत्र लिखते हैं कि इनका प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, अनुसमर्थन करना है। आपके पास पत्र आता है, आप सोये रहते हो, आपको चिंता नहीं है। निद्रा कब टूटती है आपकी, 19 तारीख को आपकी निद्रा टूटती

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

है और 20 तारीख को आप कहते हो, फिर हमारे माननीय सदस्यों को एक पत्र मिलता है। यह पत्र क्रमांक 822/सदन/विधान सभा/2019/229873-187, मैं निवेदन करूंगा, अब आप मुलाहिजा फर्मा लें। जो किताब हमें दी है विधान सभा की नियम और प्रक्रिया की, मैं अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा रूल 118-क, आप मुलाहिजा फर्माएं। इसमें संविधान के संशोधन के अनुसमर्थन के ऊपर लिखा है, और फिर लिखा है कि संसद से किसी सदन के संविधान के अनुच्छेद 668 के परन्तुक के आधार पर किसी संशोधन के अनुसमर्थन के लिये संदेश प्राप्त हो तो इसके प्राप्त होने के पश्चात् शीघ्रातिशीघ्र सदन को संदेश की सूचना देगा और सदन के पटल पर रखेगा। ठीक है, पटल पर आ गयी। फिर, अध्यक्ष महोदय, इसमें लिखा है कि अगर संदेश 118 क(2) में संदेश प्राप्त होने के समय सदन सत्र में नहीं हो तो सचिव को संदेश प्राप्त होने के यथासंभव शीघ्र ही उसकी एक प्रति सदस्यों को आकर्षित की जाएगी और अगले सत्र के प्रथम दिन देंगे।

अब मैं सीधा इस पर आता हूं 118 क(3) में लिखा है- 'सचिव संदेश प्राप्त करने के पश्चात् यथाशीघ्र प्रत्येक स्थिति में उसके प्राप्त होने के तीन दिन के भीतर राज्य सरकार को उसकी प्रति भेजेगा।' आपके पास प्रति 27 तारीख को आ गयी, आप क्यों सोये रहे? मैं समझना चाहता हूं आप क्या कहना चाहते हो और। अध्यक्ष महोदय, अब मैं इनसे कहूंगा कि यह नाटक बंद करो आप। यह जो दो सींगों के, पहले दो बैल इधर-उधर चलते थे, अब दोनों बैलों के सींग यूं जुड़े हुए हैं आज उसके कारण से इस प्रकार का हो रहा है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूं। मैं समझ गया अध्यक्ष महोदय, मैं पांच मिनट में कंक्लूड कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: बारह-सवा बारह खतम करना है। माननीय सदस्य, प्लीज। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, बहुत बड़ी बात हुई एस.सी., एस.टी. की बात इन्होंने कहीं। अध्यक्ष महोदय, अब कुछ ऐसे समाज हैं, जिन समाजों को आरक्षण मिला है आर्टिकल 341, 342, 16(2) में, पर प्रशासनिक चूक के कारण आज इनके सामने प्राप्त आरक्षण के लिये बड़ा संकट आ रहा है। आर्टिकल 341 में शिड्यूल्ड कास्ट, शिड्यूल्ड ट्राइब आर्डर, जो 1950 था,

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

जिसमें संशोधन हुआ 1976 के अंदर, उसमें कहकर, अध्यक्ष महोदय, मैं दो मिनट में अपनी बात खतम करूंगा। शिड्यूल्ड ट्राइब लिस्ट के अंदर शिड्यूल दो के अंदर क्रम संख्या-चार में 'धानका' शब्द लिखा हुआ है और उसके बाद 29 नवम्बर, 1979 को इसका हिन्दी अनुवाद होता है और उसमें 'धानका' की जगह 'धाणका' आ जाता है और उसके बाद शासन में तब्दीली आ जाती है, सत्ता बदल जाती है और एक सर्कूलर निकलता है 09.08.2019 को। अध्यक्ष महोदय, सर्कूलर संख्या है पत्र क्र. एफ.11/189/धानका/डीडीबीसी/सामान्य/47478510, दिनांक 09.08.2019, उसमें क्या लिखा जाता है? अध्यक्ष महोदय, कि सरकार ने परीक्षण कर लिया और यह निर्णय ले लिया है कि भारत सरकार द्वारा राजस्थान राज्य के लिये जारी गजट नोटिफिकेशन संस्करण 1979 के अनुसार 'धाणका' ही अनुसूचित जनजाति के क्रम संख्या-4 पर अंकित है। 'धानका' के नाम से कोई प्रमाण पत्र नहीं बनेगा। वह बनने बंद हो गये। आज 'धानका' के प्रमाण पत्र 1976 से लेकर 2019 तक बने हैं। एक-दो नहीं, हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में बन गये। अब उसके बेटे को चाहिए प्रमाण-पत्र...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, यह तरीका नहीं। आप मंत्री रहे हैं। आप ऐसा क्या तरीका बना रहे हैं? गलत परम्परा डाल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अब उसको अपना प्रमाण पत्र चाहिए, तो प्रमाण पत्र बनाने वाला अधिकारी उसको कहता है कि अपना आधार कार्ड लाओ, मतदाता कार्ड लाओ, पिता का प्रमाण पत्र लाओ, रेवेन्यू रिकार्ड लाओ। उन सबमें 'धानका' लिखा हुआ है। आज उसी के कारण से यह लोग वंचित हैं। अध्यक्ष महोदय, इसी प्रकार मैं निवेदन करना चाहूंगा ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, नीचे बैठें। माननीय सदस्य, नीचे बैठें, अंकित नहीं होगा आपका। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मीणा समाज के लिये आप बोले, मंत्री महोदय, अपने समाज की तो चिंता कर लो।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब हो गयी, प्लीज वाइंड अप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब आर्डर 1950, 1976 के अंदर जो संशोधन हुआ उसमें शिड्यूल 2 में क्रम संख्या-9

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पर MINA लिखा हुआ है। अब राजस्थान में अध्यक्ष महोदय पानी और पाणी, अडवानी और अडवाणी, यह अपनी बोली है। इसके अंदर Meena के नाम से जिनके प्रमाण पत्र बन गये, आज मामला उच्च न्यायालय में गया, उनके सामने इसी प्रकार का संकट है। इसी प्रकार की एक समस्या 'नायक' समाज के सामने है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आउट आफ बिल जा रहे हो। हो गया, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, अंत में, मैं यह कहूंगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। आप प्लीज, नीचे बैठें। माननीय सदस्य नीचे बैठें, प्लीज। आप मंत्री रहे हैं, फिर परम्परा तोड़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अंत में निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री महोदय, यह जो आप संविधान संशोधन लाये हैं अनुसमर्थन के लिये, आप इसमें थोड़ा-सा परिवर्तन कर लो, आपकी बात रह जाएगी। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रस्ताव लिखें 'इस सत्र में एकत्रित हम सभी राजस्थान विधान सभा के सदस्यगण भारत सरकार द्वारा 126वें संविधान संशोधन के माध्यम से देश के अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को लोक सभा और विधान मंडलों में दिये गये आरक्षण की अवधि को दस वर्ष बढ़ाने के लिये देश के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद देते हैं।' यह प्रस्ताव पारित कर दो आप। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर कहता हूं हम इस प्रस्ताव का तो समर्थन करते हैं पर सरकार के इस रवैये, सरकार के अनुसूचित जाति, जनजाति विरोधी रवैये की हम निन्दा करते हैं और इस रवैये को सरकार को भुगतना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: श्री जे.पी. चन्देलिया।

श्री जे.पी. चन्देलिया (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं संविधान निर्माता डा. भीमराव अम्बेडकर साहब को इस पुनीत अवसर पर याद करते हुए सदन के सामने यह प्रस्तुत करना चाहता हूं कि जे.पी. चन्देलिया, एक दलित समाज का लड़का इस हाउस में बोलने का इस तरह

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

साहब और शेर की तरह बोल रहा है, यह सब भीमराव अम्बेडकर साहब और कांग्रेस के कंसेप्ट की देन है। कांग्रेस ही है शुरू में जिन्होंने शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के लिये विभिन्न प्रावधान संविधान में डाले। जो लोग बढ -चढ़कर बात कर रहे हैं और जो आज बात कर रहे हैं कि शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हितों की अनदेखी की जा रही है, वह लोग तो उस समय मेरे विचार से अस्तित्व में ही नहीं थे। उनकी भावना क्या थी, वह भावना तो जैसे अभी बात की गयी धानका समाज की या मीणा समाज की, यह सारी विसंगति भी कांग्रेस के टाइम पैदा नहीं हुई, यह सारी विसंगति भी इनके टाइम पर पैदा हुई। अच्छा रहता कि वह विसंगतियां, जो उनके टाइम पर पैदा हुई, उन विसंगतियों का निराकरण यह लोग अपने शासन में करते।

कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए, इसलिए मैं निवेदन करता हूं कि कांग्रेस शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के वर्गों की हमेशा से हितैषी रही है और मेरे विचार से यह हितैषी हमेशा रहेगी, खाली घड़ियाली आंसू बहाने वाली यह पार्टी नहीं है। कांस्टीट्यूएंट असेम्बली और ड्राफ्टिंग कमेटी आफ द कांस्टीट्यूशन का हम आभार व्यक्त करते हैं कि जो प्रोविजंस डाले गये संविधान में, वह शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब के हितों की पूरी तरह से सुरक्षा करने वाले प्रावधान हैं। आर्टिकल 330 के अंतर्गत शिड्यूल्ड कास्ट के हितों के लिये प्रावधान डाले गये और 333 (2) में एस.टी. के लिये प्रावधान डाले गये। 332 में राजस्थान की असेम्बली के साथ-साथ भारत की सभी असेम्बलियों में यह रिजर्वेशन होगा, इसके लिये प्रावधान डाला गया। असेम्बली की बात मैं इसलिये कर रहा हूं कि आज हम असेम्बली में बात कर रहे हैं। आर्टिकल 332 के अंतर्गत कांग्रेस की ही भावना थी जो यह प्रावधान डाले गये इसलिये हम उस बात के लिये भी कांग्रेस पार्टी का बहुत-बहुत अभिनन्दन करते हैं।

यह कांग्रेस पार्टी ही थी जिन्होंने आर्टिकल 335 में शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए सर्विसेज में रिजर्वेशन की बात कही, इसके लिए समर्थन कांग्रेस पार्टी के ही लोगों का था, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहते हैं।

कई इश्यूज होते हैं शिड्यूल्ड कास्ट के और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के जो

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

समय-समय पर आते रहते हैं। उनका विश्लेषण करके, उन पर विचार करके शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन और शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन जो गवर्नमेंट आफ इंडिया में भी है और स्टेट लेवल पर भी है, उनका गठन भी कांग्रेस की पहल पर ही हुआ है। आर्टिकल 338 के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कास्ट कमीशन बनाया गया था, वो कांग्रेस की देन ही थी और आर्टिकल 338 (ए) के अन्तर्गत शिड्यूल्ड ट्राइब्स कमीशन बनाया गया था, वो भी कांग्रेस की ही देन थी। आज ये लोग बात करते हैं, ये सब चीजें तो आलरेडी कांग्रेस ने प्रावधान डाला जा चुका है।

यह जो संशोधन विधेयक है, जिसका अपन रेटिफिकेशन कर रहे हैं, आज तक रेटिफिकेशन करने में दिक्कत इसलिए नहीं है कि अगर प्रभावी प्रावधान होता रेटिफिकेशन की वजह से तो वो कल होता 26 तारीख को, आज तो 25 तारीख है, आज यह ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? भावना देखी जानी चाहिए, कांग्रेस की भावना हमेशा शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के पक्ष में रही है और उस भावना के अनुसार ही यह रेटिफिकेशन का काम करने के लिए आज हमारे संसदीय कार्य मंत्री महोदय ने, हमारी सरकार ने इस सदन के समक्ष रखा है इसलिए भावना सर्वोपरि है। अन्दर से भावना कुछ और हो और शिड्यूल्ड कास्ट की बात करते रहें, भावना अन्दर से कुछ और हो और शिड्यूल्ड ट्राइब्स की बात कर रहे हैं, वह बात कांग्रेस के करेक्टर में नहीं है, कांग्रेस के आचरण में नहीं है।

यह कांग्रेस ही थी जिसने विभिन्न सेफगार्ड्स शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए संविधान में डाले। पहला था सोशल सेफगार्ड, अगर हम कांग्रेस की देन नहीं कहें तो किसकी देन कहेंगे? यह जो सामने बैठे हैं इनके टाइम में यह नहीं हुआ, जो सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट था 1955 का, कांग्रेस की देन है जिसके कारण से अनटचेबिलिटी जो हमारे देश पर एक बहुत बड़ा धब्बा था, उसको प्रोहिबिटेड करने के लिए, उसको समाप्त करने के लिए 1955 में कांग्रेस की देन है कि वह एक्ट लाया गया।

इसी प्रकार से एस.सी., एस.टी. प्रिवेन्शन आफ एट्रोसिटीज एक्ट, 1989 अगर लाया गया तो वह कांग्रेस की देन थी। तो क्या शिड्यूल्ड कास्ट और शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए अच्छी भावना नहीं थी? बहुत बड़ी भावना थी कि उनके प्रति किसी प्रकार की एट्रोसिटी नहीं हो।

(श्री जे.पी. चन्देलिया)

दूसरा, एजुकेशनल और कल्चरल सेफगार्ड के लिए प्रावधान डाले गये, विभिन्न एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अन्दर रिजर्वेशन डाला गया। इसी प्रकार पोलीटिकल सेफगार्ड के लिए, यह आज जो बात कर रहे हैं यह पोलीटिकल सेफगार्ड कांग्रेस के टाइम ही आया।

इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज हम जो एकत्र हुए हैं वह बिलकुल समीचीन है। वो कोई बात नहीं है, अगर भावना नहीं होती तो हमारे संसदीय कार्य मंत्री महोदय इतनी द्रुत गति से और सर्कुलेशन से निर्णय करा करके हमारी सभा बुलाते, सदन को बुलाते? माननीय राज्यपाल महोदय ने जो स्वीकृति दी है उनके आचरण पर, उनकी स्वीकृति पर और उन्होंने जो निर्णय लिया उस पर अगर आज विधान सभा में टिप्पणी की जाती है तो मैं समझता हूं वह उचित नहीं है।

जो कुछ हो रहा है ठीक हो रहा है। शिड्यूल्ड कास्ट के लिए, शिड्यूल्ड ट्राइब्स के लिए कांग्रेस की भावना हमेशा थी और है और मैं उम्मीद करता हूं कि कांग्रेस पार्टी ही है जो इनके हितों की रक्षा करती रहेगी। जिस प्रकार से, जिन हाउसेज से बी.जे.पी. संचालित हो रही है उन हाउसेज के स्टेटमेंट एक बार कुछ और आ जाते हैं और जब देखते हैं कि पोलीटिकल नुकसान हो जाएगा, उसको कवर करने के लिए फिर दूसरे स्टेटमेंट आ जाते हैं। यह आचरण कांग्रेस का नहीं है, यह मैं निवेदन करता हूं।

मेरा यह मत है कि आज जो हम निर्णय ले रहे हैं, आज जो रेटिफिकेशन कर रहे हैं वो समीचीन है, उचित है और कांग्रेस की भावना को, हम सबकी भावनाओं और इस सदन की भावना को प्रकट करता है। धन्यवाद, सर।

श्री अध्यक्ष: श्री जोगेश्वर गर्ग।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। इस अनुसमर्थन के विषय पर सदन में जो चर्चा चल रही है मैं उसमें हिस्सा लेते हुए निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे प्रतिपक्ष के उप नेता, चूरू से आने वाले माननीय विधायक ने बहुत विस्तार से बहुत सारे बिंदु रख दिए मैं उनमें से एक का भी दोहराव नहीं करूंगा।

अभी हमारे बहुत विद्वान, सत्ता पक्ष के विद्वान विधायक जे.पी. चन्देलिया साहब, पूर्व आई.ए.एस. अधिकारी कह रहे थे कि आरक्षण का

(श्री जोगेश्वर गर्ग)

कांसेप्ट कांग्रेस ने दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस देश में आरक्षण का कांसेप्ट 1901 में आ चुका था जब आजादी भी नहीं आई थी। कोल्हापुर के महाराजा थे साहू जी महाराज, उन्होंने पहली बार यह कांसेप्ट दिया था, भले वो रिवर्स आर्डर में था। उन्होंने कहा था कि कोल्हापुर राज्य की सरकारी सेवाओं में जो भर्तियां होंगी उनमें ब्राह्मणों की संख्या 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, यानी 50 प्रतिशत अन्य लोग होंगे। वहां से कांसेप्ट शुरू हुआ और उस कांसेप्ट को डाक्टर अम्बेडकर ने पकड़ा। उसके बाद 1935 में आपके नेताओं को मजबूर करके डाक्टर अम्बेडकर ने सहमत किया और दस्तखत करवाये उस पूना पैक्ट पर कि जब अपना स्वराज आएगा तब आरक्षण लागू होगा। इसलिए यह कांग्रेस की देन नहीं है, अपने आपको करेक्ट कर लीजिए।

आरक्षण दो तरह का है, एक है सरकारी सेवाओं में आरक्षण और दूसरा है राजनैतिक आरक्षण। सरकारी सेवाओं के आरक्षण में कोई समय सीमा नहीं है, राजनैतिक आरक्षण में दस साल की समय सीमा है। हर दस साल बाद हमको आपके सामने झोली फैलाकर खड़ा होना पड़ता है कि बढ़ाओ साहब, बढ़ाओ साहब। सरकारों के सामने हाथ फैलाने पड़ते हैं। यह दोनों में फर्क क्यों है? मैं निवेदन करना चाहता हूं चन्देलिया साहब, दस साल का जो राइडर लगा यह पंडित नेहरू का लगाया हुआ है, यह कांग्रेस की देन है। यह कांग्रेस की देन है। (व्यवधान) पढ़ लीजिए, संविधान सभा के मिनिट्स पढ़ लीजिए। यह पंडित जवाहर लाल नेहरू साहब ने राइडर लगाया दस साल का।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह गलत परम्परा है, यह पंडित नेहरू को उद्धृत करके जिस तरह से गलत बातें सदन के अन्दर रख रहे हैं, इस पर मेरी आपत्ति है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): आपकी बारी आये तो ठीक कर लेना ... (व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आपको ज्ञान नहीं है। पहले इतिहास सीख कर आओ। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): कह रहे हैं आपकी बारी आये तो ठीक कर लेना, नाम लेकर गलत बोलना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): गुमराह कर रहे हैं सदन को, अध्यक्ष जी ...(व्यवधान) संदेश देना चाहते हैं गलत बोलकर।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज। डिबेट का तरीका नहीं है, आप बैठें। डिबेट का तरीका नहीं है, जब आपको मौका मिले आप रिबट कर दीजिए, बीच में इन्टरवीन नहीं। (व्यवधान) बीच में नहीं, बीच में नहीं बोलेंगे आप प्लीज। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): नाम लेकर बोल रहे हैं, अध्यक्ष जी। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, आप बैठें, डिबेट की परम्परा समझें। आपको मौका मिलेगा और रिबट कर दीजिए। माननीय सदस्य।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): फिर मैं निवेदन करना चाहता हूं, अध्यक्ष महोदय, जब इन्द्र कुमार गुजराल साहब प्रधानमंत्री थे, देवेगौड़ा साहब प्रधानमंत्री थे, वो दोनों सरकारें आपके समर्थन से बनी हुई थीं, आपने उनको बाहर से सहयोग दे रखा था तब वो सरकारें टिकी हुई थीं, उन दोनों सरकारों के समय पांच ओ.एम. जारी हुए, उन पांचों आफिस मेमोरेंडम के कारण अनुसूचित जाति वर्ग के सरकारी नौकरी में आरक्षण में पदोन्नति में बाधा आई। वो पांच ओ.एम. जिन सरकारों ने जारी किये वह आपके सहयोग से चल रही थीं। यह है कांग्रेस का योगदान। वो पांच ओ.एम. जारी हुए और फिर इंदिरा साहनी केस में पंजाब हाई कोर्ट का फैसला आया रिवर्सन का। रिवर्सन का जो पंजाब हाई कोर्ट का आदेश आया, पूरे देश में किसी राज्य ने लागू नहीं किया एक राजस्थान को छोड़कर। 1999 में लागू हुआ, उस समय माननीय अशोक गहलोत मुख्य मंत्री विराज रहे थे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बिल पर बोलें प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): बिल पर ही है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, बिल पर नहीं है। प्लीज, बिल पर बोलें, आप पढ़े-लिखे आदमी हैं, बिल पर बोलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): पदोन्नति में जो आरक्षण था वो समाप्त हुआ।

श्री अध्यक्ष: यह सरकारी नौकरी के आरक्षण का बिल नहीं है। प्लीज, बिल पर बोलें।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): अध्यक्ष महोदय, मैं फिर निवेदन कर रहा हूं कि यह अनुसूचित जाति वर्ग के हितों को प्रभावित करने वाला बिल है।

श्री अध्यक्ष: यह संविधान संशोधन का बिल है। मान्यवर, प्लीज।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): मैं संविधान संशोधन की बात करूं ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: डिबेट को I will not allow, don't deviate it. माननीय सदस्य, आप सीनियर सदस्य हैं। यह संविधान का जो संशोधन है उसी स्कोप में अपनी डिबेट हो रही है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): यह संविधान संशोधन जो आना था, अभी राजेन्द्र राठौड़ साहब ने बहुत विस्तार से रख दिया, समय पर आना चाहिए था, समय पर नहीं आया और उसका कारण यह था कि आपको अनुसूचित जाति वर्ग की कोई चिंता नहीं है, आपको उसकी कोई परवाह नहीं है और यह आपने बिलकुल निंदनीय कार्य किया है। मैं भारत सरकार को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो समय पर इस संविधान संशोधन को लाये। एक और धन्यवाद देना चाहता हूं स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को जिन्होंने 81, 82, 83 लगातार तीन संशोधन करके पदोन्नतियों में आरक्षण में जो ओ.एम. के माध्यम से आपने बाधा पैदा की थी उसको दूर किया।

फिर एक बार कहना चाहता हूं कि यह जो हवा आपने बना रखी है कि कांग्रेस ही अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों की हितैषी है और बाकी सारे दुश्मन हैं, यह हवा गलत है। हमेशा आपने अनुसूचित जाति वर्ग के हितों का नुकसान करने की कोशिश की है। जुबान से बोलते कुछ हो, मुंह में राम बगल में छुरी आपकी कार्यशैली रही है। बोलते पक्ष में हो और अन्दर ही अन्दर मारते रहते हो।

यह चंदेलिया साहब भी जानते हैं। हरीश मीणा साहब भी जानते हैं। सारे लोग जानते हैं और बहुत अच्छे से जानते हैं। उनकी मजबूरी है कि वह बोल नहीं सकते हैं, लेकिन यह हकीकत है।

मैं एक बार फिर निवेदन करता हूं कि जिस तरीके से, विलम्ब से यह संशोधन लाया गया है, वह एक निंदनीय कार्य है। मैं इस विषय पर सरकार की निंदा करते हुए, भर्त्सना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। अध्यक्ष महोदय, आपको धन्यवाद कि आपने समय दिया।

श्री अध्यक्ष: श्री बाबूलाल नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन विधेयक, 2019 के अनुसमर्थन हेतु आज सदन में चर्चा चल रही है। मैं सबसे पहले बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर जी को नमन करना चाहूंगा कि उनके प्रयासों और नेतृत्व में संविधान का ड्राफ्ट बना। बाबा साहेब ने हमारे संविधान में मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, सामाजिक न्याय के महत्वपूर्ण दस्तावेजों की व्यवस्था की। बाबा साहेब ने जो संविधान दिया उसमें अनुच्छेद 14 में समानता की व्यवस्था की। अनुच्छेद 16 में रोजगार में आरक्षण की बात कही। आरक्षण कैसे हो, किन लोगों का हो, अनुसूचित जाति, जन जाति में, राजनीतिक आरक्षण में कौन-कौन सी जातियां हों, यह सारा उसमें इस तरह का प्रोविजन रखा कि अगर कोई प्रयास भी करे तो वह कामयाब नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय, मैं इस अवसर पर एक निवेदन करना चाहूंगा कि आज अनुसमर्थन के संबंध में चर्चा चल रही है। बाबा साहेब ने 25 नवम्बर, 1949 को अपने भाषण में कहा था कि राजनीतिक अधिकारों की बराबरी दे रहे हैं लेकिन आज सरकार के पास, चाहे केन्द्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, आज सबके सामने चुनौती है आर्थिक और सामाजिक बराबरी की। आज इतने वर्ष निकलने के बाद भी कहीं जाति के आधार पर असमानता है, कहीं मंदिर प्रवेश पर रोक है, कहीं दलित को घोड़े से उतारते हैं। सरकारी मिड-डे मील में दलित समाज के बच्चों को अलग से लाइन में लगाते हैं। अगर कोई रसोइया मिड-डे मील में दलित समाज का है तो उसके भोजन का बहिष्कार कर देते हैं।

अध्यक्ष महोदय, ऐसी स्थिति में मेरा यह निवेदन है कि राजनैतिक आरक्षण, सामाजिक, आर्थिक आरक्षणों पर सरकारों को समीक्षा करनी चाहिए। अभी प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य राजेन्द्र जी चर्चा कर रहे थे। इनका रूप पूरे देश ने देखा है। आरक्षण की यह वकालत कर रहे थे। स्वर्गीय राजीव गांधी जी पार्लियामेंट में जब बिल लेकर आए, पंचायती राज में, स्वायत्त शासन में अनुसूचित जाति, जन जाति के लोगों को आरक्षण की व्यवस्था हो तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने संसदीय दल का व्हिप जारी किया था और यह तय किया था कि उस बिल के खिलाफ में मत देंगे। एक मत कम होने की वजह से वह आरक्षण का बिल सदन में पास नहीं हुआ था। फिर हमारे नरसिम्हा राव जी प्रधान मंत्री बने, तो बहुमत से हुआ। आपके खाने के और दिखाने के दांत अलग हैं, यह पूरी दुनिया जानती है।

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, आज संविधान संशोधन के संबंध में चर्चा हो रही है, लेकिन आज मैं नौकरियों में आरक्षण के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): दिनांक 20.11.1997 को एक परिपत्र से जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। डिबेट पर स्कोप में बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय 20.11.1997 को डीओपी से एक आदेश जारी हुआ, रोस्टर का जो मापक था, वह पहले 40 का था, उसको फिर आपने 80 का किया। उसकी जो स्थिति हुई।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य। मैं डिबेट अलाउ नहीं करुंगा। प्लीज, आप स्कोप में बोलें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपका 2 अप्रैल, 2018 का रूप पूरे हिन्दुस्तान ने देखा है। भारत बंद में दलित समाज के लोगों को क्या देखना पड़ा? क्या झेलना पड़ा? मैं इस स्तर पर आपसे एक ही निवेदन करुंगा कि कांग्रेस पार्टी ने गुलामी से आजादी में लाने के लिए इनके नेताओं ने आंदोलन किए, संघर्ष किए। वह दलित की पीड़ा को भी समझते हैं। जो कुछ भी इस देश में किया है, वह कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस के नेताओं ने किया है। मैं इतना ही कहते हुए इसका समर्थन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। (अनुपस्थित) श्री गोविंद राम।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अध्यक्ष महोदय, एक सौ छब्बीसवें संविधान संशोधन बिल के अनुसमर्थन पर समर्थन में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद।

अध्यक्ष महोदय, डा. भीमराव अम्बेडकर को मैं आज नमन करना चाहूंगा। ज्योति बा फूले, जो सामाजिक क्रांति के नेता थे, उनको भी मैं नमन करना चाहूंगा। इस देश में आखिर आरक्षण की जरूरत क्यों पड़ी? बाबा साहेब इस बात को जानते थे और उन्होंने 20 नवम्बर, 1930 को गोलमेज सम्मेलन में यह बात रखी थी कि इस देश में अस्पृश्यता है और जातिवाद में हम बंटे

(श्री गोविंद राम)

हुए हैं। इसलिए उन्होंने कहा था कि इस बारे में तो किसी प्रकार का संदेह नहीं किया जा सकता है कि आदिम जातियां, जन जातियां, जरायम पेशा जातियां और अस्पृश्य जातियों की जो दशा है, वह हिन्दू सभ्यता के मूल सिद्धांतों का कुफल है।

अध्यक्ष महोदय, उन्होंने कहा था कि अंग्रेजों के करीब डेढ़ सौ साल राज करने के बाद भी इस देश में छुआछूत खतम नहीं हुई। जो अस्पृश्य लोग थे, उनको कहीं नौकरी नहीं मिलती थी। उनको राजनीति में कहीं जगह नहीं मिलती थी। उन्होंने इसलिए कहा था कि अगर यह देश आजाद होता है, इसको आजादी मिलती है तो इसमें राजनीतिक आरक्षण बहुत जरूरी है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं डा. भीमराव अम्बेडकर को जिन्होंने 1949 में संविधान बनाया तो उसमें यह विशेष ध्यान रखा कि चाहे केन्द्र सरकार हो, चाहे विधान सभा हो, चाहे नगरपालिकाएं हों, चाहे पंचायतें हों, उनमें जब तक अछूत व्यक्ति को आप आरक्षण नहीं देंगे तब तक इस देश में जातिवाद खतम नहीं हो सकता।

उस समय स्थितियां यह थीं कि दलित अधिकतर बस्तियों से बाहर रहते थे। आदिवासी जंगल में रहकर अपना समय पास करते थे। बहुत सारे गिरोह ऐसे बने हुए थे जो अपराध करके अपना समय बिताते थे। यह हमारे देश में कमी थी। अम्बेडकर साहब के साथ में नेहरु जी, राजेन्द्र प्रसाद जी और सरदार पटेल, जिनकी इन्होंने 3 हजार करोड़ की मूर्ति लगाई है, वह भी कांग्रेस के नेता थे। मैं उन नेताओं को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था की। लेकिन दुर्भाग्य की बात है अभी हमारे प्रतिपक्ष के सदस्य भाषण दे रहे थे और उन्होंने कहा आज हमें मोदी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि 'मोदी है तो मुमकिन है'।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं, मैं विषय से डायवर्ट नहीं होना चाहता, लेकिन आज पूरे देश में तनाव का वातावरण है। जगह-जगह पर दलितों के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जहां-जहां भी भाजपा की सरकारें हैं, वहां सरेआम दलितों के साथ मार-काट की जा रही है। आज शाहीन बाग़ में महिलाएं बैठी हैं और वहां रासूका लगाया जा रहा है। मैं जानता हूं कि आप मुझे टोकेंगे इसलिए मैं विषय से नहीं हटूंगा। लेकिन मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज 70 साल की आजादी के बाद भी, जो कांग्रस की मंशा थी, समय-समय पर अमेंडमेंट लाकर आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। उसी रूप

(श्री गोविंद राम)

में कहना चाहता हूं। इस बात के लिए ठीक है, मैं केन्द्रीय सरकार को धन्यवाद देता हूं कि आपने बढ़ाया है, लेकिन आपकी जो मानसिकता है, इस देश में जो आपने अभी वातावरण बना रखा है, वह सही नहीं है।

आज पूरे देश में जो भी आपके विरुद्ध बोलता है, उनके विरुद्ध आप रासूका लगाने की तैयारी कर रहे हैं। आपके कोई भी विपक्ष में बात करता है तो उसको पाकिस्तान भेजने की बात करते हैं। आज जो हमारा राजनैतिक आरक्षण है, मैं दावा कर सकता हूं कि 90 परसेंट एस.सी. में आप वह लोग जिताकर भेज रहे हैं, जो लोग इनके कहने पर बोलते हैं। कोई भी अगर आरक्षण की बात करेगा, कोई भी अनुसूचित जाति में मारकाट की बात करेगा, अगर हम बात करें हमारे यहां आज भी यह कुप्रथा है कि दलितों दूल्हों को घोड़ी से उतारा जाता है। बहुत जगह हमारे साथ मारपीट की जाती है। यह हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है।

अध्यक्ष महोदय, इस देश में हमारे लिए बहुत बड़ा कलंक है, वह अस्पृश्यता का है। अगर हम 200 विधायक यहां बैठे हैं, वह तय कर लें कि इस देश में जब तक छुआछूत रहेगी तब तक हमारे देश के ऊपर से कलंक नहीं हटेगा। मैं कहना चाहता हूं कि आप विश्व में कहीं भी चले जाइए, आपको कहीं भी छुआछूत नहीं मिलेगी। कहीं भी एक-दूसरे से भेद नहीं मिलेगा। लेकिन राजनीतिक आरक्षण के बावजूद भी हमें जो ताकत मिलनी चाहिए, जो हमें सरकारी महकमे में ताकत मिलनी चाहिए, उसमें आज भी हम असफल हैं। मैं कांग्रेस के नेता चाहे नेहरू जी हों, चाहे महात्मा गांधी जी हों, जिन्होंनें इस देश को आजादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई, इस देश में प्रजातंत्र आया और जो दलितों को आरक्षण मिला है, आप सब जानते हैं कि 1927 में जो जनसंघ बना, वह तो अंग्रेजों के ही कर रहे थे।

(12.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): फिर भी मैं कहना चाहूंगा सर, जैसे कल कैलाशजी मेघवाल बैठे थे, बाकी सारे माननीय सदस्य चले गए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): आप समझ सकते हैं, वह अध्यक्ष रहे हैं, इससे बड़ी दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, वाइण्डअप करें प्लीज।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा दावा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो अनुसूचित जाति के नेता हैं, अगर कोई भी खुलकर अपने मन की बात रखना चाहेंगे तो अगली बार उनकी टिकट काट दी जाएगी।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए आज भी हमारे साथ राजनीतिक मतभेद हैं।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। माननीय सदस्य, हो गया।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय अध्यक्ष महोदय, राहुल गांधीजी से जब मैं मिला था तो उन्होंने एक बात कही थी कि आज भी दलित जातियों पर सवर्ण जातियां अपराध करती हैं लेकिन अगर उनको जेल में नहीं डालेंगे, उस व्यक्ति को जेल में नहीं डालेंगे तो इन जातियों को न्याय कब मिलेगा? इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश में नेता बहुत हैं इस देश में नीति बहुत है, संविधान के प्रावधान हैं लेकिन जिस दिन अम्बेडकर का, कांग्रेस का बनाया हुआ संविधान लागू हो जाएगा इस देश में उस दिन सबसे पहले जाति का खात्मा होगा। जाति के आधार पर छुआछूत नहीं होगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अंत में मैं इतना ही निवेदन करना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से अपील करता हूं कि पूरे देश का वातावरण सुधारें।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा। प्लीज बैठें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, रिकार्ड नहीं होगा। नैक्स्ट दिन आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा। माननीय अध्यक्ष खड़े हैं और आप बोलते जा रहे हैं?

श्री फूल सिंह मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बिल के समर्थन में नेता, उप नेता, प्रतिपक्ष, राठौड़ साहब ने सारी बात रख दी। माननीय अध्यक्ष महोदय, आरक्षण को आगे बढ़ाने के लिए मैं पहले तो बाबा साहेब अम्बेडकरजी को नमन करता हूं कि उन्होंने एससी, एसटी को वास्तव में सम्मान देने का काम किया। अम्बेडकरजी को सम्मान देते हुए आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत में सन् 2011 की जनगणना के आधार पर अनूसचित जाति के 20,13,78,372 लोग हैं, अनुसूचित जनजाति के 10,45,45,716 लोग हैं। इसके आधार पर हमारे अनुसचित जाति के 84 सांसद हैं, अनुसूचित जनजाति के 47 सांसद देश में हमारा प्रतिनिधित्व कर रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतीय जनता पार्टी ने सरकार में रहते हुए वास्तव में इस आरक्षण को बढ़ाने का काम किया। हमारे नेता, उप नेता, प्रतिपक्ष ने बताया कि 20 तारीख से पहले इस सरकार को इसका समर्थन करना चाहिए था, मगर इन्होंने नहीं किया। आज लास्ट तारीख है और इन्होंने आनन-फानन में यह बैठक करके राज्यपाल महोदय को भी इसका समर्थन करने को मजबूर किया। उन्होंने अपने अधिकार का पूरा सदुपयोग नहीं किया। आज लास्ट तारीख को यह समर्थन नहीं भी करते तो भी अन्य राज्यों ने समर्थन कर दिया, हमारे राठौड़ साहब ने उन सभी राज्यों का नाम लिया, आज यह नहीं भी करते तो भी यह कानून पास हो रहा था।

मगर मैं आपको बताना चाहता हूं माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे अम्बेडकरजी ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों को सम्मान दिया। कांग्रेस कहती है कि हमने यह किया, हमने वह किया। 1956 में उनका देहान्त हो गया था मगर 1990 तक उनको भारत रत्न से नवाजा नहीं गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बिल पर बोलें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बोल रहे थे कि यह किया, वह किया।

श्री अध्यक्ष: कुछ नहीं, माननीय सदस्य, बिल पर बोलें, प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बिल पर ही बोल रहा हूं। आज हमारी भारतीय जनता पार्टी ने जो किया, वह ये नहीं कर सकते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताना चाहता हूं कि 2018 के चुनाव से पहले हमारे आरक्षण के बारे में एक बवण्डर फैलाया गया, जो अभी हमारे भाई बोल रहे थे कि हमने पूरा भारत बंद कर दिया, भारत बंद किसने करवाया? इन लोगों ने हवा उड़ा दी कि मोदीजी आ जाएंगे तो आरक्षण खा जाएंगे, आरक्षण समाप्त कर देंगे मगर मोदीजी ने इनको हवा तक नहीं लगने दी और इस आरक्षण के लिए अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति को भड़काने का काम किया। उन्होंने इतना आंदोलन का जो स्वरूप खड़ा किया उसका एससी, एसटी ने वोट के माध्यम से जवाब देकर बता दिया, 25 की 25 सीटों पर इनका बिलकुल बायकाट कर दिया और भारतीय जनता पार्टी को पूरी सीटें दीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, बाबा साहेब द्वारा दिए गए आरक्षण के निमित्त मैं आपको बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, हो गया प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट प्लीज। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बाबा साहेब ने हमारे आरक्षण के लिए जो किया और जनजाति के ये भाई बोल रहे हैं कि हमने एससी, एसटी का सम्मान किया, क्या सम्मान किया? हमारे मानगढ़ धाम के अंदर जलियावालां बाग़ को भी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज। श्री बाबुलाल खराड़ी। माननीय सदस्य, आपका हो गया। माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल का समर्थन करते हुए भारतीय जनता पार्टी को धन्यवाद देता हूं, सरकार की आलोचना करता हूं कि इन्होंने समय रहते हुए बिल का समर्थन नहीं किया। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, श्री बाबुलाल खराड़ी।

श्री बाबुलाल (झाडोल): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे अनुसूचित जाति, जनजाति को विधान सभा और लोक सभा में प्रतिनिधित्व संशोधन बिल पर बोलने के लिए अवसर दिया, इसके लिए आपका आभारी हूं।

(श्री बाबुलाल)

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष अपने-अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। सत्ता पक्ष के लोगों ने कुछ बातें कहीं, कांग्रेस का विचार ही है कि जिसके कारण से अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण का लाभ मिला। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि डाक्टर भीमराव अम्बेडकर जब चुनाव जीते थे तो वह कांग्रेस पार्टी से चुनाव नहीं जीते थे, वह केवल स्वतंत्र पार्टी से चुनाव जीतकर आए थे। कांगेस पार्टी ने उनको हराने के लिए पूरी ताकत लगाई थी। जब उनका विचार था तो आप ठेकेदार किस बात के होते हैं? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि उस समय हमारे सामने कोई पार्टियां नहीं थीं, केवल हमारे सामने कांग्रेस पार्टी थी और हमारे पूर्वज भी कांग्रेस पार्टी में थे। हम सबकी इच्छा थी कि देश आजाद होगा और आजाद होने के बाद हम सब मिलकर देश को ताकतवर बनाएंगे, इस मानसिकता से जब आरक्षण मिला तो हम एक पार्टी के लोग इसका श्रेय नहीं ले सकते और न उस पर अपना अधिकार जता सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि अगर आपकी मानसिकता साफ थी, मन साफ था तो पंचायती राज में 1995 से पहले चुनाव होते थे, गांव में एक सेठ या साहूकार रहता था, वह वहां का सरपंच बनता था, पंचायत समिति में प्रधान बनते थे, जब लोक सभा में पास हो गया पंचायती राज एक्ट में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए तो आपने इंतजार क्यों किया? 1995 में भारतीय जनता पार्टी के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी शेखावत द्वारा कानून लाकर, अधिनियम बनाकर पंचायती राज एक्ट में पंच और सरपंचों में एससी और एसटी को आरक्षण देने का काम किया।

माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर यही आपकी मंशा साफ होती, अनुसूचित जनजाति के प्रति संवेदना होती तो इतने दिन तक आपने देरी क्यों की?

इस कानून के समर्थन में यहां से प्रस्ताव पास करना था तो बीस तारीख को चार दिन के शॉर्ट नोटिस पर आपको विधान सभा का सत्र बुलाकर इसे पास कराने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई? इससे पहले भी बुला सकते थे। केन्द्र में कानून बनने के बाद आपने इतना डिले क्यों किया? यह करने के बाद भी आपकी मंशा साफ नहीं थी या आपने उसे पढ़ा नहीं इसलिये आपने

(श्री बाबुलाल)

आनन-फानन में सत्र बुलाया। जब आप एससी-एसटी की वाहवाही लूटने का काम करते हैं तो आपको समय पर लाना चाहिए था।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि आप इसे देरी से लाये हैं। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के प्रति आपकी सहानुभूति नहीं थी, इसीलिये आपने देरी की। केन्द्र सरकार इसे पूरी सहानुभूति के साथ लायी थी। आपने देरी की, इसका तो मैं विरोध करता हूं, लेकिन इस प्रस्ताव के पक्ष में समर्थन इसलिये करता हूं कि हमारे लोग बरसों से वंचित और दुखी हैं और उन्हें अपनी बात रखने का अधिकार मिले, इसके लिये लोक सभा और विधान सभा में यह आरक्षण मिला था। वे लोग बरसों से वंचित थे। राज में उनकी भागीदारी नहीं थी। वे अपनी बात कह सकें, इसके लिये एक मंच पर लाने का काम डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून के द्वारा हुआ।

आज हम लोग बड़े गर्व के साथ यहां मंच पर खड़े होकर हमारे समाज की चिंता करते हैं, हक की बात कहते हैं, इसलिये मैं इस कानून का समर्थन करता हूं। आप देरी से लाये, इसके लिये मैं आपका विरोध करता हूं। यही कहकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री बी.डी. कल्ला।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने जो प्रस्ताव 126वें संशोधन विधेयक, 2019 द्वारा प्रस्तुत किया है, मैं उसका समर्थन करता हूं। सबसे पहले तो माननीय सदस्यों द्वारा सदन को आहूत करने के बारे में जो बातें बतायीं, मैं कहना चाहता हूं कि कल आपके एक बहुत ही सीनियर माननीय सदस्य जो पूर्व स्पीकर रहे हुए हैं, आज समाचार पत्रों में पढ़ने से पता लगा उन्होंने स्वयं विरोध किया कि आप अपने ही कार्यकाल में सदन को शॉर्ट अवधि में राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-1 के अंतर्गत बुला सकते हैं तो हम भी बुला सकते हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज सुनें। Have patience.

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अभी कोई लास्ट डेट गयी नहीं है। उससे पहले हम इसका अनुसमर्थन कर रहे हैं। आपके मन में तो बात कुछ और है और कहते कुछ और हैं। अभी कुछ लोगों ने कहा, ''मुंह में राम, बगल में छुरी''। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की सरकार ने यहां राजस्थान

(डा. बुलाकी दास कल्ला)

में अम्बेडकर यूनिवर्सिटी खोली थी और आपने पिछले पांच सालों में आते ही उसे बंद कर दिया।

मुझे सदन को बताते हुए खुशी है कि जब इस सरकार के मंत्रिमण्डल की पहली बैठक हुई तो उसमें डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी को हमने शुरू किया। यह है आपकी कथनी और करनी का अंतर। इसके बाद आप देखिये चूरू से आने वाले माननीय सदस्य ने यह बताया कि आर्टिकल 330 के अंतर्गत इनकी अवधि बढ़ायी जाती है, आर्टिकल 332 के अंतर्गत विधान सभा, आर्टिकल 334 के अंतर्गत लोक सभा के सदस्यों के आरक्षण की अवधि बढ़ायी जाती है। ये सब बातें तो संविधान में लिखी हुई हैं लेकिन आप यह बात करें कि इसकी शुरुआत किसने की। आप भारत सरकार अधिनियम, 1909, भारत सरकार अधिनियम, 1919, भारत सरकार अधिनियम, 1935 को पढ़ें। उसमें आरक्षण की व्यवस्था किसने की थी? कांग्रेस ने की थी। कांग्रेस ने उस समय स्वायत्तशासी संस्थाओं में आरक्षण की व्यवस्था करके इस देश को बताया कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, जो शोषित हैं, पीड़ित हैं, उनके आरक्षण की व्यवस्था करनी होगी।

मैं तो आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी को याद करना चाहता हूं। जब वे सेवाग्राम में अपने पाखाने को साफ कर रहे थे, उस समय एक सेवक ने कहा कि बापू आप यह क्या काम कर रहे हैं, यह काम हम करेंगे तो उन्होंने कहा कि नहीं, जो गंदगी फैलाता है, उसी को उस गंदगी साफ करने की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए। आप लोग ईमानदारी से अपनी आत्मा का अवलोकन करके सोचें कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी, यह बात कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कही। आपके नेताओं ने कहा कि हम आरक्षण समाप्त करेंगे, हम आरक्षण की समीक्षा करेंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, ये रिकार्ड पर गलत बात बोल रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। यह नहीं होगा। अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री अध्यक्ष: यह कोई तरीका नहीं है कि आप बोलें और दूसरा नहीं बोलेगा। Have some patience. यह कोई तरीका नहीं है। माननीय मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, ये नाम पूछना चाहते हैं। नाम मत पूछें। मैं बता दूंगा, फिर आप लोग कहने लगेंगे।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): आप नाम बता दें मंत्री जी।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): +++ ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा की जाएगी। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बिलकुल नहीं कहा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठें आप।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अखबारों की कटिंग बता सकता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें। माननीय मंत्री जी, जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, आप उनके बारे में विवरण नहीं देंगे। (व्यवधान) बैठें प्लीज। जो इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनके बारे में नहीं बोलेंगे। (व्यवधान) माननीय मंत्री जी, डिबेट को उसके स्कोप के अंदर डिस्कस करें। जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, उनका विवरण न दें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): ऐसा है, पूर्व प्रधान मंत्री नेहरू जी....

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैंने जो बात कही है, उस पर कमेंट नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): नहीं, नहीं, मैं कमेंट नहीं कर रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपसे फिर निवेदन कर रहा हूं कि आप कृपया डिबेट के स्कोप में बोलें। जो लोग इस सदन के सदस्य नहीं हैं, जो अपनी बात रिफ्यूट नहीं कर सकते, उनके बारे में चर्चा नहीं करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को यह बताना चाहता हूं, आर्टिकल 338 और 338 ए के अंतर्गत सामाजिक न्याय दिलाने के लिये एससी और एसटी कमीशन का गठन किया गया। ये सब कांग्रेस की देन है। उसके बाद वक्त-वक्त पर संविधान संशोधन विधेयक लाकर आरक्षण की अवधि को बढ़ाने का काम कांग्रेस पार्टी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

ने किया। अभी झाडोल से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे, पंचायती राज संशोधन विधेयक को भैरोंसिंह जी शेखावत ने पास किया। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस विधान सभा को बताते हुए खुशी होती है कि ये संशोधन संविधान के 74वें और 75वें संशोधन विधेयक के माध्यम से राजीव गांधी जी के कार्यकाल में हुए थे और एससी-एसटी को आरक्षण दिया गया था। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य...

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): उन्होंने एक बात कही है तो मेरा फर्ज बनता है कि मैं उसका उत्तर दूं। ये अपने आपको करेक्ट कर लें। ये आरक्षण भी कांग्रेस ने दिये। उसके बाद कुछ लोगों ने यहां गैस कनेक्शंस की बात की। गैस कनेक्शंस जरूर दिये गये, लेकिन उन्हें जो सब्सिडी मिलती है, उस सब्सिडी में से वे पैसे काटे गये। आज कम से कम पांच करोड़ में से अधिकांश कनेक्शन ऐसे हैं जो पड़े हुए हैं। एक बार गैस का कनेक्शन आया, उसके बाद कनेक्शन ले ही नहीं पाये। आप कहते हैं, ''मोदी है तो मुमकिन है'', मैं कहता हूं महंगाई मुमकिन है बेरोजगारी मुमकिन है, विकास की दर घट रही है, यह मुमकिन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठें। मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। प्लीज बैठें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आपके होते हुए ये इर्रेलेवेंट बोल रहे हैं। बिना तैयारी के बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मेरा काम है, मुझे करने दीजिए। माननीय मंत्री जी, आप वाइंड-अप करें, प्लीज।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): दूदू से आने वाले माननीय सदस्य ने नरसिम्हा राव जी के वक्त की बात की थी, उसके सम्बन्ध में भी मेरा यह कहना है आप उस पर विचार करें कि हकीकत में वक्त-वक्त पर आप लोगों ने अपने विचार इस सम्बन्ध में जो दिये हैं, उन पर आपको आत्मावलोकन करने की आवश्यकता है। जहां तक धानका, नायक- इनके प्रमाण पत्रों की कंट्रोवर्सी भी मैं समझता हूं कि हमारे राज्य में नहीं हुई। अभी एक संशोधन बिल आया था। इन कंट्रोवर्सीज को दूर करना था तो इनके बारे में भी विचार करना चाहिए था। इसके अलावा जब-जब भी कांग्रेस की हमारी

(श्री बुलाकी दास कल्ला)

सरकार रही है, हमने शोषित और पीड़ित पक्ष को सामाजिक न्याय मिले, इसकी पूरी पैरवी की है, उनका पूरा ध्यान रखा है और आगे भी हम सदन को विश्वास दिलाते हैं कि हम शोषित और पीडित वर्ग की रक्षा करेंगे।

यह जो बिल आया है इसका मैं पुरजोर अनुसमर्थन करता हूं और आपको भी यह कहता हूं कि आप विरोध तो करना चाहते हैं लेकिन अलग-अलग तरीके से जैसे जालौर से आने वाले माननीय सदस्य गर्ग साहब ने तो इस बिल का समर्थन भी नहीं किया, आप प्रोसीडिंग उठाकर देख लें। संकल्प का समर्थन करना चाहिए था वह भी करना आप भूल गये। मैं इसका पुरजोर समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप और हम सब लोग शोषित और पीड़ित वर्ग के प्रति संवेदनशील बनें और हमेशा उनको न्याय मिले इस प्रकार का कार्य करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से 126वें संशोधन, एससी, एसटी के पक्ष में अपना समर्थन व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सरकार से यह कहना चाहूंगा कि जब लोक सभा में 10 दिसम्बर को पास हो गया, राज्य सभा में 12 तारीख को हुआ, सरकार के पास 20 दिसम्बर को आ गया और 27 दिसम्बर को विधान सभा के सचिव ने सैक्रेटेरिएट को लिखा, उसके बाद जो इतना समय हुआ, डेडलाइन दिये जाने के बाद भी सरकार एससी, एसटी वर्गों के प्रति गम्भीर नहीं है यह मेरा सीधा-सीधा आरोप है। इस विधान सभा में हम 34 एससी के और 25 एसटी वर्ग के लोग चुनकर आते हैं। मैं इस वक्त डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करना चाहूंगा जिनकी वजह से आज राजस्थान की विधान सभा में और देश के पार्लियामेंट में हम एससी, एसटी वर्ग के लोग चुनकर जाते हैं। 330 के अन्तर्गत शिड्यूल्ड कास्ट और 332 के अन्तर्गत शिड्यूल्ड ट्राइब्स को आरक्षण मिला है। सरकार ने इस संकल्प को देरी से लाकर, 21 तारीख को जब भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ने साइन कर दिये, 19 विधान सभा में यह पास होकर चला गया तो राजस्थान की विधान सभा में यह देरी से पास करने की सरकार की क्या मन्शा रही और एससी, एसटी वर्ग के लोगों के प्रति इनका रवैया सही नहीं है यह मैं स्पष्ट करना चाहूंगा। हमारे भारत के प्रधान मंत्री जी ने, लोक सभा और राज्य सभा ने 10 वर्ष बढ़ाने के लिए जब 10

(श्री अमृतलाल मीणा)

तारीख को पास कर दिया और पूरे हिन्दुस्तान में 20 करोड़ से अधिक एससी वर्ग और 10 करोड़ से अधिक एसटी वर्ग के हम लोग हैं जिनको हमें 22.5 परसेंट आरक्षण मिला है। मैं इस मौके पर पूर्व मुख्य मंत्री भैरोंसिंह शेखावत साहब के लिए कहना चाहूंगा कि जो मेवाड़ा क्षेत्र है जिसमें हमें आज उन्हीं का आरक्षण दिया हुआ है। 1995 में उनकी वजह से जिला प्रमुख, पंचायत समिति का प्रधान, सरपंच, अन्य लोगों को आरक्षण नियम 132 के अन्तर्गत मिला है। मैं इसका समर्थन करता हुआ धन्यवाद देता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री पुखराज गर्ग।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने इस महत्वपूर्ण चर्चा पर मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद।

माननीय, मैं इस मौके पर उस विभूति को, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को याद करना चाहूंगा जिन्होंने 20 नवम्बर, 1930 को गोलमेज सम्मेलन में एक सूची बनाकर दी थी उसके अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के जो प्रावधान उस सूची में थे वही सूची आगे जाकर संविधान की मूल भावना बनी और उसी संविधान में बाबा साहब ने आरक्षण का प्रावधान किया। उस प्रावधान के तहत जो समय-समय पर राजनैतिक आरक्षण बढ़ाया जा रहा है उसका जो संकल्प पत्र लाया गया है उस संकल्प पत्र का मैं समर्थन करता हूं लेकिन जिस तरीके से आनन-फानन में यह सत्र बुलाया गया, इसकी भर्त्सना करता हूं। जय हिन्द, जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री बलवान पूनियां।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अन्तर्गत आने वाले संशोधनों, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 का मैं और मेरी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी समर्थन करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, यह आरक्षण राजनैतिक रूप से हर दसवें साल बढ़ाया गया है। इस आरक्षण में कुछ चीजें और जोड़ने की जरूरत है। अभी जिस तरीके से निजी क्षेत्र बढ़ रहा है, लोगों के काम-धन्धे भी निजी क्षेत्र में बढ़ रहे

(श्री बलवान पूनियां)

हैं, नौकरियों की मांग भी निजी क्षेत्र में बढ़ रही है इसलिए राज्य और केन्द्र, दोनों सरकारों को निजी क्षेत्र में भी आरक्षण की व्यवस्था को लागू करना चाहिए। अध्यक्ष महोदय, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि अभी जिस तरीके से 'मुंह में राम बगल में छुरी' की बात आई, मैं बी.डी. कल्ला जी की इस बात से सहमत हूं कि हिन्दुस्तान में चर्चा चली थी तब 2 अप्रैल को भारत बन्द हुआ था। जब आरक्षण पर चर्चा चली कि इसकी समीक्षा की जाएगी तो भय पैदा हुआ था कि क्या ये आरक्षण को खतम करने की बात कर रहे हैं। क्योंकि आज भी सामंती सोच के लोग राज सत्ता में जो जाकर बैठ गये, आज भी समाज में जिस तरीके से भेदभाव की बातें चल रही हैं, जिस तरीके से कल सरपंच का चुनाव हुआ, सरपंच जीता तो कुछ जाति विशेष के लोगों ने उसका कत्ल कर दिया और आज भी लोगों को घोड़ी पर चढ़ने से रोका जा रहा है। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हम चाहते हैं कि संविधान में जो आरक्षण का प्रावधान बाबा साहब ने किया और सरकारों ने इसको उत्तरोत्तर आगे बढ़ाया इसका परिलक्षण समाज के भीतर तक जाए और समाज में एकरूपता बढ़े। धानका जाति की बात उठी थी, अध्यक्ष महोदय, एक छोटी सी बात है, हमारे राज्य में धानक और धानका का जो विभेद आ रहा है, धानका को शिड्यूल्ड ट्राइब में शामिल किया जाए, यह मेरे जिले में भी मांग उठी है।

श्री अध्यक्ष: यह बिल के अन्दर नहीं है।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): एक छोटा सा निवेदन यह है कि आरक्षण है तो फिर जो महिलाएं दूसरे राज्यों से हमारे राज्य में ब्याही हुई हैं उनको आरक्षण का लाभ क्यों नहीं मिल रहा है? सरकार इसको करेक्ट करे।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, संसदीय कार्य मंत्री जी संकल्प रखें उससे पहले मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: संकल्प नहीं है, उसमें बोल रहे हैं। मंत्री जी खड़े हो गये, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह साल का पहला सत्र है और पहले सत्र में

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राज्यपाल का अभिभाषण नियमानुसार होना आवश्यक होता है। किसी भी सरकार में राज्यपाल के अभिभाषण की तैयारी के लिए विभिन्न विभागों से सूचनाएं मंगवाई जाती हैं उसमें कम से कम 10 से 12 दिन का समय लगता है। इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए कि आखिर अभिभाषण की तैयारी के लिए समय लगेगा या नहीं लगेगा? आप उसको तो कैलकुलेट कर रहे हो कि देरी हो गई। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि क्या भारतीय जनता पार्टी के सारे राज्यों ने इसका समर्थन कर दिया? कर्नाटक ने कर दिया? आपके समर्थन से मिजोरम में सरकार चल रही है, सिक्किम में चल रही है, क्या उन्होंने कर दिया? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज। डिस्टर्ब न करें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): दूसरी बात, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि प्रक्रिया के नियमानुसार विधेयक की छपी हुई कापी और दोनों सदनों के बीच में जो चर्चा चली है उसकी प्रति पहले यहां पर आना आवश्यक होता है और हर मैम्बर को सर्कुलेट किया जाना चाहिए। वह केन्द्र सरकार की गलती थी। ((व्यवधान) वह पहले ही यहां आना चाहिए था।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): कौनसे रूल में है? (व्यवधान) आप तो हवा में बात कर रहे हैं, रूल बतायें कि कौनसे रूल में है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज, बैठें। (व्यवधान) आप खुद पढ़ें, नियम पढ़ लें। नियम पढ़ लें बोलने से पहले। प्लीज नियम पढ़ लें। आप बार-बार उत्तेजित नहीं हों, नियम पढ़ लें। बोलने दें मंत्री जी को।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उप नेता महोदय, आपने मुझे कई बार इंगित किया। मैं आज आपको इंगित करके कहता हूं कि आप एससी, एसटी के बड़े समर्थक बनते हों, सात में से पांच बार कांग्रेस की सरकार ने 10-10 साल बढ़ाये हैं, आपने नहीं बढ़ाये हैं, पांच बार। दूसरी बात मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप लोग 70-75 सदस्यों की फौज लेकर बैठे हुए हो, क्या आपकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि आप सरकार को चेताते, आपको चेताना चाहिए था कि आप क्यों नहीं असेम्बली बुलवा रहे हो, यह गलती किसकी थी, फिर विपक्ष क्या है?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बात सुन नहीं सकते। आप लोग नहीं सुनेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप किस बात के विपक्ष हो, आपने विपक्ष होने का पूरा अधिकार ही खो दिया। असल में देखा जाए तो विपक्ष जो है, +++ है ये...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मेरा ऐतराज है। ये सब सुनने के लिए नहीं आए हम, नो-नो अध्यक्ष महोदय, ये सब सुनने के लिए नहीं आए हैं। ये +++ हैं, ये कौन हैं, ये सब सुनने के लिए नहीं आए हैं। कैसे बोल दिया।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम है या आपका काम है।

श्री सुभाष पूनिया (सूरजगढ़): ये कोई तरीका है क्या, कल हम इनके लिए भी कहेंगे ये बात, माफी मांगेंगे।

श्री अध्यक्ष: मेरा काम है। बैठ जाइये, मेरा काम है आप नहीं करेंगे। यह मेरा काम है, प्लीज बैठे, कोई शब्द असंसदीय है, तो निकालना मेरा काम है। मेरा काम है, आपका काम नहीं है। आप बैठिए प्लीज, आप अपनी जगह पर बैठें, कोई शब्द असंसदीय है निकालने की जिम्मेदारी मेरी है, आपकी नहीं है। आप माननीय सदस्य को बाहर ले जा सकते, असंसदीय शब्द को निकालने की जिम्मेदारी मेरी है। असंसदीय शब्द है वह रिकार्ड में नहीं होगा। आप बैठें प्लीज, नीचे बैठें प्लीज, आपके स्प्रिंग लगी हुई है क्या। बारम्बार खड़े होते हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुछ अधिकार हमारे हैं, चूंकि हम सरकार में बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ कर्तव्य इनके भी हैं। क्या यह इनका कर्तव्य नहीं बनता था कि वे सरकार को चेताते, ये चेता नहीं सकें, यह सबसे बड़ा नैक्सस था, इनके पास में।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे। वाइंड-अप कर दूंगा मैं। डिबेट बंद कर दीजिए, हाउस बंद कर दीजिए, आपमें पेशेंस नहीं हैं। आपकी बात को सब सुनें, दूसरी की बात आप नहीं सुनेंगे। आपको अधिकार है जब आप बोले तो अपनी बात कहें, माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, सुनें उस बात को।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): राजस्थान की जनता इसीलिए इस विपक्ष को नाकारा विपक्ष कहती है। अध्यक्ष महोदय, ये बिलकुल नाकारा लोग हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज बैठें, आप बैठें प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस संकल्प का अनुसमर्थन मंजूर किया जाए।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। प्रश्न यह है कि सदन भारत के संविधान के अनुच्छेद-368 के खण्ड (2) के परन्तुक के खण्ड (घ) की परिधि के अंतर्गत आने वाले संशोधनों, जो संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (एक सौ छब्बीसवां संशोधन) विधेयक, 2019 द्वारा किया जाना प्रस्तावित है, का अनुसमर्थन करता है।

(स्वीकृत)

संविधान संशोधन का अनुसमर्थन किया गया।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल, संसदीय कार्य मंत्री, संकल्प पर विचार एवं पारण हेतु प्रस्तुत करेंगे। माननीय मंत्री जी, एक मिनट।

व्यवस्था का प्रश्न

जो विषय राज्य का न हो, उससे संबंधित संकल्प पर राज्य विधान सभा में विचार नहीं किया जा सकता

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं सदन का ध्यान राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी के नियमों के नियम 106 की तरफ दिलाना चाहता हूं। जिसमें संकल्प की सूचना है और उसके बाद 109, अध्यक्ष महोदय, मुलाहिजा फर्माएं, 109 (5) में लिखा है, संकल्प उस विषय से संबंधित नहीं होगा, जो मुख्यत: राज्य सरकार का विषय न हो, नम्बर एक।

नम्बर दो, वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा जो भारत के किसी भाग के क्षेत्राधिकार में रखने वाले किसी न्यायालय के न्याय-निर्णय के अंतर्गत हो। इसी प्रकार अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान नियमों के नियम 119 के नियम 8 की ओर दिलाना चाहता हूं, जिसमें लोक हित के प्रस्ताव की बात की गई है। उसमें लिखा है कि वह किसी ऐसे विषय से संबंधित नहीं होगा, जो भारत के किसी भाग में क्षेत्राधिकार रखने वाले किसी न्यायालय के न्यायिक निर्णय के अंतर्गत हो। अध्यक्ष महादेय, ये जो नागरिकता संशोधन विधेयक है, इसकी 142 रिट पिटीशन पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने तीन दिन पहले प्रसंज्ञान लिया, केन्द्र सरकार को उन्होंने नोटिस देकर चार सप्ताह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

का समय दिया है। जो चीज आज माननीय उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन हो, उस पर ये सदन विचार करे, यह सदन के नियमों के प्रतिकूल है।

दूसरा निवेदन मैं करूंगा अध्यक्ष महोदय, अब ये एक्ट बन चुका है। यह एक्ट सेन्ट्रल सूची का एक्ट है। इस पर वैसे भी कोई वैधानिक अधिकार नहीं है। आप आर्टिकल 256 पढ़ लें, उसके अंदर साफ लिखा है कि आप सिर्फ केन्द्रीय सरकार की केन्द्रीय सूची के अनुसार बने किसी विधान को लागू करने की बात करोगे, ये सिर्फ अपने नेता को खुश करने के लिए इस प्रकार का संकल्प लाये हैं। इसलिए मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मंत्री महोदय, आप अपने संकल्प को वापस लें और अध्यक्ष महोदय, आप दूसरे विषय पर भी लें।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष महोदय, मैं कुछ कहना चाहता हूं। शासकीय संकल्प से पहले मैं छोटा सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें, प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में हनुमानगढ़ जिले में टिड्डी आई हुई है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज, सुन नहीं रहे हैं। आप नीचे बैठें, यह कोई तरीका नहीं है, अध्यक्ष खड़े हैं और आप बोले जाते हैं।

व्यवस्था

राज्य में अभिव्यक्ति के सर्वोच्च माध्यम सदन में अभिव्यक्ति की अनुमति

माननीय सदस्य, आपने जो व्यवस्था का प्रश्न उठाया है। उस संकल्प को पढ़ लें, इस संकल्प में कहीं भी आपके द्वारा उठाये गये आब्जेक्शन का रेलेवेंस ही नहीं है। भारत का एक नागरिक अपना विचार व्यक्त कर सकता है। सदन अपना विचार व्यक्त कर सकता है। यह विचार की अभिव्यक्ति है। इसके अन्दर कानून की किसी प्रक्रिया का हनन नहीं है, ईवन सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया है उसमें यह कहा गया है कि हाई कोर्ट की सारी पिटीशन को मान लिया जाए। तब भी उन्होंने कहा कि नई पिटीशन को भी हम लेंगे। इसीलिए अपनी भावना को अभिव्यक्त करने का यह माध्यम विधान सभा है। क्योंकि, यह कानून लागू होगा, राज्य में भी लागू होगा, राज्य के लोगों की भावना को अभिव्यक्त करने के लिए इससे बड़ा कोई प्लेटफार्म नहीं हो सकता

(श्री अध्यक्ष)

है। इसलिए सदन में अभिव्यक्ति की मैं इजाजत देता हूं। माननीय मंत्री जी, संकल्प रखें। माननीय बैठें, प्लीज बैठें, आप बैठ जाओ प्लीज, माननीय कटारियाजी, प्लीज मैंने मंत्रीजी को पुकार लिया, प्लीज बैठें, मेरी रूलिंग को रूल नहीं करूंगा, प्लीज बैठें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, संविधान के उपबंधों के उल्लंघन का, यह संविधान के उपबंधों...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बैठें, प्लीज बैठें, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: रिकार्ड नहीं होगा, आपको वाक-आउट करना है, वाक-आउट कर दें, रिकार्ड नहीं होगा।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: आप वाक-आउट करिए, आप वाक-आउट करिए, you can't dictate me. बैठिए आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकते हैं। आप मुझे डिक्टेट नहीं करा सकते। आप बैठिए, नहीं सुनना है तो बाहर जाइए सदन से, बाहर जाइए, आप बाहर जा सकते हैं, आप बाहर जा सकते हैं। you can't dictate me. आप बाहर वाक-आउट कर सकते हैं। माननीय मंत्री जी, आप संकल्प रखिए, आप वाक-आउट कर सकते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री अध्यक्ष: रखिए आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): 000

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में प्रवेश)

शासकीय संकल्प

भारत सरकार से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरसित करने का आग्रह

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारे देश के संविधान के प्रस्ताव

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

में यह स्पष्ट कथन है कि भारत एक धर्म निरपेक्ष देश है। यह संविधान की एक आधारभूत विशेषता है जिसे परिवर्तित नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त, संविधान का अनुच्छेद 14 स्पष्ट रूप से यह निश्चित करता है कि राज्य, भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समता से या विधियों के समान संरक्षण से वंचित नहीं करेगा।

तथापि, नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 (सी.ए.ए.), जिसे हाल ही में संसद के द्वारा अधिनियमित किया गया है, का लक्ष्य धर्म के आधार पर अवैध प्रवासियों में विभेद करना है। धर्म के आधार पर लोगों में ऐसा विभेद संविधान में प्रतिष्ठित पंथनिरपेक्ष आदर्शों के अनुरूप नहीं है और यह स्पष्ट रूप से अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है। वस्तुतः, स्वतंत्रता के पश्चात् देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा कानून अधिनियमित किया गया है, जो लोगों में धर्म के आधार पर विभेद करता है। इससे देश का पंथनिरपेक्ष ताना-बाना जोखिम में पड़ जाएगा। इसके अतिरिक्त अन्य पड़ोसी देश जैसे श्रीलंका, म्यांमार, नेपाल, भूटान इत्यादि देशों से आने वाले प्रवासियों के संबंध में नागरिकता संशोधन अधिनियम में कोई नवीन प्रावधान नहीं किया गया है। ऐसा क्यों किया गया है, इसकी आशंका भी जनमानस में है। यही कारण है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (सी.ए.ए.) से देश भर में गहरा मनस्ताप और व्यापक विरोध हुआ है। राजस्थान राज्य में भी इस विधायन के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन देखे गये हैं।

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जो शांतिपूर्ण रहे हैं और जिनमें हमारे समाज के सभी वर्ग शामिल थे।

इन तथ्यों की पृष्ठभूमि में यह स्पष्ट है कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम संविधान के उपबंधों को उल्लंघन करता है। इसलिए नागरिकता प्रदान करने में धर्म के आधार पर किसी विभेद से बचने के लिए और भारत में समस्त धार्मिक समूहों के लिए विधि के समक्ष समता को सुनिश्चित करने के लिए, यह सदन भारत सरकार से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को निरसित करने के लिए आग्रह करने का संकल्प करता है।

इसी प्रकार, देश में लोगों के एक बड़े वर्ग में व्यापक आशंका है कि

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (एन.आर.सी.) की ही एक प्रस्तावना है, और कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम के माध्यम से किये गये हाल ही के संशोधन जो कि धार्मिक आधारों पर लोगों में विभेद करते हैं, जो व्यक्तियों के एक वर्ग को भारत की नागरिकता से वंचित करने के लिए बनाये गये हैं। इसके अतिरिक्त, देश में रह रहे समस्त व्यक्तियों से चाही जाने वाली प्रस्तावित अतिरिक्त सूचना से बड़े पैमाने पर जनसंख्या को बड़ी असुविधा होने की संभावना है जिसका कोई वास्तविक लाभ नहीं होगा। आसाम राज्य इसका जीवंत उदाहरण है। इसलिए, यह सदन केन्द्रीय सरकार से यह आग्रह करने का भी संकल्प करता है कि केन्द्रीय सरकार को नागरिकता (संशोधन) अधिनियम को प्रतिसंहृत करने के साथ-साथ, और इसलिए कि लोगों के मन में ऐसी आशंकाओं को दूर किया जाये, ऐसी नयी सूचनाओं, जिन्हें राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.), 2020 में अद्यतन करने के लिए चाहा गया है, को भी वापस लेना चाहिए, उसके पश्चात् ही राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (एन.पी.आर.) के अधीन गणना करने का कार्य हाथ में लेना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, यदि भाग लेना चाहें। श्री सतीश पूनियां, यदि भाग लेना चाहें। यदि डिबेट में भाग लेना चाहें, श्री सतीश पूनियां। माननीय सदस्य, प्लीज आवाज नहीं करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय, मैं भारतीय लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था सदन द्वारा पारित एवं लागू प्रभावी कानून नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 का पुरजोर समर्थन करता हूं और इसके लिए वर्षों से पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में पीड़ित एवं प्रताड़ित हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, बौद्ध एवं जैन विस्थापितों को भारत की नागरिकता देने के लिए माननीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी एवं देश के गृह मंत्री श्री अमित शाह जी का आभार और अभिनन्दन करता हूं।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं जानता हूं कि समय की मर्यादा है और इस बात का उल्लेख यहां हो चुका है कि केन्द्र की सूची के संदर्भ में कोई संकल्प विधान परिषद् पारित नहीं कर सकती। न्यायालय के अधीन जो सबजुडिस मसले हैं उन पर कोई सदन चर्चा नहीं कर सकता फिर भी आपने इजाजत दी, मुझे लगता है मुझसे ज्यादा आप ज्ञानी हैं लेकिन मैं इस

(श्री सतीश पूनियां)

नागरिकता (संशोधन) कानून की पृष्ठभूमि पर कुछ बात निश्चित रूप से कहूंगा और अपनी समय की मर्यादा में करूंगा।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत ज्यादा इतिहास में नहीं जाऊं तो एक समय था जब भारत विश्व गुरू था, समृद्ध था, सनातन था, गौरवशाली था। काल के थपेड़ों ने, मुगलों के आक्रमण ने, अंग्रेजों की हुकूमत ने इस देश को तोड़ा और मैं उस इतिहास में भी नहीं जाऊंगा। आप सब लोग वाकिफ हैं। 1947 भारत की आजादी का दिन, भारत की आजादी का सवेरा, लेकिन 14 अगस्त, 1947 की रात वह काली रात थी, जिस तरीके का दृश्य उत्पन्न हुआ उससे आप सब वाकिफ हैं। इतिहास में न किसी दल ने लिखा, न किसी व्यक्ति, पंथ और बिरादरी ने लिखा, लेकिन ट्रेनें कट कर आती थीं। लाहौर से चलती थी और यह संदेश आता था कि यह भारत को तोहफा है। विभाजन दो लोगों की महत्वाकांक्षाओं पर हुआ, इतिहास साक्षी है। पण्डित नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना। भारत बना, भारत आजाद हुआ। भारत लोकतंत्र बना, लेकिन पाकिस्तान की बुनियाद इस्लामिक देश के नाते यह उनके संविधान में साफ तौर पर लिखी है, मित्रों। उसके बाद 1971 में बांग्लादेश बना, लेकिन बीच के काल खण्ड में 1950 में नेहरू और लियाकत का समझौता हुआ मित्रों। उस समझौते में यह साफ लिखा हुआ था कि अल्पसंख्यक बिरादरी के सम्मान के हितों की रक्षा होगी, भारत इन शर्तों पर खरा उतरा लेकिन पाकिस्तान खरा नहीं उतरा। मेरे पास कुछ ऐसे साक्ष्य हैं जो कुछ मौजूदा नेताओं के उन भाषणों से, उनके ट्विटर, उनके लेख से संबद्ध है। कुछ इतिहास के तथ्य हैं। आप सब लोग, हम सदन के तमाम लोग स्वामी विवेकानन्द जी का अनुसरण करते हैं। विवेकानन्द जी किसी दल के नहीं थे। किसी पंथ और मजहब के नहीं थे लेकिन 1893 में शिकागो के उनके भाषण की गूंज पूरी दुनिया में आज भी सुनाई देती है। उन्होंने कहा था, 'मेरा सौभाग्य है, मैं दुनिया की ऐसी धरती पर पैदा हुआ जो सब धर्मों का सम्मान करता है, उनको शरण देता है।' यहां से शुरूआत होती है किसी भी देश को उनको शरण देने की। आप और हम सब लोग महात्मा गांधी जी से वाकिफ हैं। उनके अनुयायी हैं। उनकी चर्चा अक्सर हम लोग करते हैं और समय-समय पर महात्मा जी ने जो बातें कहीं उनका अनुसरण हम लोग करते हैं। उनकी 150वीं जयंती हम लोगों ने मनाई। उनकी 150वीं जयंती पर बहुत सारे संकल्प लिये लेकिन महात्मा जी के कई संकल्पों में एक संकल्प यह भी मुखर रूप से था। उन्होंने 26 सितम्बर, 1947

(श्री सतीश पूनियां)

को एक प्रार्थना सभा में कहा कि पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू और सिख हर नजरिये से भारत आ सकते हैं अगर वे वहां निवास नहीं करना चाहते उस स्थिति में उन्हें नौकरी देना और उनके जीवन को सामान्य बनाना यह भारत सरकार का कर्तव्य है। यह महात्मा गांधी जी का कोट है जो इतिहास सिद्ध है।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं भारत के प्रथम प्रधान मंत्री जवाहर लाल नेहरू जी ने नेशनल हेराल्ड में 25 जनवरी, 1948 को कहा, 'मुझे लगता है कि जब केन्द्रीय राहत कोष का उपयोग वांछनीय होगा, जिसका उपयोग किसी भी प्रकार की आपातकालीन सहायता के रूप में किया जा सकता है लेकिन जिसका उपयोग अब विशेष रूप से पाकिस्तान से आये शरणार्थियों के राहत और पुनर्वास के लिए किया जाना चाहिए जो भारत आये हैं।' यह पण्डित नेहरू जी का लिखा हुआ नेशनल हेराल्ड का 25 जनवरी, 1948 का है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, त्रिविध कुमार चौधरी, एन.एस. मुखर्जी, राम मनोहर लोहिया, आई.के. गुजराल साहब, इंदिरा गांधी जी। 24 मई, 1971 को इंदिरा जी ने लिखा, '15 और 16 मई को मैंने असम, त्रिपुरा और पश्चिमी बंगाल का दौरा किया। बांग्लादेश से आये शरणार्थियों की पीड़ा को साझा किया। उन्हें इस सदन और भारत के लोगों की सहानुभूति और समर्थन के लिए स्वयं पूरी व्यवस्था पर नजर रखने के लिए जो उनकी देखभाल के लिए उपलब्ध करवाई जा रही है।' यह इंदिरा जी ने कहा।

(12.47 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

मैं यह मानता हूं कि इतिहास में जो गलतियां हुईं उनको सुधारने का और दुरुस्त करने का यह बिल है। मैं मानता हूं कि नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में धार्मिक उत्पीड़न के शिकार असंख्य शरणार्थियों के जीवन में आशा की एक नयी किरण लेकर आया है। धर्म के आधार पर भारत विभाजन का दंश झेल रहे अगणित परिवारों को इससे नया जीवन मिलेगा। उत्पीड़ित, त्यक्त एवं निराश्रित लोगों को गले लगाकर यह भारत के वसुधैव कुटुम्बकम् की प्राचीन परम्परा का अनुसरण ही करेगा इसलिए नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने वाला तथा पाकिस्तान और बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों को बड़ी राहत देने वाला है। डॉन अख़बार में 13 मई,

(श्री सतीश पूनियां)

2014 को लिखा, 'धार्मिक आधार पर भेदभाव एक शर्मनाक घटना है जिसका किसी भी राष्ट्र में होना वहां के मानवीय मूल्यों का ह्रास दर्शाता है।' पाकिस्तान की नेशनल असेम्बली के अनुसार हर साल पांच हजार विस्थापित हिन्दू भारत आते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इससे पहले भी समय-समय पर भारत में इस तरीके के विस्थापित बन्धु भारत में आते रहे। 1972 में ईदी अमीन के शासन काल में जब मूल भारतवंशियों पर अत्याचार हुए तो युगांडा संकट के समय भारतीय मूल के लोगों को इंदिरा सरकार ने नागरिकता दी थी। श्रीलंकाई संकट के समय नागरिकता प्रदान की गई। 1964 से लेकर 2008 तक 4 लाख 61 हजार भारतीय मूल के तमिलों को नागरिकता मिली। पिछले 6 वर्षों में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से लगभग चार हजार लोग जिसमें सौ के लगभग मुस्लिम समुदाय के लोग भी थे उनको नागरिकता मिली। जब 50 बांगलादेशी एंक्लेव भारत में शामिल किये गये तब इन चार हजार के अलावा 14864 बांग्लादेशी राष्ट्रीयता के लोगों को नागरिकता दी गई। 1962 और 1978 के दौरान लगभग 2 लाख भारतीय मूल के लोगों को नागरिकता दी गई। 1965 और 1971 के युद्ध के समय विस्थापितों को नागरिकता देने के लिए 2004 में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने गुजरात और राजस्थान के 5 जिलों के कलेक्टरों को नागरिकता देने के लिए अधिकृत किया, जिसे मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 2005-06 में भी जारी रखा। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं इस भारत की धरती के हम सब लोग सहिष्णु हैं शरणागत को शरण देते हैं। मुझे यह कहते हुए पीड़ा हो रही है इन्हीं दिनों मैं जैसलमेर की भील बस्ती में गया, आपके ही प्रदेश की जैसलमेर की भील बस्ती जहां 8-10-14 साल से वह सब लोग बिना आशियाने के, बिना इज्जत और सम्मान के निवास करते हैं। रामदेवरा की मेघवाल बस्ती में इसी किस्म के लोग, पर मुझे तरस आता है कि यह सरकार, आज की सरकार, आपकी सरकार अपनी कही गईं बातों से कैसे पलटती है, इसका हिसाब जरूर करना चाहेंगे।

2003 में माननीय मनमोहन सिंह जी ने नेता प्रतिपक्ष के नाते सदन में अपनी बात कही और 18.12.2003 को राज्य सभा में एज ए लीडर आफ अपोजिशन मनमोहन सिंह जी, भारत के पूर्व प्रधान मंत्री, हमारे सम्माननीय

(श्री सतीश पूनियां)

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा- "it is our moral obligation that if circumstances force people, these unfortunate people, to seek refuge in our country, our approach to granting citizenship to these unfortunate persons should be more liberal."

इसमें और अधिक लचीलापन होने की आवश्यकता है ताकि उनको नागरिकता दी जाए। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 2003 के इस वाक़ये के बाद में हमारे राजस्थान के गांधी, राजस्थान के मुखिया मुख्य मंत्री श्रीमान् अशोक गहलोत जी ने 2009 में अपने मुख्य मंत्री काल में पी. चिदंबरम साहब को जो तत्कालीन गृह मंत्री थे, उनको एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जब जिक्र आया, राज्य सभा और लोक सभा में मौजूदा गृह मंत्री के द्वारा इस बिल के पेश करने के दौरान जब इसका संदर्भ आया तो 11 दिसम्बर, 2019 को माननीय अशोक गहलोत जी का एक ट्वीट है, उन्होंने लिखा, we wrote a letter to P. Chidambaram ji, हमने पी. चिदंबरम जी को एक चिट्ठी लिखी है। यह उनका ओथेंटिक ट्विटर हैंडल है, "the then Home Minister of India, and if there were others apart from Hindus and Sikhs then also we would have recommended the same for them." यह उन्हीं का लिखा हुआ है। लेकिन मित्रों, मेरे सामने बैठे सत्ता पक्ष के लोगों को शर्म आएगी कि राजनीति में बार-बार पलटना, सभापति महोदय, मैं संवैधानिक भाषा तो जानता नहीं लेकिन राजस्थान में इस तरह की कई भाषाएं हैं, मैं बोलूंगा तो लगेगा कि असंसदीय है लेकिन बार-बार पलटने को क्या कहते हैं? यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इसमें फोटो है श्रीमती सोनिया गांधी जी की, मनमोहन सिंह जी की, राहुल गांधी जी की, हाथ का चुनाव चिन्ह है, राजस्थान का नक्शा है, तिरंगा है, जन घोषणा पत्र राजस्थान लिखा है, एक ही संकल्प कांग्रेस ही विकल्प लिखा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जन घोषणा पत्र लिखा है, राजस्थान विधान सभा चुनाव 2018 लिखा है और इसकी कापी मैं आपको उपलब्ध कराऊंगा ...(व्यवधान) आपके पास है, आपके पास आंखें भी हैं, कान भी हैं, दिमाग भी है, कृपया खुला रखें। अभी जो मैं कहने जा रहा हूं इसका पेज नंबर 37, जन घोषणा पत्र बिन्दु संख्या 34 कांग्रेस पाक विस्थापितों के सर्वांगीण विकास का वादा करती है। इसमें नागरिकता से जुड़ी समस्या व पुनर्वास का समाधान शामिल है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में रह रहे इन पाक विस्थापितों में ज्यादातर समाज के कमजोर वर्ग से आते हैं।

(श्री सतीश पूनियां)

कांग्रेस पहले से ही इन वर्गों के उत्थान के लिये कार्य करती रही है। इन विस्थापितों के सर्वांगीण विकास के लिये पृथक् से निकाय बनाया जाएगा ताकि योजनाबद्ध ढंग से इनकी समस्या का समाधान हो। कांग्रेस इनके विकास में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे विषयों के समाधान के लिये सकारात्मक कदम उठायेगी। मुझे लगता है कि इसके बाद कुछ बाकी रह नहीं जाता है लेकिन इनको लगता नहीं होगा कि इस तरीके के लोगों के आंसू पोछने के लिये अपने जन घोषणा पत्र से पलट जाएं। आज वह लोग दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। यह एक शीट है जिसमें हमने तो नेहरू-लियाकत समझौते का सम्मान किया। इसमें 1941 में पाकिस्तान की मुस्लिम जनसंख्या थी 79.2 प्रतिशत, हिन्दू जनसंख्या थी 13.5 प्रतिशत, सिख थे 5.2 और ईसाई भाई थे 1.5 प्रतिशत। यह 2015 का पाकिस्तान का आंकड़ा है जिसमें 96.28 प्रतिशत तो मुस्लिम हैं, 1.59 प्रतिशत, गौर कीजिएगा 1941 का 13.5 प्रतिशत हिन्दू और 2015 में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): ...(व्यवधान) बांग्लादेश का भी बता रहा हूं।

श्री सभापति: मैं सभी माननीय सदस्यों से आग्रह करना चाहूंगा समय की सीमा है, कोई किसी को इंटरवीन नहीं करेगा।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं बांग्लादेश का भी बता रहा हूं। (व्यवधान) 2015 में पाकिस्तान में मुस्लिम आबादी हुई 96 प्रतिशत, ईसाई हुई 1.5, हिन्दू हुई 1.6 और अनुसूचित जाति के 0.5 प्रतिशत, ये ऑथैंटिक आंकड़े हैं, मैं आपको दे दूंगा।

श्री सभापति: एक मिनट में समाप्त करें।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): मैं खतम कर रहा हूं अभी। आप भी खतम हो जाओगे। (व्यवधान) मैं बांगलादेश का दे रहा हूं, 2011 की बांग्लादेश में 90.4 मुस्लिम, 8.5 प्रतिशत हिन्दू, लेकिन आपको डूब मरना चाहिये इतनी सारी एवीडेंस के बाद भी आपका जमीर नहीं जगे तो लानत है ऐसी सरकार पर, ऐसे विचार पर, ऐसे जन घोषणा पत्र पर। शर्म आनी चाहिये उन लोगों को आंसू पोंछने के बजाय आपने इसको एक तरीके का अखाड़ा बना दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, कोई अंकित नहीं होगा विराजिए आप, विराजिए। यह गलत परम्परा है बैठे-बैठे बोलने की।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): सभापति महोदय, मैं इनसे एक बात का जवाब चाहता हूं कि यदि आप हिन्दुस्तान के संविधान का सम्मान करते हैं, लोकतंत्र का सम्मान करते हैं तो इस बात का जवाब दीजिए कि जो हमारे सर्वोच्च सदन ने कानून पारित कर दिया, जो उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है, यहां आप किस प्रकार से संकल्प पारित कर सकते हैं। लकीर पीटने का काम करते हैं। इस कानून को तो आपको लागू करना पड़ेगा, आपके फूफा को भी लागू करना पड़ेगा, दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती।

श्री सभापति: श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए कोई अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, प्लीज सहयोग करें। प्लीज सहयोग करें।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: कोई अंकित नहीं होगा। विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। प्लीज सहयोग करें। विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए, विराजिए। आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं विराजिए आप, प्लीज सहयोग करें, प्लीज विराजिए, विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, यह गलत परम्परा है विराजिए आप, विराजिए, विराजिए। अंकित नहीं होगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष, यह जितना मुझे इंटरवीन करेंगे मैं उतना ही कम टाइम दूंगा इनको। प्लीज सहयोग करें। श्री नरेन्द्र बुड़ानिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे सीएए व एनआरसी के प्रस्ताव पर ...(व्यवधान) बोलने का समय दिया

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

इसके लिये मैं आपको धन्यवाद करता हूं। महोदय, मैं आज किसी समस्या पर नहीं बोलूंगा और न ही किसी राजनीति पर बोलूंगा, मैं आज हिन्दुस्तान के इतिहास पर बोलना चाहता हूं। महोदय, कोई भी राष्ट्र होता है जिसमें एक जाति होती है, एक धर्म होता है, एक भाषा होती है, एक संस्कृति होती है।

(13.00 बजे)

मैं आपको उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं कि इंग्लैंड में अंग्रेज रहते हैं, फ्रांस में फ्रांसिसी रहते हैं, जर्मनी में जर्मन लोग रहते हैं। आज हम लोग बात करें तो भारत के अंदर ऐसा नहीं है। भारत के अंदर 32 आधिकारिक बोलियां हैं। लाखों बोलियां हैं। आठ धर्मों के लोग भारत के अंदर निवास करते हैं, जिन सबकी संस्कृति अलग-अलग है। सबकी भाषाएं अलग-अलग हैं। यहां हिंदू भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं। जैन और बौद्ध धर्म मानने वाले लोग रहते हैं और सबकी संस्कृति अलग-अलग है, किसी की समान नहीं है। सबकी भाषाएं अलग-अलग हैं इसीलिए संसार से भारत के अंदर लोग शोध करने आते हैं, रिसर्च करने आते हैं। भारत के अंदर इतनी विभिन्नताएं हैं, इतनी बोलियां हैं, इतने धर्मों को मानने वाले लोग हैं। वे सब एक साथ बैठे हैं और यह मजबूत भारत के नाम पर कहलाया जाता है।

महोदय, मैं अभी न्यूज पोर्टल पर देख रहा था, हमारे राजस्थान के ही पत्रकार हैं, जिनका नाम पी. सिन्हा साहब हैं। मैं उनका लेख नहीं पढूंगा, मैं उनका शीर्षक पढ़ना चाहता हूं। उस शीर्षक में लिखा है- 'India is a Nation of Nations'. यानी भारत सारे राष्ट्रों का एक राष्ट्र है और यही हमारी खासियत है। महोदय, भारत के अंदर 3600 से अधिक जातियां, 8 तरह के धर्म, कितनी ही भाषाएं हैं। यहां अमीर भी हैं, गरीब भी हैं, छोटी-छोटी जातियां भी हैं, छोटे-छोटे धर्म भी हैं, ये आपस में झगड़ते भी हैं, ऐसी बात नहीं है लेकिन फिर भी हमारा देश इतनी विषमताएं होने के बाद भी इतनी मजबूती से खड़ा हुआ है। महोदय, इसके पीछे सवाल भी खड़े होते हैं। लोगों ने सवाल भी खड़े किये हैं।

मैं बताना चाहता हूं, मैं सबसे पहले जॉन स्ट्रेची का नाम लेना चाहता हूं। जॉन स्ट्रेची अंग्रेजी शासनकाल के अंदर गवर्नर जनरल आफ काउंसिल के सदस्य थे। जब वे भारत छोड़कर गये तो उन्होंने इंग्लैंड के अन्दर जगह-जगह पर भाषण दिया और एक किताब लिखी, उस किताब का नाम 'इंडिया' था।

(श्री नरेन्द्र बुडानिया)

उन्होंने अपनी किताब के अंदर लिखा 'इंडिया' बस एक नाम भर है, एक इलाका है, कोई देश नहीं है, क्योंकि इस इलाके में कई देश रहते हैं'।

महोदय, यही नहीं, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री रहे चर्चिल, महान क्रिकेटर सिएल, रूडयार्ड किपलिंग के भी भारत के प्रति यही विचार थे। चर्चिल ने भाषण में कहा था कि अंग्रेजों ने भारत में जो चीजें निर्मित कीं, चाहे वह न्यायपालिका हो, चाहे वह स्वास्थ्य सेवाएं हों, चाहे वह रेलवे का विस्तार हो, बहुत-सी चीजों के बारे में उन्होंने कहा कि यदि भारत आजाद हो गया तो ये सारी संस्थाएं समाप्त हो जाएंगी। उनको इस बात का भय था लेकिन मैं आज कहना चाहता हूं। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि आज महात्मा गांधी, नेहरू, सरदार पटेल और बाबा अंबेडकर ने एक ऐसा पौधा लगाया, जिसकी जड़ें बहुत गहरी हैं और भारत का प्रजातंत्र इसीलिए फल-फूल रहा है।

महोदय, मैं आगे बढ़ूं, उससे पहले एक और पत्रकार का नाम लेना चाहता हूं। जॉन टेलर, 21 अगस्त, 1969 को ईवनिंग स्टेण्डर्ड अख़बार में लिखा था, जिसका शीर्षक था- 'The New Surprising Strength of Mrs. Gandhi'. उन्होंने लिखा था कि हिन्दुस्तान एक मुल्क के रूप में रह पाएगा या नहीं रह पाएगा। महोदय, मैं यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि दुनिया की नजर में हम कहां थे, आज हम कहां पर हैं? महोदय, जब मैं इतिहास की बात कर रहा हूं तो मैं इस बात पर आना चाहता हूं कि जब हम लोग आजाद हुए थे तो 565 रियासतें और 17 प्रोविंस हमारे साथ थे और बंटवारे के बाद 545 रियासतें हमारे साथ आयीं और हमने उन्हें दो गारंटियां दीं। पहली गारंटी यह थी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं रखेंगे यानी सरकार धर्म के आधार पर फैसला नहीं करेगी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): रियासतों के साथ में दूसरा जो वादा किया गया, वह था कि हम किसी पर भी भाषा नहीं थोपेंगे। महोदय, जब ये दो बड़ी बातें कीं तब ये रियासतें एक हुईं।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): साहब, अभी तो मैंने बोलना शुरू किया है। रियासतों के साथ में जो दूसरा वादा किया गया था, वह था कि हम किसी पर भी भाषा नहीं थोपेंगे। महोदय, ये जो दो बड़ी बातें कीं तब ये रियासतें एक हुईं।

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): अभी तो बोलना शुरू किया है। सर, मुझे बोलने तो दीजिए। मैं पांच मिनट भी नहीं बोला हूं। आज पूरे देश में एन पी ए के विरुद्ध आंदोलन चल रहे हैं। लोगों की भावना को केन्द्र सरकार दबा रही है। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, अभी आमेर से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि नागरिकता कानून लागू करना पड़ेगा और आपके फूफाजी को लागू करना पड़ेगा। ये मेरे वाले फूफाजी लागू करेंगे या इन वाले अलग हैं?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): आज जो सारे छात्र हैं, वे सड़क पर हैं। आज उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। (व्यवधान) आज सारे छात्र सड़क के ऊपर हैं। आज उनको अपना भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक जी गहलोत को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे इस काले कानून के खिलाफ पूरे देश में अड़े हुए हैं और देश के अंदर जागरूकता ला रहे हैं कि यह कानून भारत की जनता के खिलाफ है।

श्री सभापति: विराजें। श्री कालीचरण सराफ। बैठिए, अंकित नहीं होगा। सहयोग करें, ऐसे नहीं। प्लीज, सहयोग करें। विराजें।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: विराजें, अंकित नहीं होगा।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: विराजें, आपका सुन लिया।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, अभी आमेर से आने वाले विधायक महोदय ने कहा कि नागरिकता कानून लागू करना पड़ेगा और आपके फूफाजी को लागू करना पड़ेगा। ये मेरे वाले फूफाजी लागू करेंगे या इन वाले अलग हैं।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, आसन पैरों पर है। आप मर्यादा सीखिए।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिए। आप वरिष्ठ सदस्य हैं। सचेतक महोदय, आप समझाइये। माननीय सदस्य आप विराजिए। मैं आपको बिलकुल अलाउ नहीं करुंगा। अंकित नहीं होगा, माननीय कालीचरण जी सराफ। मेरा सभी माननीय सदस्यों से आग्रह है कि आसन की मर्यादा में रहें। आपको जो समय दिया गया है, उसी समय में बोलें। आप आसन को अपनी तरफ से डायरेक्शन मत दीजिए। मैं आप लोगों को वार्न करता हूं। मुझे आपको आवश्यक रूप से सात मिनट में बंद करना पड़ेगा। समय का ध्यान रखें, कोई किसी को इंटरवीन नहीं करेगा। माननीय सदस्य पुन: आपसे आग्रह है, प्लीज सहयोग करें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री नरेन्द्र बुडानिया (तारानगर): 000

श्री सभापति: मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा। मुझे आपको वार्न करना पड़ेगा। बिलकुल अलाउ नहीं है। आप विराजें। आपका यह तरीका गलत है। यह परम्परा गलत है। विराजें। श्री कालीचरण सराफ।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, सत्ता के मद में...

श्री सभापति: सात मिनट का समय आपका है। आप इधर देखिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको ही संबोधन कर रहा हूं। सत्ता के मद में कांग्रेस के विधायकों का जिस प्रकार का आचरण आज सदन में देखने को मिल रहा है, मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि ऐसे लोगों की आप निंदा करें और उनको सदन से बाहर भेजने का कष्ट करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा देश के लोकप्रिय प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी को, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा गृह मंत्री अमित शाह जी को, उन्होंने लाखों नागरिक जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से उत्पीड़ित होकर आज हमारे देश में आए, वहां पर जबरन उनका धर्म परिवर्तन कराया गया, वहां पर उनका नरसंहार हुआ, उनकी बहन-बेटियों के साथ बलात्कार हुआ, ऐसे लोग जो जान बचाकर हिन्दुस्तान में आए

(श्री कालीचरण सराफ)

और जो नारकीय जीवन व्यतीत कर रहे हैं, उनको इस नागरिकता संशोधन विधेयक के माध्यम से नागरिकता देने का जो कानून पारित किया है हमारे देश के सर्वोच्च सदन ने, इसके लिए मैं उनको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। होना तो यह चाहिए था कि हमारे कांग्रेस के मित्र जिन्होंने सत्ता के लालच में 1947 में धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन स्वीकार किया। केवल पंडित नेहरू इस देश के प्रधान मंत्री बनें इसलिए धर्म के आधार पर, विश्व में यह पहला राष्ट्र है जिसको धर्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया। बताने की आवश्यकता नहीं है कि जब देश स्वतंत्र हुआ, देश आजाद हुआ तब लाखों की संख्या में ट्रेनें लाशों से भरकर हमारे देश के अंदर आईं। यह किसी से छिपी हुई बात नहीं है। लाखों की संख्या में हमारे अल्पसंख्यक जो पाकिस्तान में रहते थे, पाकिस्तान के अल्पसंख्यक जिस प्रकार से यहां पर अपनी जान बचाकर आये और अपनी बहन-बेटियों की इज्जत बचाकर आये, यहां उनको नागरिकता दी गई, यह सबको पता है।

माननीय सभापति महोदय, आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी? आज नागरिकता कानून में संशोधन की आवश्यकता क्यों पड़ी? मैं आपको थोड़ा-सा इतिहास बताना चाहता हूं। सबसे पहले 1940 में मुस्लिम लीग का अधिवेशन हुआ लाहौर में। इसमें एक प्रस्ताव पारित किया गया और कहा गया कि हिन्दू और मुसलमान दो अलग-अलग राष्ट्र हैं क्योंकि इनकी धार्मिक मान्यताएं, सामाजिक रीति-रिवाज, संस्कृति, इतिहास, खान-पान आदि अलग-अलग हैं। यह एक साथ नहीं रह सकते इसलिए 1940 में मोहम्मद अली जिन्ना की अध्यक्षता में लाहौर में जो अधिवेशन हुआ मुस्लिम लीग का उसमें यह प्रस्ताव पारित किया गया कि धर्म के आधार पर इस देश का विभाजन किया जाए और 1947 में हमारे देश के दो टुकड़े कर दिये गये। जिस प्रकार से जान बचाकर हिन्दू, सिक्खों, ईसाइयों, बौद्ध, पारसियों और जैनियों को पाकिस्तान से आना पड़ा, यह बताने की आवश्यकता नहीं है, सबको पता है। मैं कहना चाहूंगा, आरोप लगाना चाहूंगा कि केवल और केवल सत्ता के लालच में हमारे देश में जहां 1/5 मुस्लिम जनसंख्या थी, हमने 1/3 क्षेत्र देकर एक अलग राष्ट्र का निर्माण कराया और आज उसी का दंश हम लोग यहां पर भुगत रहे हैं।

बंधुओं, जब यह अत्याचार ज्यादा बढ़ने लगे, जैसा आमेर से आने वाले आदरणीय विधायक ने कहा कि देश के हमारे प्रधान मंत्री जवाहर लाल

(श्री कालीचरण सराफ)

नेहरू और पाकिस्तान के उस समय के प्रधान मंत्री लियाकत अली, इनमें एक समझौता हुआ। उसमें कहा गया कि जो भारत में अल्पसंख्यक रहते हैं, उनका यहां पर हम सम्मान करेंगे और जो पाकिस्तान में अल्पसंख्यक रहते हैं, उनका पाकिस्तान की सरकार सम्मान करेगी। परंतु क्या हुआ? हमने तो सम्मान किया, हमने तो धर्म निरपेक्ष राष्ट्र का जो वादा किया था, उसको पूरा किया। परंतु पाकिस्तान, मोहम्मद अली जिन्ना ने जो वादा किया था कि पाकिस्तान को धर्म निरपेक्ष राष्ट्र के रूप में निर्मित करेंगे, उसको उन्होंने इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं, ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले कानून मंत्री जो पाकिस्तान के थे, वह हिंदू थे जोगेन्द्र नाथ मंडल। वह दलित थे, शिड्यूल्ड कास्ट से आते थे। उन्होंने मुहम्मद अली जिन्ना के वायदे को ध्यान में रखकर पाकिस्तान का समर्थन किया। उन्होंने उस समय शिड्यूल्ड कास्ट के लोगों का आह्वान किया कि पाकिस्तान के पक्ष में वोट दें। वह वहां के कानून मंत्री बने। परंतु 1950 में जब नेहरू-लियाकत समझौता हुआ, उसके 6 महीने के अंदर जब वहां हिन्दुओं का नरसंहार हुआ तो उन्होंने विरोध किया तब वहां के तत्कालीन प्रधान मंत्री लियाकत अली ने धमकी दी कि ज्यादा गड़बड़ करोगे ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): साहब, मैंने चालू ही नहीं किया और आप कह रहे हैं समाप्त कीजिए। उनको बंदी बनाने की धमकी दी। वह जान बचाकर, इस्तीफा देकर वहां से भागे, शरणार्थी के रूप में हमारे देश में रहे और पश्चिमी बंगाल में 1968 में उनकी मौत हुई। यह कांग्रेस के लोग शूद्र राजनीतिक वोटों के खातिर मुस्लिम तुष्टीकरण की नीति के कारण, आज यह कहते हैं कि नागरिकता संशोधन कानून में केवल हिन्दुओं को, केवल सिक्खों को, केवल जैनियों को...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): केवल बौद्ध समाज के लोगों को, केवल ईसाइयों को ही शामिल क्यों किया गया है? मुस्लिम समाज को क्यों नहीं शामिल किया? मैं बताना चाहूंगा मुस्लिम समाज को इसलिए शामिल नहीं किया गया कि आज पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान तीनों इस्लामिक राष्ट्र हैं। वहां पर मुसलमानों का उत्पीड़न नहीं हो रहा है। वहां

(श्री कालीचरण सराफ)

पर उत्पीड़न हो रहा है और यदि कोई पीड़ित है तो वे हिन्दू हैं, सिक्ख हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं और ईसाई हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें। माननीय सदस्य विराजें। सहयोग कीजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): यह भ्रम फैलाया जा रहा है कि नागरिकता संशोधन कानून लागू हो गया तो यहां से मुसलमानों को निकाल दिया जाएगा। भ्रम फैलाकर आप सत्ता की राजनीति कर रहे हैं। देश का भला नहीं कर रहे हैं। आप लोग देश को विभाजन की ओर ले जाना चाहते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। श्री संयम लोढ़ा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मैं आप लोगो से निवेदन करना चाहूंगा होना तो यह चाहिए था कि आप जो संकल्प यहां पर लेकर आए हैं, वह यह लेकर आते कि सर्वोच्च सदन ने जो शानदार और जानदार नागरिकता संशोधन विधेयक लागू किया है, हम इसका समर्थन करते हैं और 1947 में सत्ता के लालच में हमने जो गलती की थी, उसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। हम आपकी बहुत वाहवाही करते। मैं इस नागरिकता संशोधन विधेयक का पुरज़ोर शब्दों में समर्थन करता हूं और आप लोगों से भी अपील करता हूं कि आप इसका समर्थन करें। धन्यवाद। जय भारत।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान सरकार की ओर से माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने जो संकल्प प्रस्तुत किया है, मैं यहां उसका समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं और देश में जो सीएए पारित किया गया है, भारत सरकार उस पर पुनर्विचार करे इस भावना के साथ सदन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जब सदन में विचार रख रहे थे तो यह समझ में नहीं आ रहा था कि वह सीएए के समर्थन में बोल रहे हैं या सीएए के खिलाफ बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि वसुधैव कुटुम्बकम् और हम सबको शरण देने वाले लोग हैं तो मैं यह जानना चाहता हूं कि जब आप देशों के नामों का चयन कर रहे थे, तब यह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना कहां गई थी? जब आप धर्मों के नाम पर चयन कर रहे थे, तब यह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना कहां गई थी? हमारी सीमा 8 देशों से लगती हुई है। क्या देश की जनता जान सकती है कि चीन में इन

(श्री संयम लोढ़ा)

मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है? तिब्बत में जिन बौद्धों के साथ प्रताड़ना हो रही है, म्यांमार, बर्मा में जिन मुसलमानों के साथ प्रताड़ना हो रही है, श्रीलंका में जिन बौद्धों के साथ प्रताड़ना हो रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या इस भारतवर्ष की, वह वसुधैव कुटुम्बकम् की भावना, इस देश को, हमारी संसद को और हमको प्रेरित नहीं करती है कि हम अपने सभी पड़ौसी देशों के साथ उस तरीके की भावना रखें?

माननीय सभापति महोदय, उन्होंने बहुत धमकाने और चेतावनी के लहजे में कहा कि आपके फूफा को भी कानून लागू करना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपके वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य....

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): जयराम रमेश ने ...(व्यवधान) कहा है कि संवैधानिक बाध्यता है, इस कानून को लागू करना पड़ेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय नेता महोदय ...(व्यवधान) विराजिए, प्लीज विराजिए आप। माननीय कटारिया जी, प्लीज। समय की सीमा है। मुझे फिर बंद करना पड़ेगा इसको ...(व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपकी अनुमति हो तो मैं बोलूं। माननीय सभापति महोदय, यह सही है कि संसद को कानून बनाने का अधिकार प्राप्त है, लेकिन वह असीमित नहीं है। संविधान में जिस समानता का अधिकार दिया गया है, जिस अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, उससे परे जाकर आप कोई कानून नहीं बना सकते। आप कानून बनाते हैं तो देश में स्वतंत्र न्यायपालिका भी मौजूद है, जो इस बात का निश्चय करेगी कि आपका कानून उस संविधान में जो अधिकार देश की जनता को दिए हुए हैं, सामान्य गैर नागरिक को भी दिए हुए हैं, आप समानता के अधिकार का प्रावधान, अनुच्छेद देखने की चेष्टा करें। इसमें लिखा हुआ है एनी परसन। आपने जिस कानून का निर्माण किया है वह देश के संविधान के विपरीत है। संविधान में दिए गए अधिकारों का हनन करता है। भारतवर्ष की दस हजार साल की सभ्यता का हनन करता है। आत्मा का हनन करता है। आप स्वामी

(श्री संयम लोढ़ा)

विवेकानंद का नाम लेते हैं। उन्हें अमरीका क्यों जाना पड़ा, क्या करने गए थे, वह यह बताने के लिए गए थे कि जिस सनातन धर्म के अंदर, जिन मानवीय मूल्यों के अंदर वह आस्था रखते हैं, पूरी दुनिया उसके माध्यम से लाभान्वित हो, वह यह बताने के लिए गए थे। यह करने के लिए नहीं गए थे कि आप एक धर्म के लोगों का इस तरीके से अनादर करें। दूसरे धर्म के लोगों का इस तरीके से अनादर करें।

मैं पूछना चाहता हूं बांग्लादेश से, मुस्लिम राष्ट्र है, तसलीमा नसरीन को क्यों आना पड़ा? क्या वहां का पीड़ित मुसलमान है, उसको आने का अधिकार नहीं है? क्या पाकिस्तान का संविधान, अहमदी के बारे में यह घोषणा नहीं करता कि वह इस्लाम का हिस्सा नहीं है? क्या भारत से गए मुहाजिर वहां प्रताड़ित नहीं है? क्या वहां शिया प्रताड़ित नहीं हैं? इस देश का संविधान हमें इस बात की इजाजत नहीं देता है। आपने जो कानून बनाया है, देश के लोग समझ रहे हैं कि यह कानून आप किस लिए लाए हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा, महात्मा गांधी ने दक्षिण अफ्रीका में हिंद स्वराज के नाम से किताब लिखी थी। देश आजाद हुआ उससे पहले, 1940 के ठीक बाद, पंडित नेहरू ने 40 साल देश को जाना। 1940 से पहले, उन्होंने पुस्तक लिखी डिसकवरी आफ इंडिया, भारत की खोज। देश में अख़बार भी चलते थे। अंग्रेजी में चला हिन्दुस्तान टाइम्स, उसका हिंदी वर्जन था हिन्दुस्तान। एक अंग्रेजी का अख़बार निकलता था हिन्दु, विभाजन हुआ और पाकिस्तान ने अपना नाम चुन लिया पाकिस्तान, हमने अपना नाम हिन्दुस्तान नहीं रखा, हमने अपना नाम भारत रखा और करोड़ों लोग जो उस समय देश छोड़कर जा रहे थे, वह रुके। करोड़ों मुसलमान रुके। किसलिए रुके, हमने उनको यह भरोसा दिया कि यहां पर आपकी हिफाजत की जाएगी। आपसे कोई राजनीतिक भेदभाव नहीं होगा। ऐसा कोई कानून नहीं बनाया जाएगा जिसमें आपको टार्गेट किया जाए। इस भरोसे के आधार पर रुके और 70 साल में मिल-जुलकर इस देश का मुस्तकबिल हम लोगों ने खड़ा किया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि देश के गृह मंत्री राज्य सभा में कहते हैं सीएए की क्रोनोलोजी को समझिए आप, सीएए पहला स्टेप है, उसके बाद एनपीआर आएगा, उसके

(श्री संयम लोढ़ा)

बाद एनआरसी आएगा। माननीय सभापति महोदय, क्या असम का अनुभव हम भूल गए? 1600 करोड़ रुपये आपने खर्च किए, नतीजा क्या निकला? वहां के डिटेंशन सेंटर को आपने देखा? सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं 28 लोगों ने उन डिटेंशन सेंटर में सुसाइड किया। क्या एक आदमी की जान की, हम वसुधैव कुटुम्बकम् का भाव रखने वाले लोगों के लिए कोई कीमत नहीं है?

माननीय सभापति महोदय, और तो और, एनआरसी कैसी हुई, कारगिल में जो युद्ध लड़े उनका इसमें नाम नहीं है, 38 साल तक जिन्होंने वायु सेना में नौकरी की, उनका नाम नहीं है। फखरूद्दीन अली अहमद जो देश के सर्वोच्च पद पर रहे उनके परिवार का नाम नहीं है। तैमूर असम की सीएम रहीं, उनके परिवार का नाम नहीं है। इस तरह की एनआरसी। उसका नतीजा क्या निकला, 19 लाख लोग ऐसे मिले जो संदिग्ध माने गए, उसमें 16 लाख हिन्दू। माननीय सभापति महोदय, फोरेन ट्रिब्यूनल में गए 16 लाख लोग, वहां जा कर कहा कि हम तो भारत में पैदा हुए लोग हैं, अब आप यह सीएए ले आए, क्या अब वह 16 लाख हिन्दू यह कह सकेंगे कि हम पाकिस्तान में पैदा हुए हैं? उन्होंने तो अपना पहला आर्ग्यूमेंट दिया है, ट्रिब्यूनल में उनका केस मौजूद है, तो इस सीएए का मतलब क्या है। जो आपका मकसद है वह इसके बाद भी नहीं होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, यह बहुत प्रसन्नता की बात है कि देश का नौजवान, देश का छात्र, इस षड्यंत्र को समझ रहा है। आज IIT, IIM का स्टूडेंट, दिल्ली विश्वविद्यालय का स्टूडेंट, जेएनयू का स्टूडेंट, क्या यह सारे लोग मूर्ख हैं? क्या यह अनपढ़ लोग हैं, क्या यह समझते नहीं हैं? यह समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश की आत्मा के साथ क्या षड्यंत्र कर रही है। उनके पुरखों ने इस देश को आजाद कराने में जो योगदान दिया है, बलिदान दिया है, उस बलिदान के साथ यह लोग जो अंग्रेजो के साथ मिले हुए थे, आज सत्ता में आने के बाद क्या षड्यंत्र कर रहे हैं उसके खिलाफ देश का नौजवान खड़ा हुआ है ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सभापति महोदय, इनका यह क्या तरीका है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नारे लगे ...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): क्या तरीका है, बात सुनने का माद्दा रखो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए, माननीय श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): देश का नौजवान किसलिए चिंतित है, इसलिए चिंतित है कि देश की 21 फीसदी आजादी आज भी रोजाना 36 रुपये दिन पर जीती है। आप एनआरसी लेकर आएंगे, 1987 के बाद जो नौजवान पैदा हुआ है उसको यह बताना पड़ेगा कि उसके मां-बाप कहां पैदा हुए हैं, उनका जन्म स्थान क्या है, उसे एनआरसी में यह प्रमाण देना पड़ेगा। सभापति महोदय, वह गरीब आदमी डाकूमेंट कहां से लाएगा। क्या उसे उन अधिकारियों को पैसा देना पड़ेगा या 08 नवम्बर की रात को अचानक से इल्म हुआ ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, कोई अंकित नहीं होगा।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, माननीय मंत्री महोदय।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, सिर्फ माननीय संयम लोढ़ा का अंकित होगा। विराजिए।

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): 000

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: आप बीच में इंटरवीन करेंगे तो मैं क्या करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: आप विराजिए। आप जब इंटरवीन करेंगे तो मुझे टाइम तो देना पड़ेगा न। आप अपने लोगों को मना करें कि वह इंटरवीन नहीं करें। माननीय संयम लोढ़ा जी, आप अपनी बात दो मिनट में समाप्त करेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मेरे को तो बोलने ही नहीं दिया, सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करेंगे दो मिनट में।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, यह सी.ए.ए., इससे पूरी दुनिया में हमारी प्रतिष्ठा गिरी है, पूरी दुनिया में हमारा नाम खराब हुआ है। भारत जो पूरी दुनिया का नेतृत्व करने की तरफ आगे बढ़ रहा था, जिसके बारे में यह समझा जा रहा था कि यह आने वाले वक्त में प्रथम तीन देशों के अन्दर पूरी दुनिया में शुमार होगा, आज पूरी दुनिया में हम संदिग्ध बन गये। हम छोटी सोच के लोग बन गये हैं। हम इस आधार पर समझे जा रहे हैं कि हम धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का निर्णय करते हैं। हम अपने पड़ोसी देशों के साथ गलत सोच रखते हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करुंगा कि यह 31 दिसम्बर, 2014 की जो तारीख निर्धारित की है, जो इन्होंने प्रावधान निर्धारित किये हैं, कितने लोगों को नागरिकता मिलने वाली है, मात्र 31313 लोगों के आवेदन पूरे भारतवर्ष में लम्बित हैं, मात्र 31313, जिसमें हिन्दू 25447, सिख 5807, ईसाई 55, बौद्ध 2 और 2 पारसी।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): और अब भारत के गृह मंत्री जब कहते हैं, करोड़ों लोग आवेदन करेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये आंकड़े भारत सरकार के आफिशियल आंकड़े हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, अनेक ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय संयम लोढ़ाजी, एक मिनट विराजिए आप, विराजिए एक मिनट। (व्यवधान) आसन बाध्य होगा और सीधा माननीय कटारियाजी का नाम पुकारेगा। बार-बार आग्रह करने के बावजूद भी आप समझ नहीं रहे हैं। (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: आप सुनिये एक मिनट। अभी आपकी भी बारी आएगी, आप अपनी बात कह दीजिये। क्यों किसी को इंटरवीन करते हैं आप। बार-बार मना करना पड़ता है, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। विराजिए, विराजिए आप। पहले विराजिए, इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए। माननीय कटारियाजी, मुझे बाध्य हो करके आपका नाम पुकारना पड़ेगा फिर। क्या करूंगा मैं, मना करिये अपने लोगों को। (व्यवधान) माननीय संयम लोढ़ाजी, एक मिनट में अपनी बात समाप्त करियेगा आप।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, 22 दिसम्बर को देश के प्रधान मंत्री कहते हैं कि एन.आर.सी. का पिछले चार साल में कोई जिक्र नहीं हुआ, और हम कुछ नहीं करने जा रहे हैं। जबकि भारत सरकार की कैबिनेट एन.पी.आर. के लिये 3600 करोड़ रुपये जारी कर चुकी है और देश के गृह मंत्री संसद में यह कह चुके हैं, राज्य सभा में कि एन.पी.आर. और उसके बाद एन.आर.सी., इस क्रोनोलॉजी को समझ लीजिये। तो यह सारा देश के अन्दर जो माहौल खराब हुआ है, देश के अन्दर जो लोगों की आशंकाएं पैदा हुई हैं। देश के अन्दर जो लोगों को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका कारण यह है कि भारत सरकार की नीयत साफ नहीं है और वह धार्मिक आधार पर राजनीतिक लाभ के लिये ध्रुवीकरण करना चाहती है।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए, अलाउ नहीं करूंगा मैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, एक शेर के साथ अपनी बात खतम करता हूं। एक शेर के साथ। (व्यवधान) अदम गोंडवी का मैं शेर पढ़ूंगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, मैं हमारे संसदीय मंत्री के द्वारा जो संकल्प यहां रखा गया है।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं शेर तो सुनाऊंगा ही। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, संकल्प की जो यहां भाषा रखी गई है, मैं घोर आपत्ति दर्ज करती हूं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापतिजी, संकल्प की यहां पर जिस तरह से ...(व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया आप एक मिनट विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापतिजी, आपने मेरा नाम पुकारा, मैं खड़ी हुई।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने मुझे बुलाया।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): एक बार तो आप कहते हैं, आसन कहता है अपनी बात कहो, दूसरी बार आसन कहता है बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए। अलाउ नहीं करूंगा मैं। विराजिए, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप ही ने कहा कि एक मिनट बोलेंगे, कभी कहते हैं दो मिनट बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। संयम लोढ़ा जी आप समाप्त करें। आप समाप्त करें।

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आपने, सभापतिजी, नाम पुकारा क्यों।

श्री सभापति: आप ऐसा क्यों करते हैं। संयम लोढ़ा, समाप्त करें।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आप अपनी बात को चेंज नहीं कर सकते। (व्यवधान) आप जिस चेयर पर बैठे हैं, एक बार आप नाम पुकारते हैं, हम अपने को शुरू करते हैं और ...(व्यवधान) हम नहीं बैठेंगे।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) विराजिए, विराजिए। अलाउ नहीं होगा।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): 000

श्री सभापति: विराजिए। श्री संयम लोढ़ा, विराजिए। किसी का अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: किसी को अलाउ नहीं करूंगा। (व्यवधान) विराजिए आप। विराजिए, आसन पैरों पर।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सभापतिजी, इनका रिकार्ड में दर्ज नहीं होगा। आपको आसन से व्यवस्था देनी पड़ेगी कि इनका भाषण दर्ज नहीं होगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री सभापति: विराजिए। (व्यवधान)

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। बड़ा अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं आप।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): 000

श्री सभापति: विराजिए, अलाउ नहीं कर रहा हूं आपको। अलाउ नहीं कर रहा हूं। इतने वरिष्ठ सदस्य हैं आप। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापतिजी, आपने व्यवस्था दी थी। हम खड़े हुए थे बोलने के लिये, फिर आपने कहा कि बैठ जाओ। लेकिन जो मुझे व्यवस्था के तहत बुलाया गया, उसके बाद अगर किसी भी सदस्य ने कोई भी बात यहां कही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना वक्तव्य जारी रखें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तो आप ही का काम है इसके अन्दर दर्ज न हो, इसकी व्यवस्था भी आप दे दें।

श्री सभापति: श्रीमती किरण माहेश्वरी। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): I am not trying to dictate. Please mind your language, first.

माननीय सभापतिजी, जो संकल्प आज यहां संसदीय मंत्रीजी द्वारा रखा गया, सबसे पहले तो उस संकल्प की बहुत निंदा करती हूं, भर्त्सना करती हूं और इस प्रकार का संकल्प, जिसकी भाषा अगर पढ़ी जाये तो वास्तव में हम सब शर्मसार होते हैं कि हम भारत देश के नागरिक हैं। यहां पर इन्होंने जो बात कही है, जिस तरीके से इस संकल्प के अन्दर एक-एक लाइन है उसको कोट करूंगी तो आप कहेंगे कि समय हो गया और समय की सीमा में मुझे बांध दिया गया है। इसलिये इसमें जिस बात को संकल्प में इन्होंने कहा कि सी.ए.ए. को लागू नहीं होना चाहिए, आप मुझे बताएं, सभापतिजी, हमारे लोकतंत्र की सर्वोच्च संस्था पार्लियामेंट जहां लोक सभा, राज्य सभा, दोनों ने इसको बिल के रूप में, सिटीजन अमेंडमेंट बिल, 2019 जो बहुमत से पास हुआ, संसद की दोनों ही सभाओं, लोक सभा और राज्य सभा में, और उसके बाद यह सी.ए.ए. पूरी तरह से संघ सूची के अन्दर है, अब यह कानून बन चुका है। इस पर राष्ट्रपति जी के सिग्नेचर हो चुके हैं। उसके बाद इसको सदन में लाकर चर्चा कराना, मैटर सब-जुडिस हुआ है हाई-कोर्ट्स में पैंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में पैंडिंग है, उस सबके बाद में यहां पर चर्चा के लिये लेकर आना यह मुझे लगता है सदन का बहुमूल्य समय व्यर्थ करने पर तुले हुए हैं। इस प्रकार

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

इन सारी चीजों को यहां लाना, और यह ज्यादा नहीं, सिर्फ और सिर्फ एक एजेण्डा जो इसके पीछे छिपा हुआ है, राजनीतिक एजेण्डा, जनीतिक एजेण्डे के तहत इस प्रकार से संकल्प लाना, और यह संकल्प लाकर इस बात को कहना कि हम सी.ए.ए. को यहां पर लागू नहीं करना चाहते। जबकि इन्हीं के घर के लोग, इन्हीं की कांग्रेस पार्टी के लोग, चाहे वह कपिल सिब्बल हों, चाहे वह सलमान खुर्शीद हों, चाहे वह शशि थरुर हो, इन सब लोगों ने कहा कि लाने का कोई फायदा नहीं है, सी.ए.ए. तो लागू करना ही पड़ेगा और सी.ए.ए. तो हर हालत में लागू होगा, पूरे देश में लागू होगा और राजस्थान उससे कोई अछूता नहीं है। लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री अपनी सी.आर. बढ़ाना चाहते हैं।

28 तारीख को राहुल गांधीजी की रैली राजस्थान में है इसलिए कुछ न कुछ तो मुंह दिखाने के लिए होगा और यहां पर जिस प्रकार से इनके अंदरूनी विवाद चल रहे हैं, जिस प्रकार से कौन रहेगा मुख्य मंत्री, कौन हटेगा मुख्य मंत्री से और नया कौन बनेगा इसके लिए ही यह सारी चीजें की जा रही हैं। मेरी बात को ध्यान से सुन लो और यह जो सी.ए.ए. पर ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, वैसे भी सी.ए.ए. पर राज्य सरकारों की कोई भूमिका नहीं है। यह संघ सूची के अंदर है, यूनियन लिस्ट के अंदर है। यह पूरी तरीके से कानून बन चुका है। अब कांग्रेस केवल एक ही काम कर रही है, शांति मार्च निकाल रही है। राजस्थान में राजस्थान के मुखिया शांति मार्च निकालकर अशांति को भड़काने के लिए यह शांति मार्च निकाल रहे हैं। राजस्थान की पूरी जनता सी.ए.ए. के साथ है। यहां से 25 सांसद चुने गये। 25 सांसद जीतकर लोक सभा के अंदर गये हैं। वह राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। राजस्थान की जनता ने उनको चुना है और राजस्थान का प्रतिनिधित्व करने वाले 25 के 25 सांसदों ने सी.ए.ए. कानून के अंदर अपना समर्थन दिया है इसलिए पूरी राजस्थान की जनता सी.ए.ए. के साथ है लेकिन राजस्थान के अंदर कांग्रेस के लोग, यह केवल यहां पर चर्चा कराना और एक तरह का अराजकता का माहौल पैदा करना, एक तरह की अस्थिरता पैदा करना, इस प्रकार का काम यहां पर सरकार में बैठे हुए लोग कर रहे हैं जो शर्म की बात है। पार्टी पॉलिटिक्स सब बाद में, पहले नेशन है। लेकिन कांग्रेस के लिए राष्ट्र का कोई लेना-देना नहीं

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

है। राष्ट्र का उनके कोई मन में नहीं। अभी यह बड़े जोर-जोर से कह रहे थे कि संविधान की रक्षा करनी चाहिए। संविधान की बात करनी चाहिए। मैं पूछना चाहती हूं उन सब कांग्रेस के नेताओं से कि संविधान की यह बात करते हैं, प्रीएम्बल, जो प्रीएम्बल 1949 के अंदर बना था, इसको हमने अंगीकृत किया था संविधान को तो उस संविधान के अंदर प्रीएम्बल में क्या लिखा हुआ था? उस समय लिखा था- "WE, THE PEOPLE OF INDIA, having solemnly resolved to constitute India into a SOVEREIGN SOCIALIST SECULAR DEMOCRATIC REPUBLIC and to secure to all its citizens"

इसमें लिखा था- डेमोक्रैटिक रिपब्लिक, उसमें वर्ड एड किया गया बाद में 1976 के अंदर आधी रात को जब विपक्ष के सारे लोग जेल में बंद थे, कोई विपक्ष नहीं था, सदन में लाया नहीं गया और प्रीएम्बल के अंदर चेंज होते हैं यह वर्ड्स और उसके अंदर एड किया जाता है सोशलिस्ट और सेक्यूलर वर्ड को एड करने की यह घिनौनी हरकत इन लोगों ने की।

अब जब यह एड करते हैं सोशलिस्ट और सेक्यूलर, किसको पूछा इन्होंने? यह एड किया जो एड नहीं हो सकता था प्रीएम्बल में, उस प्रीएम्बल के अंदर इन्होंने एड किया। इस प्रकार का काम यह करते हैं। हम लोग तो बुलाकर संसद के अंदर और सी.ए.ए. के अंदर संशोधन बिल लेकर आये, उस संशोधन बिल को पास किया और पास करके उसको लागू किया, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं। कांग्रेस के लोग लोकतंत्र में विश्वास नहीं करते और इसलिए यह संविधान के साथ में हमेशा छेड़छाड़ करते रहते हैं। संविधान बनता है, संविधान को लागू करना चाहिए लेकिन राजस्थान के अंदर राजस्थान के मुख्य मंत्री यह कहते हैं कि हम संविधान को नहीं लागू करेंगे, इससे ज्यादा घोर अपराध क्या हो सकता है कि कोई प्रदेश, राजस्थान राज्य का मुख्य मंत्री इस प्रकार से कहे कि मैं संविधान को लागू नहीं करूंगा। मतलब, संविधान के अंदर उनका विश्वास उठा है, संविधान पर वह विश्वास नहीं करते और एक तरफ वह संविधान की बात करते हैं। हिन्दुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिन्दुस्तानी है। यहां पर हम लोग कोई मजहब, हर मजहब की रक्षा होती है हिन्दुस्तान में। हमने सबकी रक्षा यहां पर की है।

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आंकड़ा देना चाहती हूं कि जब देश आजाद हुआ 1947 के अंदर पाकिस्तान हिन्दुस्तान के अंदर से ही विभाजित हुआ। धर्म के नाम पर यह विभाजन हुआ। मुस्लिम कंट्री बनाई गयी और हिन्दू कंट्री रखी गयी। अब जब मुस्लिम कंट्री बनी तो उसमें गैर मुस्लिम कितने थे पाकिस्तान में? 23 परसेंट। 23 परसेंट गैर मुस्लिम और 1951 के इस आंकड़े को अगर आज हम जनगणना में देखते हैं तो मात्र डेढ़ परसेंट लोग रह गये। कहां चले गये? सिर्फ डेढ़ परसेंट आज गैर मुस्लिम वहां पर रह रहे हैं। क्या इसका कभी किसी ने सोचा? Being an Indian but not being as a congress or not being of any political party लेकिन एक हिन्दुस्तानी होने के नाते इस पर विचार करो। क्यों ऐसा हुआ कि हमारे अल्पसंख्यक लोग रह गये थे पाकिस्तान के अंदर। चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह ईसाई हो, चाहे वह सिख हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे वह जैन हो, चाहे वह पारसी हो, उनकी जनसंख्या 23 परसेंट से डेढ़ परसेंट पर कैसे आ गई? दूसरी तरफ वह मुस्लिम कंट्री के अंदर जो बहुसंख्यक थे, उस समय वह 85 परसेंट थे, आज बढ़कर वह 97 परसेंट हो गये तो धार्मिक आधार पर ...(व्यवधान) आपकी बारी आए तब आप भी बोल लेना, मैं यहां पर किसी मजहब की कोई बात नहीं कर रही हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, आप बैठे-बैठे मत बोलिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं बात कर रही हूं हिन्दुस्तान की, अपने देश की बात कर रही हूं। इसलिए इस जनगणना को आपको सोचना होगा कि जब हमारे यहां पर वह जनगणना हिन्दुओं की, देश आजाद हुआ 1951 की जनगणना बता रही हूं 84 परसेंट और मुस्लिम की उस समय थी 9 परसेंट और आज 2011 की जनगणना हम जब देख रहे हैं तो हिन्दू की जनसंख्या 84 परसेंट से घटकर 79 परसेंट होती है और मुस्लिम जनसंख्या 9 परसेंट से 15 परसेंट हो जाती है। 9 प्रतिशत से 15 प्रतिशत बढ़ती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप पहले हमें बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी का अंकित नहीं होगा। किसी का अंकित नहीं होगा। केवल माननीय श्रीमती किरण माहेश्वरी का होगा, बाकी किसी का अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मुस्लिम जनसंख्या 9 परसेंट से बढ़कर 15 परसेंट वर्ष 2011 में हो गयी तो क्या हमने कभी किसी के धर्म का अनादर किया?

श्री सभापति: आप अपनी बात को एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हमने किसी के धर्म के प्रति कोई गलत बात कही? हमने हमेशा सबके धर्म का समभाव रखा और सबका आदर किया तो यह 9 परसेंट से 15 परसेंट बढ़े और हम वहां पर पाकिस्तान के अंदर 23 परसेंट से डेढ़ परसेंट पर आ जाते हैं तो क्या यह शर्म की बात नहीं है कि आज वहां पर जो अल्पसंख्यक हैं, उन अल्पसंख्यकों की मां-बेटियों के साथ में किस प्रकार का व्यवहार होता है। हर दूसरे दिन रेप के केसेज आते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हर दूसरे दिन अपहरण होते हैं। धर्मांतरण होगा तो ही आप सुरक्षित रहोगे, नहीं तो आप अपने धर्म का परिवर्तन करो, नहीं तो आपकी बहन-बेटियों की इज्जत लूटी जाएगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इस प्रकार का जहां पर होता है अगर वहां हमारे भारत देश के यशस्वी प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदीजी, हमारे देश के गृह मंत्री श्री अमित शाहजी अगर इस प्रकार का प्रस्ताव लाते हैं कि कोई भी प्रताड़ित ऐसा अल्पसंख्यक है वहां, अगर वह हमारे देश में आता है तो उसे नागरिकता मिलनी चाहिए तो क्या गलत किया? इनकी प्रोब्लम क्या है?

श्री सभापति: विराजिए-विराजिए। समाप्त करें। समाप्त करें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इनकी प्रोब्लम है अपीजमेंट, इनकी प्रोब्लम है केवल वोटो के खातिर यह देखना चाहते हैं कि हम वोट ले लें और किसी तरीके से संतुष्ट करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री अमीन खां।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसलिए यह इस प्रकार की हरकत करते हैं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय सभापति महोदय, अभी मुझे दो मिनट और दीजिए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप मुझे तो कह रहे हैं विराज जाओ और हरेक को आपने दो-दो मिनट दिये हैं आगे। आपको दो मिनट देना होगा। आज अफगानिस्तान में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, अंकित नहीं होगा। श्री अमीन खां। यह परम्परा आपने ही डाली है। आप विराजिए। विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। आप विराजिए मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं, अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं होगा। विराजिए। विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है, विराजिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: आपका अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजिए। विराजिए। श्री अमीन खां।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मुट्ठियां बांध-बांध कर आप दिखा रही हो, आप आसन की अवहेलना करते हैं। माननीय अमीन खां। आप विराजिए।

यह क्या तरीका है आप लोगों का? आसन के बार-बार मना करने के बावजूद भी आप बोले जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं अंकित नहीं हो रहा है। क्या

(श्री सभापति)

फायदा है इन बातों का? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। कुछ सीख लीजिए। मुझे बाध्य होकर समय कम करना पड़ेगा आपके यहां का। आप विराजिए।

श्री अमीन खां (शिव): माननीय सभापति महोदय, हिन्दुस्तान ... (व्यवधान) मैं राजेन्द्र राठौड़ से जानना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय अमीन खां साहब, इधर आसन की तरफ बोलिये। हां, इधर। आप उनको इनवाइट मत कीजिए।

श्री अमीन खां (शिव): हिन्दुस्तान का नाम, इस हिन्दू शब्द का अर्थ आप बता दो। आप खुद अपनी जबान से इस हाउस में अभी बोले हो। अवाम यह चाहती है, यह अवाम कौनसी भाषा का शब्द है। हिन्दुस्तान में, सारी दुनिया में मैं यह समझता हूं हिन्दुस्तान की जो इज्जत है और हिन्दुस्तान की जो आबरू है, वह इस धर्म निरपेक्षता के कारण है। धर्म के नाम पर पाकिस्तान देश बना 14 अगस्त, 1947 में, आज दुनिया में उसकी टके भर भी इज्जत नहीं है। हमारी यह गलती है, चाहे किसी की गलती है, गलत काम हुआ पाकिस्तान का बनना। पाकिस्तान का बनना, आप यह समझते हो कि हम यहां के मुसलमान खुश हैं, सबसे ज्यादा बर्बाद इस पाकिस्तान के नाम से हम हो रहे हैं। आज भरत सिंह जी को पूछ लो, राजेन्द्र सिंह जी राठौड़ से पूछ लो कि किसी मुसलमान से आपकी रंजिश है क्या? यह दोनों चाहे अलग-अलग पार्टी में हो, मुसलमान कौम से यह कतई नाराज नहीं हैं।

मैं जिस क्षेत्र से चुनकर आता हूं उसमें 20 प्रतिशत मुसलमान मतदाता हैं और मैं पांचवीं बार इस सदन में आया हूं, कोई मुसलमानों की ताकत से नहीं आया हूं, हिन्दुओं की ताकत से आया हूं। हमारे बोर्डर की बातें आप यहां उछालकर गलत बातें सुनाते हो। हम हिन्दुओं के साथ रहते हैं, हमारे हिन्दुओं के साथ मधुर संबंध हैं और हिन्दुओं का हमारे पर कोई अन्याय नहीं है। आज जैसे कोई घटना होती है तो उसका उदाहरण हमें बताते हैं। लाखों जनसंख्या के जिम्मेदार इंसान का फर्ज नहीं है कि गलत हो। क्या इस जयपुर शहर की मुस्लिम लड़कियों की हिन्दुओं में शादी नहीं हुई है क्या हिन्दू लड़की की मुसलमानों में शादी नहीं हुई है? यह रोको। लड़का और लड़की जब बालिग बनते हैं तो वह अपनी स्वतन्त्रता के खयाल से शादी कर लेते हैं। आप और हम गुनहगार नहीं हैं, उनकी मर्जी की बात है। पाकिस्तान में कोई हिन्दू लड़की ने किसी मुसलमान से शादी की तो कोई अख़बार की कटिंग लेकर दूसरे

(श्री अमीन खां)

दिन कहते हैं कि साहब, उसका धर्म परिवर्तन हो गया और मुसलमानों ने धर्म परिवर्तन कराया। यह बातें बिलकुल गलत हैं। हां, यह बात सच है अपने देश का जो विभाजन हुआ, वह हमारा दुर्भाग्य है और उस विभाजन में कोई मुस्लिम कौम को आप दोषी बताते हो तो यह आपका तरीका गलत है। उस वक्त भी देश में बहुमत हिन्दुओं का था। कोई मुसलमान पार्लियामेंट में रिजोल्यूशन पास नहीं करा सकते थे। जितने आप गुनहगार हो, उतने ही हम गुनहगार हैं। मेरा यह सुझाव है कि मुल्क की खूबसूरती, मुल्क की ताकत धर्म निरपेक्षता से ज्यादा बढ़ेगी और एक-दूसरे के धर्म के नफरत की बातों से मुल्क में और विभाजन हो सकता है।

आप दावत दे रहे हैं, सभी आओ नागरिकता बिना जांच हम दे देंगे। नागरिकता पहले भी मिली है, कांग्रेस की गवर्नमेंट में भी हजारों पाकिस्तान के हिन्दुओं को नागरिकता दी है। इन्क्यावरी होती है, क्या इस देश में पाकिस्तान के जासूस पकड़े गये, उनमें गैर-मुस्लिम नहीं आये हैं? क्या इस मुल्क में चाइना और पाकिस्तान के युद्ध में मुसलमानों की छाती में गोली नहीं लगी है? उस मुसलमान को आप देशद्रोही कहते हो, यह नहीं कहना चाहिए। कालीचरण जी, हमारी कौम के आदमियों के पाकिस्तान की छाती में गोली लगी है और उनको कब्र की जमीन नहीं मिली है। इस देश के स्वतन्त्रता सेनानी ऐसे मुसलमान रहे हैं, जिनको अंग्रेजों ने इस देश में कब्र के लिये तीन फुट जमीन भी नहीं दी और उनको रंगून में दफनाना पड़ा।

मेरी आपसे इस मौके पर सभी से बहुत अदब के साथ अर्ज है कि आप और हम सब एक हैं। केवल एक वोट बटोरने के लिये किसी को गाली देना, किसी को नीचा दिखाना, अच्छी बात नहीं है। बाहर जो जनता बैठी है, अपन यहां गलत भाषण देते हैं, वह अपनी मजाक उड़ाते हैं। मजाक नहीं, देखिये आप देश के बड़े जिम्मेदार लोग हैं। जिम्मेदारी पाकिस्तान बनाने की हम यहां जो बैठे हैं, आप शायद सोचते होंगे कि हम माइग्रेशन होकर आये हैं, हम माइग्रेशन होकर नहीं आये। हम पीढियों से इसी धरती के रहने वाले हैं। पाकिस्तान हमारे लोग गये जरूर होंगे, लेकिन हम पाकिस्तान से नहीं आये। हम भारत की धरती पर पैदा हुए हैं, और भारत की धरती पर रहेंगे। आप चाहे कितने भी कानून बना दो, आप इन आने वालों करोड़ों आदमियों को कहां बसाओगे? बाहर के लाखों आदमियों को बुलाकर यहां कौनसी जमीन पर आप बसाओगे, पहले यह तो फैसला करो। इस तरह की हरकतें अगर बहुत आगे

(श्री अमीन खां)

जाकर बन गयीं तो राठौड़ साहब, मैं तो ज्यादा ज्ञानी नहीं हूं, देश का एक और विभाजन होगा। दलित भी आपसे कोई संतुष्ट नहीं हैं। चाहे कितने भी आप तिलक इनके ऊपर लगा दो, दलित अलग देश मागेंगे। अल्पसंख्यक मुसलमान और सिख, यह फिर कोई तीसरी मांग शुरू करेंगे, इससे देश मजबूत नहीं होगा, देश को खतरा पैदा होगा। मेरी सभी से बहुत अदब के साथ गुजारिश है कि मुल्क की सद्भावना, मुल्क की धर्म निरपेक्षता की धारा को सब मिलकर मजबूत करें तो अच्छा होगा और नफरत फैलाने से किसी भी देश को नुकसान है। यही कहते हुए मेरी बात समाप्त करता हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: श्री वासुदेव देवनानी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज जो संकल्प इस सदन में लाया गया है, वास्तव में यह संविधान के संघीय ढांचे और संविधान की धारा 2 अनुच्छेद 11 का स्पष्ट उल्लंघन है। यह संकल्प संघीय ढांचे पर खुला प्रहार है। यदि संकल्प लाना था तो पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर जो अत्याचार हो रहे हैं, उसकी निन्दा का संकल्प लाते तो लगता कि कांग्रेस के अंदर कोई इज्जत है, कोई सम्मान है यहां के लिये, लेकिन उसका संकल्प तो लाये नहीं। यह लाये, जैसा मेरे से पूर्व वक्ता बोल रहे थे, यह हिन्दुस्तान में रहने वाले मुसलमानों से संदर्भित है नहीं। यह तो जो संविधान की धारा 14 के द्वारा देते हैं, उसमें स्पष्ट है कि संविधान की धारा 14 केवल भारत में रहने वाले नागरिकों के लिये है, विदेशियों के लिये नहीं है। यह भारत के मुसलमानों के लिये नहीं है, वह तो यहां के नागरिक हैं, लेकिन जो विदेशों में रह रहे हैं, उनको नागरिकता देने का काम तो केन्द्रीय सरकार का है। जब केन्द्रीय सरकार ने लोक सभा और राज्य सभा में पारित कर दिया, राष्ट्रपति ने उस पर हस्ताक्षर कर दिये, उसके बाद किसी भी राज्य सरकार या उसके मुख्य मंत्री को यह कहने का कोई अधिकार नहीं है कि मैं इसे लागू नहीं करूंगा। आप तो क्या, आपके बड़े भी इसको लागू करेंगे और यदि नहीं करोगे तो घर चले जाओगे, राष्ट्रपति का शासन होगा, आप मुख्य मंत्री तक भी नहीं रह पाओगे। इस प्रकार का आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन संविधान की आपने शपथ ली है, संविधान की शपथ की तो आपको पालना करनी पड़ेगी। मैं एक विस्थापित परिवार से आता हूं...(व्यवधान)

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): यह धमकी दे रहे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह होगा। संविधान जो सबको धमकी देता है, क्या नियम का पालन है। मैं एक विस्थापित परिवार से आता हूं, हमने वह दिन देखे हैं, हमारे परिवार ने देखे हैं, जब वहां से विस्थापित होकर भारत में आये। हजारों लोगों का जो धर्म के आधार पर विभाजन हुआ, उसका दंश हमने सहा है। मेरे पिताजी ने सहा है, मेरे दादाजी ने सहा है। आप उनके दु:ख-दर्द को देखते कि हमने यहां आकर क्या पीड़ा और यातना सही है। उन यातनाओं को यदि आप देखते, कितने लोग बेघरबार हुए, ट्रेनें की ट्रेनें कटी हुई आयीं, उसको जरा आप देखते तो आपका खून खौलता। फिर आप यह संकल्प नहीं लाते, क्योंकि आपने उस दंश को देखा तक नहीं है और हम बेघरबार हुए, दर-दर की ठोकरें खायीं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा। (व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति, जब हम लोग पाकिस्तान से आये तब मेघवाल समाज, वाल्मीकि समाज, गारी समाज, रामवा समाज, हांजोग समाज, नमोशुद्ध समाज, सफाई कर्मचारी समाज अधिकांश गरीब और अज्ञानी थे। इसके लिये वह ..(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जो दलित समाज के लोग थे, दलित समाज के लोग वहां पर रह गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे मत बोलिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जब 1950 में लियाकत अली और नेहरूजी के समझौता हुआ, उन्होंने सोचा कि हम हमारे धर्म के साथ रह सकेंगे, हमको रोजगार मिल सकेगा, हम शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे, लेकिन हुआ उलटा। वहां पर उनके साथ जो अत्याचार हुए, उसके अंदर भारत ने तो उसका

(श्री वासुदेव देवनानी)

पालन किया, इसका परिणाम यह हुआ कि अल्पसंख्यक 8 प्रतिशत से 18 प्रतिशत हो गये, हमने सम्मान दिया। पाकिस्तान के अन्दर, बांग्लादेश के अन्दर, अफगानिस्तान के अन्दर नरसंहार हुआ। नरसंहार एक बार नहीं हुआ, 1949 में हुआ, 1950 में हुआ, 1951 में हुआ, 1952 में हुआ, 1958 में हुआ, 1960 में हुआ, 1965 में हुआ, 1970-71 में हुआ, 1990, 1992 में हुआ, 2013 में हुआ, 2017 में हुआ। 1971 का नरसंहार तो अत्यन्त ही भयावह था, माताओं का कइयों का सुहाग लूटा गया, कई माताओं की कोख सूनी हो गई लेकिन आज भी वहां पर यही स्थिति है।

(14.00 बजे)

1947 में पाकिस्तान में, पिताजी बताते थे वहां पर एक हजार मंदिर थे और आज वहां पर केवल 20 मंदिर रह गये हैं, बाकी कहां गये? जनसंख्या भी 23 परसेंट से 3 परसेंट, बांग्लादेश में 21 परसेंट से 7 परसेंट, अफगानिस्तान में एक लाख लोग थे और आज एक हजार रह गये हैं, यह कहां गये? या तो मार दिये गये या उनका धर्मांतरण कर दिया गया या यहां पर शरणार्थी होकर आये। यदि आन्दोलन करना है तो पाकिस्तान के खिलाफ करो, उसकी भाषा मत बोलो। इसलिए मैं आपको यह राय दूंगा।

ननकाना साहिब की घटना आपके सामने है। मैं यहां नहीं कह रहा हूं, यह बात लोक सभा के अन्दर, 2003 से 2011 तक, 2003 में विनोद खन्ना विदेश राज्य मंत्री थे, 2005 में ई. अहमद थे, 2007 में प्रकाश जायसवाल थे, 2010 में कृष्णा यूपीए के थे, 2011 में प्रिनीत कौर थीं, इन सबने पार्लियामेंट में यह स्वीकार किया कि हिन्दुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, उनके लिए कुछ किया जाना चाहिए। अभी आमेर से आने वाले विधायक ने कहा, आपने तो अपने संकल्प पत्र में लिखा लेकिन वोटों का जो मोह है, अल्पसंख्यकों के वोट चाहिए, इनको हिन्दुओं, सिख और बाकियों के नहीं चाहिए। सारे आक्रोशित हैं, केवल एक अल्पसंख्यकों के वोटों से सरकारें नहीं चलतीं, सर्व समाज से चलती हैं इसलिए जरा अपने आपको टटोलो, आत्म चिंतन करो, केवल उससे गाड़ी नहीं चलेगी। इसलिए कांग्रेस का यह जो आन्दोलन है, इसका जो समर्थन कर रहे हैं, सी.ए.ए. का जो विरोध कर रहे हैं ये विभाजनकारी हैं।

(श्री वासुदेव देवनानी)

मुझे 1919 का ध्यान है जिस समय खिलाफत आन्दोलन हुआ था। खिलाफत आन्दोलन के बाद ही पाकिस्तान की नींव पड़ी और उसके बाद देश का विभाजन हुआ लेकिन अब हम देश का विभाजन नहीं होने देंगे। कोई हमारा विभाजन कर नहीं सकता चाहे आप कितनी भी ताकतें ले आओ, उससे कुछ नहीं कर सकते। भा.ज.पा. का और मोदी का विरोध तो जरूर करो, यह आपको हक भी है लेकिन इस पर चलते-चलते भारत का विरोध मत करो। आप भारत के नागरिक हो, भारत का विरोध करोगे तो कहां जाओगे?

अल्पसंख्यक जो वहां से आ रहे हैं, आखिर यह कहां जाएंगे, क्या ईरान, इराक जाएंगे? भारत ही तो उनके लिए जगह है और यदि भारत में आएं तो क्या जी नहीं सकते? कल यहां पर विस्थापित आये थे, उनकी पीड़ा सुनते तो आपके आंसू आ जाते, हम उनके साथ थे। वहां पर उनको लगा कि न वो वहां पर शिक्षा ग्रहण कर पा रहे हैं, उन्हें यातनाएं मिल रही हैं तो वो भाग करके यहां पर वीजा लेकर आये हैं, उनको मोदी जी यदि नागरिकता देते हैं तो उसमें भी आपको आपत्ति है। उसमें आपको तो स्वागत करना चाहिए था, मोदी जी का अभिनन्दन करना चाहिए था कि मोदी जी, आप इन विस्थापितों को नागरिकता दे रहे हो। आज यदि अभिनन्दन करते तो शायद यह संकल्प पारित होता।

आज कहते हैं देशभर के अन्दर बड़ा विरोध कर रहे हैं। कहां है, आपको विरोध कहां दिख रहा है? शिक्षा मंत्री जी यहां बैठे होंगे, एक हजार विश्वविद्यालय हैं, एक हजार विश्वविद्यालयों में से कितने में आन्दोलन चल रहा है, चार या पांच विश्वविद्यालय हैं बाकी 995 विश्वविद्यालय तो इसका समर्थन कर रहे हैं। इसका विरोध कहीं नहीं है, करोड़ों लोग इसके समर्थन में हैं। इसके कारण आज आपके जे.एन.यू., जामिया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय है, मैं अल्पसंख्यकों से निवेदन करूंगा आप कांग्रेस के चक्कर में मत आओ, भ्रमित मत हो, यह आपको कहीं का नहीं छोड़ेंगे, यह आपको इस तरह की बात करके आपस में लड़ाई लड़वाएंगे। यदि वास्तव में यहां पर आप सद्भाव के साथ रह रहे हो, आपके लिए यह विधेयक नहीं है। यह विधेयक उन लोगों के लिए है और यदि ऐसा होता तो आज रोहिंग्या, जिसका मैं उदाहरण दे रहा हूं, रोहिंग्या तो चीन से केवल दो किलोमीटर ही दूर हैं, भारत से 1770 किलोमीटर दूर हैं फिर वो भारत क्यों आये? क्योंकि चीन में तो मार

(श्री वासुदेव देवनानी)

दिये जाते और यहां आप जैसे कुछ लोग उनकी आरती उतारने के लिए तैयार बैठे हो, इसलिए आये। इसलिए यह जो रोहिंग्या आये, मैं समझता हूं उसके बारे में विचार करना चाहिए।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अभी माननीय सदस्य कह रहे थे तसलीमा नसरीन, तसलीमा नसरीन को कट्टरपंथियों के दबाव के कारण आपने ही निर्वासित किया, हमने निर्वासित नहीं किया, उसको भी आप सहन नहीं कर पाये। यह आक्रमण तो हमारे समय में, मैं सिंधी समाज से आता हूं, वहां दाहरसेन थे, जब मुस्लिम आक्रांताओं ने अत्याचार किया तब से जबरन धर्मांतरण की बात शुरू होने लगी।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, आज सुप्रीम कोर्ट में इस पर बहस चल रही है लेकिन आपको इतना धैर्य भी नहीं, सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट दे तब आप उसके बारे में बात करते लेकिन सुप्रीम कोर्ट पर भी विश्वास नहीं, संविधान पर विश्वास नहीं तो आखिर किस पर विश्वास है? क्या केवल अपने आप पर है? केवल +++ को खुश करने के लिए...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): 28 तारीख को आ रहे हैं और आज संकल्प लेकर आ रहे हो, उसके कारण यह संकल्प पारित कर दोगे, यह नहीं चलेगा।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, जो सदन में नहीं हैं उनके बारे में स्पीकर ने कहा है कि कोई चर्चा नहीं कर सकते।

श्री सभापति: सब एक्सपंज हो जाएगा, विराजिए आप। जो इर्रिलेवेंट है वो सब एक्सपंज होगा, विराजिए। समाप्त करें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): चलो आप उनका नाम नहीं लेना चाह रहे, नहीं लेता हूं, आप अपने नेता को खुश करने के लिए यदि इस प्रकार कर रहे हो तो निश्चित रूप से ...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। प्लीज, विराजिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मैं संशोधन विधेयक का समर्थन करते हुए मोदी जी, अमित शाह का अभिनन्दन करता हूं। इस संकल्प का विरोध करता हूं। आइये, हम सब मिल करके इस पर पुनर्विचार करें।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अपनी अन्तर आत्मा से जरा वोट देना तो आपमें से भी कई लोग हमारे साथ आ जाएंगे, इस प्रकार का है इसलिए इतनी बात कहते हुए मैं आपसे निवेदन करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रोहित बौहरा।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): धन्यवाद, सभापति महोदय। मेरे खयाल से बी.जे.पी. के नेताओं की सबकी सी.आर. अमित शाह और मोदी जी तक पहुंच जाएगी, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, आप सबकी सी.आर. लिख देंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय कालीचरण जी।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आप तो इतने वरिष्ठ हैं, मैं तो आपका बच्चा हूं, सुन तो लें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप आसन की तरफ मुखातिब हों, उन्हें इनवाइट मत करिये आप। हां, इस पर बोलिये आप।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): सभापति महोदय, सी.ए.ए. का जो पास हुआ है भारत के अन्दर उसका एक ही उद्देश्य था कि केन्द्र सरकार किस तरह से अपनी नाकामियां छिपाए, वो इस देश में एक ऐसा माहौल पैदा करना चाह रही थी जिससे कि सबका ध्यान इधर-उधर बंट जाए और कोई इकोनोमी पर बात नहीं कर सके। आज आपको राज करते हुए छह साल हो गये..(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): साहब, सुन लें। सुनने का माद्दा रखें, हम भी सुन रहे थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): आज 21 परसेंट लोग रोज 36 रुपये की

(श्री रोहित बौहरा)

रोजी-रोटी कमाते हैं, क्या आपने उनके बारे में सोचा? इतना अनएम्प्लायमेंट, जो हमारी मीडियन एज है, हम आज से छह साल पहले बात करते थे कि 'India is a bubbling economy', 26 साल की मीडियन एज है, लोगों को एम्प्लायमेंट मिलेगा, हम अपने आपको चीन से कम्पेयर कर रहे थे। आज इनके पूरे भाषणों में इन्होंने क्या किया है अपने आपको गिरा दिया है पाकिस्तान से कम्पेयर कर दिया। जिसकी इकोनोमी चल भी नहीं रही है, रो रही है, ये अपने आपको उससे कम्पेयर कर रहे हैं। तो जब तक यह मानसिकता नहीं छोड़ेंगे कि अपने आपको ये पाकिस्तान से कम्पेयर करना नहीं छोड़ेंगे तब तक इस भारत देश का उद्धार कभी नहीं हो सकता। यह सिर्फ स्तुति में लगे हुए हैं अमित शाह की स्तुति में लगे हुए हैं मोदी जी की स्तुति में लगे हुए हैं। इसके अलावा इनके पास कोई काम नहीं है।

आप देखिये छह साल में साढ़े पांच परसेंट इन्फ्लेशन। आज आपने एफ.डी. रेट सवा छह परसेंट कर दी, मतलब रुपया आपने खुद ही डी-वैल्यू कर दिया। रुपये को आपने डी-वैल्यू कर दिया। आप सुनिये, ऐसे मत करिये साहब। मैं आपको यही बता रहा हूं कि सीए.ए. क्यों लेकर आये हैं। आपकी नाकामियां आपको गिना रहा हूं।

आज आपने हमें प्रोमिस किया कि जी.एस.टी. में जो हमें नुकसान होगा वो राज्यों को 14 परसेंट देंगे, राजस्थान में आज तक 14 परसेंट पैसा नहीं आया है। जो नुकसान हुआ उसकी भरपाई नहीं हुई। इन्फ्लेशन 4 परसेंट था, जी.डी.पी. की ग्रोथ 7 परसेंट थी, आप 11 परसेंट पैसा दे सकते थे। आपने झूठा वादा करके हमें कह दिया कि हम आपको 14 परसेंट देंगे और 14 परसेंट का पूरे देश के राज्य घूम रहे हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा, राज्यों की हालत आपने खराब कर दी। आपको जी.एस.टी. में जहां सवा लाख करोड़ रुपया कलेक्शन करना था हर महीने का, आपका 95 हजार करोड़ रुपये से ऊपर कलेक्शन ही नहीं हो रहा है। यह सब ध्यान बांटने के लिए इन्होंने क्या किया कि सी.ए.ए. ले आओ, लोगों को भड़काओ, आपस में लड़ाओ और इसके अलावा इन्होंने कोई काम नहीं किया।

कल दावोस में मीटिंग थी, पहली बार ऐसा हुआ है कि पूरे विश्व के उद्योगपतियों ने भारत को नकारा है। क्यों नकारा है, बिकाज आफ रिलीजियस। जिस तरह से रिलीजियस बातें कर-करके हमको आपस में डिवाइड

(श्री रोहित बौहरा)

कर रहे हैं, यह सी.ए.ए. इसीलिए लेकर आये हैं। इनका और कोई उद्देश्य नहीं है। इनका उद्देश्य नहीं है कि हम सब भारत में शांति से रह सकें, मिलकर रह सकें, वो उद्देश्य नहीं है क्योंकि यदि इनका यह उद्देश्य होता तो जो श्रीलंका से हिन्दू आये होते उनकी बात करते। जो अहमदिया मुस्लिम पाकिस्तान में रह रहे थे उनकी बात करते। इन्होंने किसी की बात नहीं की। बर्मा से हिन्दू आ रहे थे उनकी बात नहीं की। इन्होंने सिर्फ तीन देशों की बात की कि आपस में लड़ाओ और काम करो।

आज इनको यह चिंता नहीं है। इन्होंने कहा कि सैन्ट्रल पूल से हम आपको 42 परसेंट पैसा देंगे, उसकी चिंता नहीं है। वह 42 परसेंट पैसा नहीं देकर सिर्फ 35 परसेंट दे रहे हैं। जिससे कि सरकारों की हालत खराब हो सके। अनएम्पलायमेंट हो सके। सब राज्य सरकारों की हालत इसीलिए ही खराब है क्योंकि सेंटर उनका पैसा नहीं दे रहा है। इसके ऊपर कोई बातचीत नहीं है आपकी। इसके ऊपर आपने कोई बात नहीं की कि किस तरह से आपने आईजीएसटी का पैसा रोक रखा है। जिस दिन से आपका जीएसटी चालू हुआ है, आईजीएसटी में आपने किसी भी स्टेट को एक पैसा आज तक नहीं दिया है। क्यों नहीं दिया? क्या आईजीएसटी पर राज्यों का हक नहीं है? तब आपका यह कहां रह गया कि सीएए का एक्ट हमने पास कर दिया, तो क्या आईजीएसटी का एक्ट आपने पास नहीं किया था? वह क्या स्टेट्स को दे दिया आईजीएसटी? नहीं दिया न आपने? आपको तो सिर्फ धार्मिक उन्माद इस देश में पैदा करना है। धार्मिक उन्माद के ऊपर आपको एक-दूसरे से लड़ाना है। जिससे कि लोगों का ध्यान अनएम्पलायमेंट पर नहीं जाए, इकोनामी पर नहीं जाए।

सभापति महोदय, आज जीडीपी की ग्रोथ वर्ल्ड बैंक ने 5 परसेंट से नीचे आंक दी। The World Bank has said that next year your GDP growth would be 4.5 percent, which is shamed. यानी हम लोगों को यह समझ में नहीं आएगा कि साढ़े 4 परसेंट की जीडीपी ग्रोथ में किस तरीके से अनएम्पलायमेंट जो आज की डेट में इतना बढ़ा हुआ है, वह और बढ़ जाएगा। उसकी इन्होंने किसी ने बात नहीं की। वह बात इसलिए नहीं की।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): यह बजट पेश नहीं हुआ है।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। बैठे-बैठे मत बोलें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह बजट पेश नहीं हो रहा। यह इसलिए कि आप ध्यानाकर्षण दूसरी तरफ कर रहे हो।

श्री दानिश अबरार (सवाईमाधोपुर): यह मन की बात नहीं है।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यह मन की बात नहीं है। आप बैठो। यह मन की बात नहीं है। यह आपके समझ में नहीं आएगी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): 000

श्री सभापति: माननीय अवस्थी जी, विराजें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): यदि आज इन्होंने ध्यान दिया होता तो यह बात ही नहीं होती। यह सीएए आता ही नहीं। यही मैं आपको कहना चाह रहा हूं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलें। कुछ तो सीख लीजिए।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): पहली बार ऐसा हुआ जब दुनिया के सब उद्योगपति मिलते हैं और दावोस में पहली बार।

श्री सभापति: 2 मिनट में अपनी बात आप समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): बिलकुल सरकार, 1 मिनट में कर दूंगा। आप कह रहे हैं 2 मिनट, मैं 1 मिनट में कर दूंगा। मैं आपको ऐसा कोई मौका नहीं दूंगा। आज दावोस में पहली बार हुआ कि इंडिया को नकारा गया। कितने शर्म की बात है कि इंडिया को नकारा गया क्योंकि हम रिलीजियस उन्माद पैदा कर रहे हैं। इस कारण से हमें नकारा गया। वैसे ही वहां पर ट्रम्प को नकारा गया। यह जो राइटिस्ट थोट है, यह सिर्फ हिन्दू, मुस्लिम इसकी बात करने से काम नहीं चलेगा। लोगों के पेट में भूख है। आपको उस पेट को भरना पड़ेगा। आप वह नहीं कर रहे हैं। इसके कारण से ही आप धार्मिक उन्माद की बात कर रहे हैं। जो सीएए की आप बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, आपने आज अनएम्पलायमेंट की बात नहीं की। इनफ्लेशन की आपने बात नहीं की। जीडीपी की किसी ने बात नहीं की। आपने

(श्री रोहित बौहरा)

आरबीआई से जो पैसा ले लिया, आपने आरबीआई से ही पैसा छुड़ा लिया। इतना पैसा ले लिया कि आपके पास देने के लिए पैसा ही नहीं है। इस पर आपका कोई जवाब ही नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रोहित बौहरा (राजाखेड़ा): जो आप कर सकते हो, जितना आप इस इकोनोमी को बर्बाद कर सकते हो, वह आप बर्बाद कर लो। आप देखिए कि आपका साल भर बाद क्या हाल होगा? आपकी इस सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। इन मुद्दों पर ही रिजाइन करना पड़ेगा। यह मैं आपको सच कह रहा हूं। आप देख लीजिए कि आपका कितना बुरा हाल होगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, नागरिकता संशोधन कानून किसी की नागरिकता को प्रभावित नहीं करता है। यह यहां के मुसलमानों के खिलाफ नहीं है। हिन्दुस्तान में हिन्दू रहते हैं, मुसलमान रहते हैं, ईसाई रहते हैं। यह सबको नागरिकता प्रदान करता है। किसी की नागरिकता के साथ छेड़खानी नहीं करता है। यह कानून नागरिकता देने वाला है। नागरिकता छीनने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री श्रीमान अशोक जी गहलोत कहते हैं कि इस कानून को लागू नहीं होने दूंगा। अब इनको पता ही नहीं है। संविधान की सातवीं अनुसूची के अंतर्गत यह मामला आता है। यह इस पर चर्चा ही नहीं कर सकते। यह कर ही नहीं सकते। लेकिन पता नहीं पढ़े-लिखे होकर भी जान-बूझकर इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। पता है इनको, इसको लागू नहीं करेंगे तो क्या होगा? यह जानकारी इनको होनी चाहिए। यदि इनमें इतनी दम थी तो कानून बनाते कि लागू नहीं करुंगा इसको, तो बताते कि क्या होता है। 356 तैयार हैं इनको घर भेजने के लिए। 356 तैयार हैं घर भेजने के लिए। दम है तो लाओ कानून।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आप धमकी दे रहे हो क्या?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, धमकी दे रहा हूं। संविधान धमकी देता है। संविधान में यह प्रावधान है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): यह क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: मंत्री महोदय, प्लीज। विराजिए, माननीय मंत्री महोदय।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): कांग्रेस के राज में सबसे ज्यादा सिटीजनशिप राजस्थान में अशोक जी गहलोत के राज में दी गई है।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजें।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपके राज में कितनी दी गई हैं, यह बता दो।

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, विराजिए ...(व्यवधान) विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, यह कह रहे हैं कि यह धर्म के आधार पर लाया गया है। यह यहां धार्मिक आधार पर बांट रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि किसको बांटा? इसमें तो हिन्दू भी हैं, ईसाई भी हैं, पारसी भी हैं, जैन भी हैं, सिख भी हैं, बौद्ध भी हैं। अब इनको पीड़ा क्या है? यह मेरी समझ में नहीं आ रही है। इनको पीड़ा क्या है कि अफजल के रिश्तेदारों को क्यों नहीं ला रहे हो? कसाब के रिश्तेदारों को क्यों नहीं ला रहे हो? सभापति महोदय, यह पीड़ा है। धर्म के आधार पर देश को बांटने की बात कर रहे हैं। यह सब लोग कहां गए थे? इनको सांप सूंघ गया था जब 1990 में कश्मीर से लाखों कश्मीरियों को मारकर, काट करके, उनकी सम्पत्तियां लूटकर वहां से भगा दिया गया था। तब क्या हो गया था इनको? यह क्यों नहीं बोले? बातें कर रहे हैं इस प्रकार की। जब धर्म के आधार पर दिल्ली में 3 हजार सिखों का कत्लेआम कर दिया गया तब इनमें से एक भी नहीं बोला। उनकी हत्याएं होती रहीं और +++ क्या कहते हैं ...

श्री सभापति: अपने सब्जेक्ट पर रहिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): बड़ा पेड़ गिरता है तो यह होता है ...(व्यवधान)

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): सभापति महोदय, यह क्या है ... (व्यवधान)

श्री सभापति: इसको एक्सपंज कर दिया। कोई अंकित नहीं होगा।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा। विराजिए आप। श्री मदन दिलावर।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): जब कसाब और अफजल गुरु को सुप्रीम कोर्ट द्वारा फांसी सुनाई गई।

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): रात को जाकर दरवाजा किसने खटखटाया था सुप्रीम कोर्ट का? सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा किसने खटखटाया? माननीय सभापति महोदय, बाटला हाउस में जब आतंकवादी मारे गए।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। आपके माननीय सदस्य बोल रहे हैं, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): +++ रात भर रोई थीं रात भर ... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए माननीय सदस्य।

श्री रूपा राम (मकराना): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है। विराजिए। माननीय सदस्य, आप सब्जेक्ट पर रहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको पीड़ा यह है कि जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आ रहे हैं वह अधिकांश अनुसूचित जाति के हैं, अनुसूचित जन जाति के हैं, मैं अनुसूचित जन जाति का हूं। वहां से 70 प्रतिशत लोग आ रहे हैं। जब उनको मारा गया, लूटा गया और उनकी सम्पत्ति लूट ली गई, उनके ऊपर अत्याचार किए गए। उनको तलवार के बल पर काट दिया गया। उनको जब शरण देने की बात होती है, जो यहां शरणार्थी के रूप में आए, आज भी उनको नागरिकता नहीं दी गई। नागरिकता नहीं देने से क्या नुकसान हुए? उनको रोज थानों में हाजिरी लगानी पड़ती है। उनके बच्चे स्कूल में नहीं पढ़ सकते हैं। उनके बच्चों का और उनके मां-बापों का इलाज सरकारी अस्पतालों में नहीं हो सकता है। वह बिना इलाज के मर जाते हैं। वह बिना पढ़े-लिखे रह गए हैं। वह मकान नहीं बना सकते हैं। वह स्वतंत्र रूप से घूम नहीं सकते हैं। वह नौकरी नहीं कर सकते हैं। इनको

(श्री मदन दिलावर)

इसलिए पीड़ा हो रही है कि इतने सारे अनुसूचित जाति के लोगों को जब लाभ दिया जाएगा तो यह गरीब लोग आगे कैसे आ रहे हैं? यह अनुसूचित जाति के खिलाफ हैं। यह अनुसूचित जाति के ऊपर अत्याचार करना चाहते हैं। उनको अनपढ़ रखना चाहते हैं। उनका अस्पताल में इलाज नहीं हो और वह तड़प-तड़प करके मर जाएं? यह अनुसूचित जाति के साथ अत्याचार कर रहे हैं। अन्याय कर रहे हैं। इनको भगवान कभी माफ नहीं करेगा।

सभापति महोदय, मैं मोदी जी को और अमित शाह जी को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके बारे में सोचा है। इतने सालों से इन्होंने नहीं सोचा। लाखों की संख्या में लोग यहां हैं हिन्दुस्तान में। लेकिन इन्होंने कितनों को नागरिकता दी है? यह नागरिकता के कानून बनाते रहे, आश्वासन देते रहे, लेकिन लागू नहीं किया। इन्होंने महात्मा गांधी की बात भी नहीं मानी। इन्होंने इंदिरा गांधी की बात भी नहीं मानी। महात्मा गांधी राष्ट्रपिता थे। अपने बाप की बात तो मान लेते। उन्होंने कहा था कि इनको यहां आकर नौकरी करने का अधिकार होगा। इनकी सेवा करेंगे, इनकी सुरक्षा करेंगे। लेकिन जो अपने बाप की बात नहीं मानता उसके बारे में क्या कहा जा सकता है? इन्दिरा गांधी, मैं कह सकता हूं, यह कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं कि वह इनकी भी नेता हैं, लेकिन मैं उनको मां स्वरूपा मानता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हां, समाप्त कर रहा हूं। 41 हजार सैनिक और कश्मीर के निवासी जो वहां के आतंकवादियों द्वारा मारे जाते रहे। सैनिकों पर पत्थर फेंक-फेंककर मारा तब एक नहीं बोला।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): एक नहीं बोला, और ये उनको क्या कह रहे थे? राह भटके हुए युवक।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हमारा जब कुत्ता भटक जाता है तो भड़क जाता है, पागल हो जाता है तो उसको गोली मार देते हैं, गोली।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो माननीय सभापति महोदय,

(श्री मदन दिलावर)

भड़के हुए और पागल कुत्तों का यही इलाज है कि सीधी गोली मार देनी चाहिए। इस देश में उनको रहने का अधिकार नहीं है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, माननीय सदस्य, विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिए। विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान) विराजिए। (व्यवधान) आसन पैरों पर है, माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। बड़े वरिष्ठ सदस्य हैं आप, विराजिए। (व्यवधान) कुछ भी अंकित नहीं हो रहा है।

श्री जगदीश चन्द्र।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री जगदीश चन्द्र (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, नागरिकता संशोधन अधिनियम संशोधन पारित करने का जो फैसला किया है, कांग्रेस पार्टी ने निश्चित तौर पर जो कानून मुल्क में बना है वह कानून गैर संवैधानिक है, असंवैधानिक है, भारतीय संविधान की मूल भावनाओं के खिलाफ है। डाक्टर भीमराव अम्बेडकर की संरचना में संविधान के बारे में, देश के बारे में जो कल्पना की गई थी, सीधे तौर पर उस पर चोट की गई है। यूनानी गणराज्यों के जमाने में 1648 में पहली बार एक संधि हुई थी सिटीजनशिप के बारे में। तब यह तय हुआ था कि देश की जनगणना हो और उसका आधार वहां का आधारभूत ढांचा, लोगों को सुविधाएं, लोगों के काम करने के तौर तरीके, इन सब चीजों के उसमें मायने थे, सिटीजनशिप का जो कानून था उसका आधार था। भौगोलिक और खून के रिश्ते के आधार पर जनगणना हुआ करती थी। 3100 साल पहले आचार्य चाणक्य ने अर्थशास्त्र में लिखा है। मगध साम्राज्य में जब पहली बार जनगणना की गई तो यह माना गया कि देश के अंदर कितने संसाधन की जरूरत है, उस हिसाब से जनगणना को आधार माना गया था। लेकिन आजाद भारत में जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई, उस बैठक में 10 अगस्त, 1949 को बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने जब सिटीजनशिप के बारे में चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि यह सबसे संवेदनशील और मुश्किल मुद्दा है देश का। जिसके बारे में बहुत गहनता से

(श्री जगदीश चन्द्र)

विचार किया गया। इस देश की 5000 साल की सभ्यता और संस्कृति जिसको कायम रखने की आवश्यकता थी, इन सब चीजों को परिधि में रखते हुए इस देश में सिटीजनशिप एक्ट को हम लोग लेकर आए। संविधान की धारा 5 और 11 जिसमें सिटीजनशिप के बारे में विस्तार से चर्चा की गई है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि संविधान के अनुच्छेद 14, 15, 16, 19, 21 और 26 का सीधे-सीधे तौर पर इस एक्ट में उल्लंघन किया गया है, इसलिए यह बिलकुल गैर संवैधानिक है।

माननीय सभापति महोदय, धारा 14 में पहली बार इस देश में जो सेक्युलर ढांचा था, धर्म और जाति के आधार पर सिटीजनशिप का जो फैसला किया गया है, यह इस देश के लिए ठीक नहीं है। इस देश के भविष्य के लिए भी ठीक नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है कि केशवानन्द भारतीय केस 1973 में और एसआर बोम्मई केस में क्लीयर तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि देश का मूलभूत ढांचा, संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, दैट कैन नोट बी चेंज। उसके बावजूद भी देश की पार्लियामेंट ने और देश में यह कानून जिस जल्दबाजी में पारित किया गया है, कोई कंसेस नहीं किया गया। न कोई चर्चा की गई। सिर्फ इस देश में विभाजन करने के लिए, इस देश को धर्म के आधार पर बांटने की जो चर्चा की गई है, इस देश में पोलराइजेशन करने की जो चर्चा की गई है, वह बिलकुल गैर संवैधानिक है।

माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे साथी कह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी ने धर्म के आधार पर टू नेशन थियरी दी थी। मैं याद दिलाना चाह रहा हूं कि 1935 में अहमदाबाद में हिन्दू महा सभा का जो अधिवेशन था, पहली बार सावरकर साहब ने टू नेशन थियरी का प्रतिपादन किया था हिन्दू और मुसलमान के नाम पर। इस बात को भी याद रखना चाहिए। एक साथी कह रहे थे कि कांग्रेस के लोग संविधान में विश्वास नहीं करते। मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं कि 6 दिसम्बर, 1992 को कल्याण सिंह जी की गवर्नमेंट थी यूपी के अंदर, आपने एफेडेविट फाइल किया था सुप्रीम कोर्ट में उसके बावजूद बाबरी मस्जिद के ढांचे को तोड़ा गया, इस बात को भी आपको याद रखना चाहिए। मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि तीन कंट्रीज को इसमें स्पेसीफिक किया गया था, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके बावजूद मालदीव की धारा 10, जो एक मुस्लिम कण्ट्री है, उस मालदीव की धारा 10 जिसमें इस्लाम उसका राजधर्म है, उसके बारे में इन्होंने कोई चर्चा

(श्री जगदीश चन्द्र)

नहीं की। माननीय सभापति महोदय, पांचवीं से आठवीं सदी के बीच में इस देश में पर्शिया से लोग आए थे। गुजरात के राजा जादि राणा जिनको पारसी लोगों ने एक दूध भरी कटोरी भेजी थी और उनको कहा गया था कि आप इस देश में निवास नहीं कर सकते तो पारसियों ने उस दूध की कटोरी में चीनी मिलाकर भेजा कि हम चीनी मिलाकर भेज रहे हैं। जिस प्रकार से चीनी दूध में मिक्स हो जाती है उस तरह से हम इस देश में मिक्स हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, इस देश की, भारत की एक खासियत है कि हम सबको टालरेट करते हैं लेकिन जाति और धर्म के आधार पर कभी देश बंट नहीं सकता। 1947 में पाकिस्तान जरूर बन गया लेकिन पाकिस्तान का आधार क्या था? पाकिस्तान का आधार था इस्लाम और हमारे देश का आधार था धर्म निरपेक्षता। आज पाकिस्तान की स्थिति क्या है? पूरी दुनिया इस बात को जानती है कि पाकिस्तान कहां खड़ा हुआ है और यह देश कहां पर खड़ा हुआ है। यह देश इसलिए खड़ा हुआ है कि आपसी भाईचारा, सभी धर्मों का सम्मान, सभी समुदायों का सम्मान, यह सारी बातें, इस देश में सेक्युलर संविधान है, सेक्युलर कानून है इस देश में तब जाकर यह देश आगे बढ़ पाया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाह रहा हूं कि रिफ्यूजी कानून जो था, रिफ्यूजी कानून बनना चाहिए था। इंटरनेशनल संधि, यूएनओ में ऐसा कोई कानून नहीं है, हमने संधि पर कोई दस्तखत नहीं कर रखे हैं यूएनओ में। सिर्फ एकमात्र मानवता के आधार पर जो सिविल राइट्स के टोर्चर हैं, जहां पालिटिकल टार्चर है उस आधार पर, मानवता के आधार पर हम किसी को भी नागरिकता भारत में दे सकते हैं, यह हमने साइन किया हुआ है। जिन-जिन सज्जनों ने इस कानून के बारे में प्रभावी ढंग से अपनी बात रखी, भारतीय जनता पार्टी के दोस्तों ने, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि कानून तो बन गया, हम विरोध तो नहीं कर सकते लेकिन अपनी भावना प्रकट कर सकते हैं इस सदन के माध्यम से इस देश के हुक्मरानों को, जो इस देश पर राज करने वाले लोग हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं कि भारत की मूल भावना के खिलाफ आपने काम किया है। एक शायर ने एक बात कही है, वह बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मेरठ के एक शायर ने लिखा है, मेरठ में जब दंगे हो रहे थे, हिन्दू और मुसलमान के नाम

(श्री जगदीश चन्द्र)

पर, ''सदियां लगी थीं एक आशियां बनाने में, इनको पल भी नहीं लगा बस्तियां जलाने में'', यह तरीके का काम कर रहे हैं। यह देश की जनता भी जानती है और यह सरकार भी जानती है यह कानून आप किस तरह से लेकर आए हैं। जो हालात देश में पैदा हुए हैं, किस तरीके से शाहीन बाग़ में डेढ़ महीने से लोग बैठे हुए हैं, किस तरीके से यूनिवर्सिटी और कालेजों में दंगे-फसाद हो रहे हैं, आप इस बात को जानते हो। आपने, बीजेपी के लोगों ने इस बात को रोकने का कोई प्रयास भी नहीं किया इसलिए प्रयास नहीं किया गया कि ये देश में पोलराइजेशन की राजनीति करना चाहते हैं। हिन्दू और मुसलमान के दंगे करवाना चाह रहे हैं, जो बड़े-बड़े भाषण दे रहे हैं, जो राष्ट्रवाद की बात करना चाह रहे हैं, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की बात करना चाह रहे हैं, यह बिलकुल फरेब है, हम पुरजोर इस कानून का विरोध करते हैं और सरकार के माध्यम से इस बात का संकल्प लिया जाए कि केन्द्र सरकार इस पर पुनर्विचार करके संशोधन करे, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंहजी राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी बैठे हैं, आपने इसकी भाषा पढ़ी है क्या? इस प्रकार का संकल्प जो शुरू से ही गलत कर रहा हो। सातवीं और आठवीं लाइन, "The Citizenship (Amendment) Act, 2019 (CAA), that has bee enacted by Parliament recently, is aimed at distinguished illegal migrants on the basis of religion." कहीं है क्या उस एक्ट में? Clear cut religious persecution, 3 देशों में है, उस आधार पर दे रहे हैं।

कुछ कंट्रीज में नहीं दिया, उसका नाम दिया, लेकिन सीएए का एनआरसी के साथ कनेक्शन और एडिशनल इन्फार्मेशन, ये कहां से आप निकालकर ले आये। सभापति महोदय, एडिशनल इन्फार्मेशन ऐसी कोई भी नहीं है जो seek की हो। सैक्शन 14 में आलरेडी वह दी हुई है। अब जब बाई बर्थ, 1987 के 1 जुलाई से बर्थ के आधार पर नहीं मिलेगा और आपको डिसेंडेंट्स के आधार पर मिलेगा तो फादर का नाम, मदर का नाम, कहां के नागरिक हैं, उसकी डिटेल देनी पड़ेगी। वह तो एक्ट का आलरेडी पार्ट है। इस प्रकार का भ्रम पैदा करना कि मुसलमानों या अल्पसंख्यक समुदाय के साथ यह कुठाराघात हो रहा है, एडिशनल इन्फार्मेशन नहीं है। कुठाराघात यह है कि

(श्री नरपत सिंह राजवी)

आपका वोट बैंक खिसक रहा है और उस आधार पर अगर कोशिश करें, सभापति महोदय, आप तो स्वयं सीकर से जीतकर पधारे, पोलराइजेशन अगर आप वोटों का करेंगे तो नुकसान किसका होगा? देश का नुकसान होगा। इस तरह से पोलराइजेशन नहीं करेंगे तो मेरे खयाल से ज्यादा ठीक रहेगा।

इल्लीगल इमीग्रेंट्स और लीगल अभी जितने भी मिल रहे हैं, नेचुरलाइजेशन प्रोसेस के आधार पर पहले छह महीने का था, फिर एक साल का किया, आज पांच साल के बाद में वह एप्लीकेशन दे सकता है और पंद्रह साल में से कम से कम वह ग्यारह साल भारत में रहेगा, तब जाकर उसे सिटिजनशिप मिलेगी। इल्लीगल इमीग्रेंट को और वैलिड वीजा के साथ जो आया है, वह आठ-आठ, दस-दस साल तक वेट करेगा। पति-पत्नी, वहां से जो हिन्दू हैं, अधिकांश जो-जो आ सकते हैं, वे आकर यहां पर शादी करते हैं, वैलिड वीजा से आते हैं, डाकूमेंटेशन होता है, रजिस्ट्रेशन आफ मैरिज एक्ट के तहत यहां पर रजिस्ट्रेशन होता है उसके बाद में वे पांच साल बाद एप्लाई करेंगे और उस पांच साल के बाद में अगर 14 साल तक निरंतर नहीं रहे तो उन्हें सिटिजनशिप नहीं मिलेगी। इस आधार पर अगर कोशिश करके और जो 70 परसेंट सिटिजनशिप का लाभ उठाएंगे सीएए के अमेंडमेंट के बाद, उसमें अधिकांश भील, एससी और एसटी के लोग ज्यादा हैं।

अखबारों में आपने पढ़ा होगा, नटवाड़ा निवाई के पास में ही है। आठ-दस साल पहले शादी हुई है, सरपंच अब बनी है, तीन महीने पहले उन्हें नागरिकता मिल पायी है। उस गैप को दूर करना है इसलिये अमेंडमेंट किया है। बांगलादेश से इल्लीगल इमीग्रेंट्स को अगर रोकना है तो बाई बर्थ वाला पार्ट 1987 में जुलाई की एक कट-आफ डेट रखी है उसके बाद में नहीं मिलेगा। अमेरिका, यूरोप इल्लीगल इमीग्रेंट्स और माइग्रेशन के कारण परेशान हैं। आने वाले समय में जो मेन मुद्दा रहेगा, वह माइग्रेंट्स का रहेगा और माइग्रेंट्स के आधार पर देश की अर्थव्यवस्था पर जो फर्क पड़ रहा है, कोई कह रहा है ध्यान भटकाने की बात है, ध्यान भटकाने का प्रश्न नहीं है लेकिन अगर रोजगार मिले तो कम से कम यहां के यूथ को मिले। 18 लाख बंगलादेशी परिवार आए, उसके बारे में तो चिंता नहीं की। माननीय कल्ला साहब, आप तो मेरे खयाल से सदस्य थे जब इंदिरा गांधी कैनाल में अलाटमेंट होने लगा। बीस हजार नाम यहां पर ऐसे दिये हैं जो 1965 और 1971 के वॉर में पाकिस्तान चले गये थे। आज आपके थानों में रिकार्ड नहीं है, आपको कापी

(श्री नरपत सिंह राजवी)

मैं दे दूंगा। वे जो इंडियन सिटिजन रहे ही नहीं, उन्हें अलाटमेंट की है और यह सदन में रिकार्ड पर है।

1971 की लड़ाई के बाद जब लक्ष्मण सिंह जी सोढा लेकर आये थे वहां से, इंडियन आर्मी की उन्होंने मदद की है और पाकिस्तान सिटिजनशिप एक्ट, 1951 में लिखा है कि जिसने दुश्मन के देश के किसी भी नागरिक से सम्पर्क किया है, उसकी सिटिजनशिप खतम हो जाएगी। वे चार हजार परिवार उस समय भारत में आये। गडरा रोड आंदोलन भी हुआ और उसमें अटल बिहारी जी वाजपेयी, माननीय भैरोंसिंह जी शेखावत यहां पर आये, रिकार्ड यहां पर बोला भी है विधान सभा में। उसमें तो कोई नहीं बोला। यह बड़ी बात है।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): सभापति महोदय, इन्होंने मेरे नाम से मुझे पुकारा, मैं इन्हें जानकारी देना चाहता हूं कि कांग्रेस के राज में अशोक जी गहलोत मुख्य मंत्री थे, 17 हजार लोगों को सिटिजनशिप दी गयी। आप बताएं कि बीजेपी के राज में कब-कब कितने लोगों को सिटिजनशिप दी गयी। आप बताएं, उल्लेख करें। मैं आन रिकार्ड बता रहा हूं कि 17 हजार लोगों को सिटिजनशिप दी गयी। बीजेपी का भी राज यहां रहा, उसमें कितने-कितने लोगों को सिटिजनशिप दी गयी, बताएं।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: यह अंकित नहीं होगा। विराजिए आप।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): वह आंकड़ा मैं वैरिफाई करूंगा, लेकिन वह भी चार हजार कम है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, विराजिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, जो चीज रिकार्ड पर है, उसे तो निगेट नहीं किया जा सकता। किसने, कितनी, कब दी है, लेकिन मैं चार्ज लगाता हूं आप पर। बीकानेर के हैं आदरणीय हैं, चार्ज लगाता हूं कि जितना नुकसान कांग्रेस शासन में हुआ है कभी जो पाक विस्थापित आये थे 1971 की लड़ाई में, चार हजार परिवार, उन्हें देने के लिये...

श्री सभापति: इधर देखिये आप, वहां देखने की जरूरत नहीं है।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इधर देखूं, उधर देखूं, बात तो एक ही है। आपको सम्बोधित करके ही कह रहा हूं।

श्री सभापति: बीकानेर का मामला नहीं है यह। पूरे देश का मामला है, आप इधर देखिये। सदन को अवगत कराएं आप, बीकानेर को अवगत कराने की जरूरत नहीं है। सदन को अवगत कराने में कोई असुविधा है आपको? सदन को अवगत कराएं न आप, बीकानेर को क्यों अवगत करा रहे हैं?

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति जी, मैं आप ही को सम्बोधित करके बोल रहा हूं, आपकी तरफ देखकर बोल रहा हूं, उसके बाद में क्यों टोका-टोकी हो रही है बीच में? आज भी बीकानेर में बसे हुए हैं। आडवाणी जी के टाइम में पांच हजार रुपये प्रति व्यक्ति का दिया है 1971 के टाइम में या 1965 की लड़ाई के बाद में जो आये हैं। वे इल्लीगल इमीग्रेंट्स हो सकते हैं, लेकिन नैचुरलाइजेशन प्रोसेस से उन्होंने मांगी, उस चीज को खतम करने के लिये। उस समय भी बहुत से ऐसे गरीब लोग थे, जो पांच हजार रुपये जमा नहीं करा सकते थे, परिवार बढ़ गया, दो जनरेशन का गैप आ गया 40-45 साल में, उस आधार पर 31 दिसम्बर, 2014 तक जितने भी रिलीजियस परसिक्यूशन के कारण, उन्हें नागरिकता देने के लिये माननीय नरेन्द्र मोदी जी ने जो पहल की है, मैं उसका स्वागत करता हूं। यह जो कागज का टुकड़ा यहां पर पेश किया है, फैडरल स्ट्रक्चर के अगेंस्ट है और आप जैसे विद्वान इसको लेकर आये, मुझे थोड़ा-सा अफसोस होता है कि लैंग्वेज थोड़ी दिखवा लेते तो ज्यादा उपयुक्त रहता। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सीएए के महत्वपूर्ण एक्ट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं उसके लिये आपको धन्यवाद देता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं। भारत के संविधान का निर्माण हुआ और संविधान की बुनियाद धर्म निरपेक्षता पर रखी गयी। आप सबको यह मालूम है कोई भी अमेंडमेंट और कानून का कोई भी संशोधन आप धर्म, जाति पर आधारित करके नहीं ला सकते। वह गैर कानूनी है। जिस भारत का संविधान धर्म निरपेक्षता की बुनियाद पर रखा गया हो, उस संविधान में आप जाति और धर्म के आधार पर कोई संशोधन लाते हैं तो वह गैर कानूनी है, वह नहीं माना जाएगा और नहीं लागू किया जाएगा। सभापति महोदय, यह बात मैं बहुत बुलंद आवाज में इस सदन में आपके माध्यम से कहना चाहता हूं।

(श्री रफीक खान)

संख्या बल के आधार पर संशोधन को पारित कर लेना और यह उम्मीद करना कि हम इसे लागू कर देंगे एक ऐसे संविधान में जिसकी बुनियाद धर्म निरपेक्षता के आधार पर रखी गयी हो, वह नहीं किया जा सकता। अवाम जागरूक है। मैं फिर से कहता हूं, हम इसे लागू नहीं करेंगे, नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। जो संकल्प हम लेकर आये हैं, वह इसी बात का संकल्प है कि मैं इस संकल्प का समर्थन करता हूं। आज पूरे हिन्दुस्तान में जिस तरीके से आंदोलन चल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज में स्टूडेंट्स बैठे हैं, शाहीन बाग़ में जनता बैठी है, कल यहां जब असैम्बली चल रही थी तो इसी संशोधन के खिलाफ पंद्रह हजार से ज्यादा लोग सड़कों पर थे और बुलन्द आवाज में नारा लगा रहे थे कि यह कानून हमें मंजूर नहीं है, नहीं है, नहीं है। जब हमें आजादी मिली और हिन्दुस्तान आजाद हु आ तो जिस तरीके से हमने आजादी की लड़ाई में हिस्सा लिया उसमें किसी जाति, धर्म या किसी विशेष आदमी ने हिस्सा नहीं लिया, अवाम ने मिलकर पूरे हिन्दुस्तान में एक आन्दोलन छिड़ा। उस आन्दोलन में हम अंग्रेजों से लड़े और लड़कर हमें आजादी मिली। वे लोग आज इस संशोधन की बात करते हैं जो महात्मा गांधी के हत्यारे थे। वे लोग, महात्मा गांधी के हत्यारे जब पार्लियामेंट में बोलते हैं तो नाथूराम गोड़से का मन्दिर बनाने की बात करते हैं। मैं इस सदन में फिर बुलन्द आवाज से कहता हूं कि नाथूराम गोड़से महात्मा गांधी का हत्यारा था, हत्यारा था, हत्यारा था और हत्यारा ही रहेगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): वो कोर्ट से बरी हो गये। नाथूराम गोड़से को कोर्ट ने बरी कर दिया। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आपके फ्री करने से कुछ नहीं होता। सारा मुल्क, सारी दुनिया जानती है कि नाथूराम गोड़से हत्यारा था, हत्यारा था, हत्यारा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए। विराजिए, माननीय सदस्य। (व्यवधान) माननीय सदस्य।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): मैं चाहता हूं कि आप यह वकालत करो, मैं चाहता हूं कि आप यह वकालत करो। नाथूराम गोड़से हत्यारा था हत्यारा था और हत्यारा था। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप नाथूराम गोड़से पर बोल रहे हो या संकल्प पर बोल रहे हो? (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): आप यह वकालत करो। (व्यवधान)

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आप नागरिकता पर बोल रहे हो या नाथूराम पर बोल रहे हो? आप यह तो बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): हत्यारा था। हत्यारा था, हत्यारा था। (व्यवधान)

श्री सभापति: चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिए। विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सतीश पूनियां जी ने, किरण माहेश्वरी जी ने.....

श्री सभापति: विराजिए। माननीय सदस्य, अपनी बात कहें।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): सतीश पूनियां जी जो इनके अध्यक्ष हैं, पीछे से जम्प मारकर आगे आ गये, इन्होंने एक गलत आंकड़ा सदन में पेश किया और कहा कि आजादी के समय, आजादी जब हुई, पाकिस्तान का निर्माण हुआ तो एक प्रतिशत इन्होंने बताया। मैं इनकी जानकारी के लिए बता दूं कि तब ईस्ट पाकिस्तान का प्रतिशत शामिल था जो आज बांग्लादेश है। आज बांग्लादेश का निर्माण हो चुका है और बांग्लादेश का निर्माण किस परिस्थिति में हुआ यह सारी दुनिया को मालूम है। पाकिस्तान ने हमारे ऊपर अटैक किया, इन्दिरा गांधी जैसी हमारी प्रधान मंत्री थीं जो बहुत जोरों से लड़ीं और इनके नेता ने कहा कि आप इन्दिरा नहीं, आप दुर्गा हैं और 93 हजार पाकिस्तानियों को सरेण्डर कराया हिन्दुस्तान के अन्दर। Kneel down हुए और बांग्लादेश का निर्माण हुआ। बांग्लादेश के निर्माण में हमारी बहुत अहम भूमिका थी। आज हम बांग्लादेशियों को कहते हैं कि उस वक्त तो हमने आपको एश्योरेंस दे दिया, हमारे सानिध्य में ले लिया, आज हम आपको पहचानना नहीं चाहते हैं। तो इन्होंने यह कानून लाकर पूरी दुनिया में अपनी विदेशी साख भी गिरायी है। जिस वजह से हम पूरी दुनिया में जाने जाते थे, हमारी गुडविल थी कि धर्म के आधार पर, धर्म निरपेक्षता के आधार पर पूरी दुनिया जानती थी। इन्दिरा गांधी के समय निर्गुट सम्मेलन हुआ और इन्दिरा गांधी अन्तरराष्ट्रीय लीडर बनीं। वह इसी वजह से बनीं और इसी वजह से हिन्दुस्तान का नाम हुआ कि हम धर्म निरपेक्षता की बात करते रहे और धर्म

(श्री रफीक खान)

निरपेक्षता के नाते हमें पूरी दुनिया में रिकग्नाइज किया गया। ये बार-बार, इनके सारे नेता पाकिस्तान की बात करते हैं। पाकिस्तान से हमारा कोई कम्पेरिजन ही नहीं है, पाकिस्तान की इकोनोमी अलग है, वह कहां है। दोनों साथ-साथ आजाद हुए और आज हमारी स्थिति क्या है, उनकी स्थिति क्या है। मैं खुद एक व्यवसाय से जुड़ा हुआ हूं एक्सपोर्ट करता हूं। हम 125 करोड़ की पूर्ति करने के बाद बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करते हैं, फोरेन करेंसी आती है और वहां वे खुद की पूर्ति करने में सक्षम नहीं हैं तो कहां से उनका कम्पेरिजन आप हमारे साथ करते हो। हां, यह जरूर है कि अगर ऐसी नीतियां आप लाते रहे तो हमारी इकोनोमी का भी वही हाल हो जाएगा जो पाकिस्तान की इकोनोमी का है। जिन नीतियों पर आप चल रहे हो वे नीतियां सही नहीं हैं, नहीं हैं, नहीं हैं और आपको यह कानून वापस लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए। बैठिये। विराजिए। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): राजेन्द्र राठौड़ जी ने एक बात कही। (व्यवधान) बोलने दो। दिलावर जी, आप तो बिना पाकिस्तान दो शब्द ही नहीं बोल सकते। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, दो मिनट का समय दें। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है कि टिड्डी से किसान बर्बाद हो गये। (व्यवधान)

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): टिड्डी खा जाएगी आपको, बैठ जाओ। (व्यवधान)

श्री रामप्रताप कासनियां (सूरतगढ़): सभापति महोदय, आप मुझे दो मिनट का समय दें।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए। आपके नेता बोलेंगे, अभी विराजिए। विराजिए। (व्यवधान) विराजिए। श्री रफीक खान। (व्यवधान) विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। आपके माननीय नेता बोलेंगे। प्लीज व्यवस्था बनाये रखें, आपके माननीय नेता बोलेंगे। (व्यवधान) विराजिए। पहले आप बैठिये। आप विराजिए। अभी आपके माननीय नेता बोलेंगे। आपको व्यवस्था बनानी चाहिए, आप पहले आसन पर जाइये आप। आसन पर जाइये आप। (व्यवधान) जाइये, आसन पर जाइये

(श्री सभापति)

आप। आपके नेता बोलेंगे अभी। प्लीज, सहयोग करें। सहयोग करें, जाइये आप, आसन पर जाइये। विराजिए आप। माननीय रफीक खान।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी जब सदन के उप नेता माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ बोल रहे थे.... (व्यवधान)

श्री सभापति: कृपया सहयोग करें। जाइये आप, आसन पर जाइये। विराजिए आप। माननीय रफीक खान। कृपया अपने आसन पर विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): अभी सदन के उप नेता माननीय राजेन्द्र जी राठौड़ बोल रहे थे तो उन्होंने एक फीगर कोट किया आज के अख़बार का कि 70 प्रतिशत जनता से ज्यादा की असैट एक प्रतिशत लोगों के पास में है। मैं उनको यह कहना चाहता हूं कि अल्पसंख्यकों की सोचो, 20 करोड़ मुसलमानों की आबादी है और उनके पास में रहने को घर नहीं है, 30 करोड़ दलित हैं उनके पास में कुछ नहीं है..... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रफीक खान (आदर्श नगर): बोलने दो, बोलने दो। आपको भी हमने सुना है। वही बात कर रहा हूं मैं, उसी पर आ रहा हूं। (व्यवधान) उन्होंने बात बिलकुल सही कही, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं और यह कहना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार को एक ऐसी पालिसी लानी चाहिए जिसमें जो पीड़ित वर्ग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे रहते हैं उनके लिए कोई ऐसी योजना बने, एक बहुत बड़े फण्ड का एलोकेशन किया जाना चाहिए जिससे समाज के हर वर्ग का उत्थान हो सके। मैं इस बात में उनकी बात से सहमति करना चाहता हूं। अभी जिस एक्ट की हम बात कर रहे हैं उसकी अभी जरूरत नहीं थी। आज जरूरत थी बेरोजगारी पर बात करने की, आज जरूरत थी इकोनोमी पर बात करने की, आज जरूरत थी इण्डस्ट्रियलाइजेशन पर बात करने की। मुझे अच्छे से याद है कि जब डालर 51-52 का हुआ करता था तो ये चिल्ला-चिल्लाकर कहते थे, मोदी जी की आवाज आती थी और कहते थे कि मैं अगर पी.एम. बन गया तो डालर 50 रुपये से नीचे आ जाएगा। आज डालर की स्थिति 72 रुपये से ऊपर है और अगर यही स्थिति रही तो ऐसा दिन दूर नहीं जब डालर 80 के पार चला जाए। तो आज की जरूरत इकोनोमी पर ध्यान देने की थी, आज की जरूरत सी.ए.ए. जैसे बिलों पर पूरे देश को जलाने की नहीं थी। मैं अन्त में एक शेर से अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा-

(श्री रफीक खान)

अमित शाह, मोदी ने यह कैसा संविधान कर दिया,

हाकिम-ए-दौर ने यह कैसा हिन्दुस्तान कर दिया,

बेजान इमारतों को भी हिन्दू-मुसलमान कर दिया।

आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री नारायण लाल बेनीवाल।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, मैं नागरिकता संशोधन कानून, 2019 का व्यक्तिगत और मेरी पार्टी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की तरफ से समर्थन करता हूं और आज जो संकल्प पत्र लेकर आए हैं उसका मैं विरोध करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, प्रताड़ना के कारण पाकिस्तान से आये हिन्दू शरणार्थियों के लिए नागरिकता संशोधन अधिनियम उम्मीद की नई किरण है। सालों से वे पहचान के लिए लड़ रहे थे वह अब उन्हें मिलने वाली है। लम्बे अर्से से इंतजार था कि उन्हें भारतवासी होने की पहचान मिले लेकिन यह इंतजार समाप्त होने का नाम ही नहीं ले रहा था पर अब जब सरकार ने लोक सभा में नागरिकता संशोधन बिल पास कर दिया तो उम्मीद जगी है कि अब हमें नई पहचान मिलेगी। नागरिकता संशोधन कानून का जो प्रस्ताव लोक सभा और राज्य सभा में रखा गया और वह बहुमत से पारित भी हो गया। इस पहल के लिए, इस साहसिक कदम के लिए हम केन्द्र सरकार का और विशेषकर प्रधान मंत्री जी और गृह मंत्री जी का हृदय से अभिनन्दन करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। जब देश का विभाजन हुआ उस समय धार्मिक आधार पर इस देश के विभाजन की मांग की। जैसा कि हमारे सभी वक्ताओं ने यह बात बड़े जोर-शोर से सदन में कही है।

जबकि भारत की मानसिकता में इस प्रकार की धार्मिक राज्य की कल्पना नहीं है। लेकिन इसी मुद्दे पर देश का विभाजन हुआ। उस समय के नेतृत्व ने इसको स्वीकार किया। अगर धर्म के आधार पर विभाजन ही न होता तो उसके बाद घटी कई प्रकार की घटनाएं शायद नहीं होतीं। परन्तु जब यह विभाजन हुआ तो उसके बाद पाकिस्तान ने, बांग्लादेश ने अपने आपको एक इस्लामिक स्टेट के रूप में घोषित किया और उसी समय आशंकाएं निर्माण हुईं कि वहां पर रहने वाले अल्पसंख्यक समाज का स्थान क्या रहेगा।

(श्री नारायण बेनीवाल)

माननीय सभापति महोदय, परन्तु उस समय दो सरकारों के बीच जो समझौता हुआ था, उसमें यह बात कही गई कि इस्लामिक स्टेट होने के बाद भी किसी भी अल्पसंख्यक समुदाय के साथ कोई भेदभाव या अन्याय नहीं होगा। लेकिन दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि ऐसा नहीं हुआ और वहां बड़ी संख्या में रहने वाला हिन्दू समाज कई प्रकार की यातनाओं का शिकार बनता गया। अफगानिस्तान में रहने वाले हिन्दू, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में रहने वाले हिन्दू, अगर हम समय-समय पर हुई जनगणना के आंकड़ों को हम देखते हैं तो ध्यान में आता है कि बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या निरन्तर घटती चली गई।

माननीय सभापति महोदय, नागरिकता संशोधन कानून कोई पहली बार नहीं है। इससे पहले भी समय-समय पर इसमें संशोधन हो चुके हैं। इस कानून के जरिये पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से 31 दिसम्बर, 2014 तक भारत आए हिन्दू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और क्रिश्चियन समुदाय के लोगों को भारत की नागरिकता देने का प्रावधान है। किसी भी धर्म के व्यक्ति की नागरिकता छीनने का प्रावधान नहीं है। इस कानून को जिस रूप से लागू किया गया, उसी रूप में लागू करने को लेकर श्री महात्मा गांधीजी, श्री राजेन्द्र प्रसादजी, श्री मौलाना अबुल कलाम, पूर्व प्रधान मंत्री श्री नरसिम्हा राव, पूर्व प्रधान मंत्री श्री मनमोहन सिंह जी समेत कई दिग्गजों ने वकालत की है। इसकी रिकार्डिंग संसद की प्रोसीडिंग में आज भी मौजूद है।

माननीय सभापति महोदय, अशोक गहलोतजी की सरकार जो साल 2008 से 2013 में सत्ता में थी, उस दौरान खुद अशोक गहलोतजी की सरकार द्वारा तीन-तीन अलग-अलग पत्रों के द्वारा तत्कालीन गृह मंत्री पी. चिदम्बरमजी को लिखकर पाकिस्तान से आने वाले हिन्दू और सिखों को भारत की नागरिकता देने की वकालत की थी।

(14.52 बजे)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

इसके पत्र केन्द्र की सरकार सार्वजनिक कर चुकी है। नागरिकता संशोधन कानून बनने के बाद भी पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आने वाले मुसलमानों को नागरिकता देने का भी प्रावधान है। यह कानून भारत की संसद ने बनाया है और किसी भी देश के

(श्री नारायण बेनीवाल)

नागरिक को भारत की नागरिकता देना या नहीं देना यह भारत की सरकार तय करती है, न की राज्य की सरकार। इसलिए राजस्थान सरकार जो प्रस्ताव पास कर रही है, उसका इस तरह राजनीतिक लाभ के लिए विरोध करना न केवल सीधे तौर पर संसद की अवहेलना है, बल्कि मामला माननीय उच्चतम न्यायालय में है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय की अवमानना के तौर पर भी देखा जा सकता है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात यह है कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान का राष्ट्रीय धर्म इस्लाम है। इसलिए वहां पर किसी भी मुसलमान पर अत्याचार नहीं हो सकता। यही कारण है कि नागरिकता संशोधन कानून के दायरे में मुस्लिम धर्म को मानने वाले लोगों को शामिल नहीं किया गया है। लेकिन फिर भी इस्लाम के मानने वाले और इन तीन देशों में प्रताड़ित होने वाले नागरिकों को नागरिकता भी दी जाएगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, नागरिकता संशोधन कानून ने भारत में उपासना की स्वतंत्रता की प्राचीन परम्परा को पुन: स्थापित किया है। वर्तमान में हो रहे विरोध की दो कमियां हैं। पहली बात यह है कि यह संसदीय जनतंत्र की अवमानना करता है और दूसरा यह विरोध विपक्षी घोर अवसरवादिता का प्रदर्शन है। जब यह बिल संसद में 6 घंटे की बहस के उपरांत कानून बना तो इस तरह के विरोध का कोई औचित्य नहीं है। गैर भाजपा पार्टियों ने 4 घंटे बहस की, यह 1976 में हुए उस संशोधन की तरह नहीं है जिसमें मिनटों में संविधान में दो शब्द जोड़ दिये गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, भारत ने अपनी चिरकालीन परम्परा का परिचय देते हुए अपने अल्पसंख्यकों को पूरी आजादी और आगे बढ़ने के अवसर भी समान रूप से दिये, लेकिन पाकिस्तान ऐसा नहीं कर पाया और अल्पसंख्यक वहां से विलुप्त होते चले गये। जहां तक बात नागरिकता (संशोधन) कानून, 2019 की है तो भारत भूमि ने सर्वप्रथम यहूदियों को अपने यहां पूजा करने के लिए शरण दी। जब भारत का विभाजन हुआ तो नेहरूजी और लियाकतजी ने दोनों देशों में रह रहे अल्पसंख्यकों को धर्म की आजादी का आश्वासन भी दिया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सर, ये समझौता नहीं होता तो

(श्री नारायण बेनीवाल)

संभवत: अल्पसंख्यक पाकिस्तान में नहीं रुकते, उनकी यह दशा नहीं होती। ऐसे में उनको अपना देश चुनने की आजादी होनी चाहिए जो कि उनको बंटवारे के समय थी। इस पर आपत्ति करना अपना दायित्व से पीछे हटना है। भारत ने पुन: 'राइट टू वर्शिप' की अपनी पुरातन संस्कृति को स्थापित किया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों ने जातिगत, धर्म आधारित आंकड़ों की बात करके, समरसता को दूषित करने की बात कही है। मैं आपके माध्यम से सभी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि धर्म, जाति, निवास, विकास या अन्य किसी मुद्दे पर हमें ईमानदारी से नैतिक सुदृढ़ता के साथ सोचने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। यह विडम्बना है कि राष्ट्रीय पार्टियों के घोषणा पत्रों में अक्सर जाति, धर्म या तुष्टिकरण प्राथमिकता के स्तर पर होता है। अन्यथा, राजस्थान के इस सदन में आज टिड्डियों द्वारा किसानों की नष्ट की गई फसलों, पंचायती राज चुनावों में कांग्रेस की असफलता, जवान, रोजगार की बात और किसानों द्वारा की जा रही आत्महत्याओं के मुद्दे पर आज सदन चल रहा होता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे इस इम्पोर्टेंट बिल पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सुश्री रीटा चौधरी।

सुश्री रीटा चौधरी (मंडावा): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय। कल गणतंत्र दिवस है और गणतंत्र दिवस से ठीक एक दिन पहले दो बहुत अच्छे विधेयकों पर यहां पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 126वां संशोधन विधेयक और सी.ए.ए., गणतंत्र दिवस पर हम लोग देख रहे हैं कि हमारा 'गण' शब्द गायब हो चुका है और इस लोकतांत्रिक देश के अन्दर एक अलोकतांत्रिक सरकार केन्द्र के अन्दर स्थापित है।

मैं सी.ए.ए. की जब चर्चा करूं और इस संकल्प में अपना विश्वास प्रकट करूं, उससे पहले मुझे एक कहानी याद आती है। मैं बोलना चाहूंगी यहां पर 'पंचतंत्र' की कहानी है। एक जंगल था और हमेशा से जंगल के अंदर राजा जो होता है, वह शेर होता है, शासन करता है। लेकिन सबने सोचा जंगल के जानवरों ने कि शेर हमेशा राजा रहे कुछ नया करना चाहिए और सबने मिलकर बंदर को जंगल का राजा बना दिया, जब भी जंगल के अंदर कोई बात होती, कोई शिक्षा को लेकर चर्चा होती, वे जाते बंदर के पास कि राजा, हमारे

(सुश्री रीटा चौधरी)

बच्चों को पढ़ने की अच्छी शिक्षा नहीं मिल रही है तो जंगल का राजा बंदर उठता, एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर, चाइना से मलेशिया, मलेशिया से मालदीव और मालदीव से इंडोनेशिया और इंडोनेशिया से बर्मा और पूरे संसार का, देश भर का चक्कर काट आता और जब कभी फिर कोई समस्या सामने आती तो वह फिर पेड़ों पर लटकता हुआ दूसरे देश के अंदर चला जाता। यही हालत हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर हो रही है। हमारा केन्द्र के अन्दर बैठा, सरकार के अन्दर बैठा +++ जिसको सारा देश देख रहा है, प्रजा देख रही है, जनता देख रही है, वो अपने हिसाब से पांच लोग बैठकर निर्णय ले लेते हैं और देश का कानून बना देते हैं।

मैं सुबह से सुन रही हूं। यहां पर इस चर्चा को लेकर और मैंने यूनिवर्सिटी के बहुत से लोगों की बातें सुनीं, हमारे सुप्रीम कोर्ट के वकील सड़कों पर हैं, देश का आम नागरिक सड़कों पर और वह एक ही चर्चा करता है सी.ए.ए. को लेकर। मैं कहना चाहती हूं कि सी.ए.ए. की आखिर जरूरत क्यों पड़ गई, पहले भी सिटीजनशिप मिलती रही है। अभी तीन महीने पहले मिली, जैसलमेर में मिली, जोधपुर में मिली, हर जगह मिल रही है, यह एक्ट तब लागू नहीं था क्या, तब यह एक्ट नहीं था क्या?

अभी हमारे बहुत वरिष्ठ एम.एल.ए. अमीन खां जी ने अपनी बात कही और बहुत मार्मिक बात उन्होंने कही कि आप मुसलमान और हिन्दुओं के अन्दर देश को मत बांटो, आप पाकिस्तान से हिन्दुस्तान की तुलना मत करो, हम सरजमीं पर पैदा हुए और इस सरजमीं पर मरेंगे। हम कहीं बाहर के आए हुए नहीं हैं। इस कानून के अन्दर अध्यक्ष महोदय, ये बताना चाहते हैं कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश तीन राज्यों को इन्होंने नाम लिया और अल्पसंख्यक के नाम पर इन्होंने ईसाई का, हिन्दुओं का, पारसी का, जैन का बौद्ध का नाम लिया, लेकिन बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर अल्पसंख्यक के रूप में मुस्लिम भी रहते हैं। जब हम शरण देना चाहते हैं तो हमारा हृदय बड़ा होना चाहिए और पूरे संसार के जो शरणार्थी हैं, जो पीड़ित लोग हैं, उनको हम देश में पहले भी शरण देते आए हैं और आगे भी देते रहेंगे। लेकिन धर्म के नाम पर अगर हम इसका बंटवारा कर देंगे तो हमारा जो संविधान हमें कहता है, हमारा प्रीयम्बल जो हमें कहता है, उसके साथ नाइंसाफी होगी। अभी 'टू नेशन थ्योरी' की बात हो रही थी। जब देश का पार्टिशन हुआ, पाकिस्तान बना, हिन्दुस्तान बना, नेहरू जी हमारे पहले प्रधान मंत्री बने....

(सुश्री रीटा चौधरी)

(15.00 बजे)

टू नेशन थ्योरी उन्होंने तो लागू नहीं की लेकिन हमारे देश के प्रधान मंत्री मोदी जी इसको लागू करने जा रहे हैं। वो एक हिन्दू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, लेकिन आप देख लो इतिहास उठाकर जब कभी भी किसी धर्म के नाम पर किसी देश का निर्माण हुआ है उसने कभी तरक्की नहीं की है। हम लोग भाईचारे की तरह रहते थे। मुस्लिम दीवाली मनाता था। हिन्दू ईदगाह के सामने जाकर, जामा मस्जिद में जाकर अपने भाइयों को दुआएं देता था, सलामी देता था। हम किस देश की बात कर रहे हैं। मैं, अध्यक्ष महोदय, ज्यादा समय नहीं लूंगी अपनी बात खतम करना चाहूंगी। मैं इतना ही कहना चाहती हूं कि यह सीएए जब लेकर आ रहे थे तो इसके अन्दर धर्म आधारित न होता तो ज्यादा बढ़िया होता और तीन देशों का जो इस्लामिक देश हैं उनका नाम न होता तो ज्यादा बढ़िया रहता। +++ दो बातों में बहुत एक्सपर्ट हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

सुश्री रीटा चौधरी (मण्डावा): एक तो भाषण देते हैं। झूठ को सच बताते हैं और दूसरा देश के लोगों को बहुत कंफ्यूजन में रखते हैं। मैं अपनी बात को समाप्त करते हुए अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे समय दिया, जो यह संकल्प हमारे संसदीय कार्य मंत्री लेकर आये हैं उसका मैं समर्थन करती हूं, पुरजोर समर्थन करती हूं। जय हिन्द। जय भारत।

श्री अध्यक्ष: श्री रमेश चन्द्र मीना।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 2019 के संकल्प के समर्थन में मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। भारत एक सैक्युलर, सम्प्रभुता सम्पन्न और शांतिप्रिय देश है। शायद यह पूरी दुनिया में विविधता में एकता का परिचय कराने वाला यह ऐसा देश है। स्वयं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सदन में कहा, 'भारत दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहां पर मुस्लिम कम्युनिटी के सभी 72 फिरके एक साथ रहते हैं। ऐसा दुनिया में और कोई देश नहीं है' जबकि वो इसके अगले साल ही ऐसा कानून लाते हैं। पाकिस्तान, बांगलादेश, अफगानिस्तान से आने वाले मुस्लिमों को नागरिकता नहीं देना यह हमारे देश की धर्म निरपेक्षता के साथ कुठाराघात है। यह हमारी सर्वधर्म समभाव भावना के साथ खिलवाड़ है। देश का एक ऐसा पहला कानून है जो

(श्री रमेश चन्द मीना)

धर्म के आधार पर लोगों को देश का नागरिक बनाने का और नहीं बनाने की बात करता है। यह हमारे धर्म निरपेक्ष ढांचे और धर्म निरपेक्ष संविधान के बिलकुल विपरीत है। आज भाजपानीत एनडीए सरकार निरंकुशतापूर्वक तरीके से निर्णय लेने का अधिकार समझ रही है जबकि लोकतंत्र में सरकार को प्रत्येक निर्णय लोकमत की सहमति को ध्यान में रखकर लेना चाहिए। नागरिकता अधिनियम, 1955 यह निर्धारित करता है कि कौन भारतीय नागरिकता हासिल कर सकता है और किस आधार पर कर सकता है। एक व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है इसमें जन्म के आधार पर, वंशानुगत के आधार पर यदि वह अविभाजित भारत का सदस्य रहा हो या उसके माता-पिता में से कोई एक अविभाजित भारत का सदस्य रहा हो। इसके साथ अन्य आधार भी हैं। इसमें एक अवैध प्रवासी विदेशी जो है जो वैध यात्रा दस्तावेजों जैसे पासपोर्ट, वीजा के बिना देश में प्रवेश करता है या वैध दस्तावेजों के साथ देश में प्रवेश तो करता है लेकिन अनुमत समयावधि के बाद भी देश में रुका रहता है। अवैध प्रवासियों को विदेशी एक्ट, 1946 और पासपोर्ट एक्ट, 1920 के अन्तर्गत कारावास का प्रावधान किया गया है या निर्वासित किया गया है। 1946 और 1920 एक्ट में सरकार को भारत में विदेशियों के प्रवेश, निकास और निवास को रेगुलेट करने की शक्ति प्रदान की गई है। भाजपानीत सरकार ने एक नया संशोधन करके इन दोनों कानूनों के द्वारा की जाने वाली कार्यवाही को 6 धर्मों के अवैध प्रवासियों के लिए शिथिलता दी है। नागरिक विधेयक में यह कोई पहला संशोधन नहीं है। इस अधिनियम के तहत अब तक पांच बार 1986, 1992, 2003, 2005 और 2015 में बदलाव किये जा चुके हैं। नागरिकता अधिनियम, 1955 में पहला संशोधन पूर्व प्रधान मंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी जी के समय जब असम अकोर्ड 1985 में साइन किया गया, लेकिन उसका उद्देश्य अवैध रूप से देश में घुस आये घुसपैठियों को वोटर लिस्ट और देश के बाहर निकालना था। यह असम के लोगों की मांग थी और धर्म के नाम पर भेदभाव उस समय नहीं किया गया था। अकोर्ड के अनुसार अवैध बांगलादेशी को देश छोड़ना होगा चाहे वह हिन्दू हो या मुस्लिम हो। इसके बाद 1992 में संशोधन लाया गया कि महिलाओं के साथ हो रहे असमान व्यवहार को समाप्त किया जाए। इसके बाद आपकी एनडीए सरकार 2003 में संशोधन लेकर आई और कानून में अवैध प्रवासी शब्द जोड़ा गया। इसमें वो लोग जो बिना किसी वैध दस्तावेज के देश में प्रवेश कर गये या वैध

(श्री रमेश चन्द मीना)
अवधि के बाद भी देश में रह रहे थे, उनको अवैध प्रवासी घोषित करके उनके बच्चों के साथ नागरिकता लेने के अयोग्य घोषित कर दिया गया। इसी संशोधन के कारण देश में एनआरसी की जरूरत पड़ी। यह कानून आप भी लाये थे। अब आज कानून क्या लाये हैं यह भी आपको मालूम है। 2015 के संशोधन के द्वारा ओसीआई (ओवरसीज सिटिजन आफ इंडिया), पीओआई परसन आफ इंडियन ओरिजन को स्पष्ट किया गया है कि भारतीय मूल के नागरिक व्यक्ति जो बहुत सालों से विदेश में रह रहे हैं वो यहां आकर नागरिकता ले सकते हैं और एक निवेश के रूप में इन्होंने रखा था। उसके बाद 2016 में एक्ट, 1995 संशोधन के लिए एक बिल लाया गया वह वर्तमान इसी कानून का रूप है क्योंकि वह राज्य सभा में उस समय पारित नहीं हो पाया था तो 2019 का संशोधन बिल अफगानिस्तान, बांगलादेश, पाकिस्तान के हिन्दू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के अवैध प्रवासियों को नागरिकता की पात्रता प्रदान करेगा, लेकिन...

श्री अध्यक्ष: प्लीज माननीय सदस्य, अब इसको रिकार्ड पर रख दें यहां पर।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): मैं जो बताना चाह रहा हूं साहब, कि जो इस कानून में कमियां हैं कि कानून का उल्लंघन करेगा उसको अधिकार दिया गया है कि सुनवाई होगी उसको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा। उसमें यह भी शक्तियां दी गई हैं कि उसको कैन्सिल करके उसको जेल में भी डाला जाएगा तो मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं इस सन्दर्भ में लंबी-चौड़ी बात नहीं है और इसमें 6 धर्म के जो लोग हैं प्रवासियों की नागरिकता से संबंधित दो अतिरिक्त प्रावधानों को इसमें जोड़ा गया है। नागरिकता मिलने के बाद इन लोगों को उस तिथि से भारत का नागरिक माना जाएगा जब उन्होंने भारत में प्रवेश किया था। उनके खिलाफ गैरकानूनी प्रवास नागरिकता से संबंधित यदि कोई कानूनी कार्यवाही चल रही है तो उसको बंद किया जाएगा तो मेरा माननीय अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन है कि अवैध प्रवासियों को नागरिकता का प्रावधान संविधान की छठी अनुसूची में शामिल असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होगा और यह बंगाल ईस्टर्न फ्रंटियर रेगुलेशन, 1873 के अन्तर्गत इनर लाइन में आने वाले क्षेत्रों में भी लागू नहीं होंगे। इनर लाइन परमिट अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, नागालैंड में भारतीय यात्रा को रैगुलेट करता है तो मैं इस कानून के संदर्भ में डिफरेंस जो आया है उसके संदर्भ में चर्चा करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, सब प्रोविजन है। ये तो सारे एक्ट के प्रोविजन हैं आप तो बतायें कि क्या करना है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह जो 6 धर्मों के लोगों को नागरिकता देने के लिए न्यूनतम पांच वर्ष भारत में रहना आवश्यक किया गया है जबकि इसमें मुस्लिम समुदाय के अवैध प्रवासियों के लिए कोई उल्लेख नहीं है और जो कमियां हैं इस कानून में वो तो बिल पास हो चुका है, कानून बन चुका है उसमें तो हम कुछ नहीं कर सकते। हमारी भावना है, हमारी अभिव्यक्ति को हम पेश कर रहे हैं कि देश में जिस प्रकार का वातावरण बना है और आज जिस तरह से जो बात आप कर रहे हैं, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन है उसमें स्पष्ट है कि समानता के अधिकार का आपने उल्लंघन किया है। मूल देश, धर्म, भारत में प्रवेश की तिथि, भारत में निवास स्थान के आधार पर भेदभाव करता है। उत्पीड़न के आधार पर नागरिकता देने में, जो आप बात कर रहे हैं कि वहां पर अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हुआ है तो कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर सब लोगों को जानकारी है ....

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, कल 26 जनवरी है, वाइंडअप करना है, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): पहली बार तो बोल रहा हूं।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, वाइंडअप करना है। माननीय मंत्री जी, प्लीज बात को समझें 26 जनवरी है, लोगों को जाना है। आप प्लीज वाइंडअप करें, प्लीज।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): अब आप बोलने ही नहीं देंगे तो।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक्ट बन चुका है, आप जो बातें कह रहे हो उसमें एक्ट का प्रोविजन है, एक्ट में हो चुका है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं, आप अपनी बात कर रहे हैं। अब एक्ट के प्रोविजन का मतलब भी नहीं है।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहना चाहता हूं जिस प्रकार धार्मिक उत्पीड़न की बात इस कानून में की गई है तो पाकिस्तान में अहमदिया मुसलमान,

(श्री रमेश चन्द मीना)

अफगानिस्तान में हजारा, म्यांमार में रोहिंग्या और श्रीलंका में तमिलों को नागरिकता देने से इस बिल में क्यों बाहर रखा गया।

दूसरा, मेरा निवेदन है कि भारत में प्रवेश की तिथि में प्रवासियों के बीच में क्यों अंतर किया गया। यानी 30 दिसम्बर, 2014 से पहले भारत में दाखिल हुए उसके बाद आखिर भाजपा अपनी सरकार आने के बाद आने वाले लोगों को किस आधार पर छोड़ रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब हो गया।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, दूसरा मेरा निवेदन है कि जिस प्रकार विधायिका कोई कानून बनाती है, कार्यपालिका इतनी निरंकुश नहीं होनी चाहिये, उसके दिशा-निर्देश भी होने चाहिये, इस कानून में उसकी भी कमी है। इनको इतनी शक्तियां दे दी गई हैं कि वह अपनी मनमानी से कानून बनाएंगे और चाहे जिसको जेल में डाल देंगे, चाहे जिसको सीएए के माध्यम से नागरिकता प्रदान करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, धन्यवाद।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): एक मिनट साहब, इसका उदाहरण मैं आपको बता रहा हूं कि...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अब हो गया। माननीय सदस्य, सबको टाइम की लिमिट है। माननीय मंत्री जी, प्लीज टाइम लिमिट है, प्लीज हो गया, प्लीज आप बैठें, धन्यवाद। माननीय गुलाब चन्द जी कटारिया। (व्यवधान) हो गया, कोई बात नहीं हो गया अब।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): हमारी पार्टी का समय है।

श्री अध्यक्ष: बैठिए, बैठिए आप प्लीज। आपने लिखकर नहीं भेजा है, बैठें प्लीज।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): लिखकर दिया है।

श्री अध्यक्ष: मेरे पास नहीं है, बैठें आप प्लीज। कटारिया जी।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, प्लीज मैंने कॉल कर लिया है। आप प्लीज बैठें, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): बैठने में तो कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप प्लीज बैठें, आप प्लीज बैठें। आप मंत्री हैं क्या?

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 5 या 10 मिनट भी नहीं बोलने दिया गया।

श्री अध्यक्ष: माननीय प्लीज बैठें आप, प्लीज बैठें, प्लीज बैठें आप।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): यह कोई बात नहीं है।

श्री अध्यक्ष: प्लीज बैठें आप, प्लीज बैठें आप, अंकित नहीं होगा। माननीय कटारिया जी। प्लीज बैठें आप। माननीय मंत्री जी, आप क्या हैं, अध्यक्ष को गंभीर नहीं मान रहे हैं आप। आप बैठें प्लीज, आप बैठें प्लीज, प्लीज बैठें।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज, माननीय चीफ व्हिप, अपनी पार्टी को समझाएं।

श्री रमेश चन्द मीना (खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): बोलने दो साहब दो मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय, प्रोवोक न करें प्लीज।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, नागरिकता संशोधन विधेयक, 2019 पर मैं सोचता हूं आप और हम सब लोगों को भी इतने साल का अनुभव है कि कुछ कानून बनाने का अधिकार केन्द्र को है, कुछ राज्य को है, कुछ का दोनों की समवर्ती सूची में है। नागरिकता देने का अधिकार अब तक जो मेरी और आपकी समझ है यह केन्द्र सरकार का विषय है। राजस्थान की सरकार न तो नागरिकता दे सकती है, न ले सकती है। तो जो कानून जिसके अधिकार में है, उसने इस कानून को पास कर दिया। मैं सोचता हूं कि लोक सभा में 9 व 11 दिसम्बर के दिन राज्य सभा और लोक सभा में इस कानून को पास किया और इसके पक्ष में लोक सभा में 311 वोट थे और 80 विपक्ष में थे। राज्य सभा में 125 वोट पक्ष में थे और 105 वोट विपक्ष में थे। इसका मतलब कानून की जो पूर्ति करनी है, वह पूर्ति हो गई और 12 तारीख को राष्ट्रपति ने इस पर हस्ताक्षर कर दिये। मैं सोचता हूं अब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

तक आपका और मेरा जो कुछ ज्ञान है क्या इस कानून को हमको चैलेंज करने का अधिकार है। (व्यवधान) अगर है तो संकल्प नहीं लाकर आप यह लाते कि हम इसको राजस्थान में स्वीकार नहीं करेंगे। तब तो मैं जान सकता था कि आपकी चर्चा में कोई दम है। केवल और केवल झेंप मिटाने के लिये और यह जाहिर करने के लिये, अपने भावों को प्रकट करने के लिये आपने इस संकल्प पत्र में मर्जी आये जिस भाषा में इसमें लिख दिया। क्या इस संकल्प पत्र के आधार पर आप अपनी बात कहने के लिये तो कानून बन जाने के बाद भी आप सार्वजनिक स्थान पर अगर इस कानून की आलोचना करना चाहें तो कर सकते हैं, कोई रोकता तो है नहीं। अगर इस फ्लोर का उपयोग जो आपके और हमारे सदन के नेता ने बाहर कहा था मैं इस कानून को राजस्थान में लागू.., मैंने कहा सात पीढ़ी करेगी, आप तो क्या करोगे। कानून को रद्द करना भी, कानून के तरीके से करो तो हो सकता है। उसके लिये तो आपको और हमको दोनों को किसी प्रकार की कोई मनाही नहीं लेकिन इस देश का दुर्भाग्य यह है कि हम सब लोग राजनीतिक नक्शे के आधार पर देश को देखते हैं। भगवान के लिये मेरी प्रार्थना है कि सच्चाई को समझने का प्रयत्न करें और सच्चाई के आधार पर देश को चलाने की व्यवस्था करने का सोचो। केवल और केवल वोटों की गिनती के आधार पर अगर देश चलाओगे, आपका कुछ दिन काम जरूर चल जायेगा पर देश का बंटाधार हो जायेगा। आज के दिन जो इस कानून को लाने की जरूरत पड़ी, वह क्यों जरूरत पड़ी? अगर वास्तव में देश का विभाजन होता ही नहीं और देश के विभाजन के बाद भी पाकिस्तान मुस्लिम राष्ट्र नहीं बनता तो आपको और हमको इस कानून पर चर्चा करने की जरूरत क्या पड़ती। इसका दोषी कौन है? किसके कारण से देश का विभाजन हुआ? महात्मा गांधी ने कहा मेरी लाश पर विभाजन होगा, उसके बाद क्या हो गया था। देश के विभाजन के कारण से ही यह समस्या आज सामने आई या नहीं आई, इस बात को हम अच्छी तरह से समझते हैं और मैं सोचता हूं देश के बंटवारे के समय जिस प्रकार का नरसंहार हुआ और जिस प्रकार से शरणार्थी हिन्दुस्तान के हर गांव और कोने में पहुंचे, क्या आपने और हमने उनकी त्रासदी नहीं देखी। अगर हम जिंदा हैं और अगर उस समय थोड़ी अक्ल रखते थे तो उनके हालात को देखकर हमको इस बात की पीड़ा नहीं हुई। इस पीड़ा को देखते हुए ही आपने देखा होगा कि 1950 में लियाकत और नेहरू जी का पैक्ट हुआ। इसके पहले स्वयं गांधी जी ने 26 सितम्बर, 1947

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को एक सार्वजनिक सभा में कहा था कि इस देश का विभाजन एक बहुत दुःखद घटना है लेकिन फिर भी अगर वहां का कोई भी हिन्दू इस हिन्दुस्तान में आकर अगर शरण लेना चाहेगा तो हम उसे सब प्रकार के अधिकार देने के लिये अपना मन मस्तिष्क रखते हैं ताकि वह अपनी अच्छी जिंदगी गुजार सके। यह उनके भाव थे, आप उन्हीं के चेले हो, हमें तो आप मानते ही नहीं हो। हम गांधी जी की कोई अच्छी बात भी करें तो आपको खराब दिखती है। गांधी जी की उस भावना को इस एक्ट में लाने का प्रयास किया तो आपको उसमें समस्या क्या आ रही है? यह लियाकत नेहरू जो पैक्ट हुआ इस पैक्ट की भाषा में बिलकुल स्पष्ट लिखा था कि जो भी अल्पसंख्यक चाहे हमारे यहां है या वहां पर है, उन अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा होगी और उनके सब प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम को वह ससम्मान कर सकेंगे, यही था पैक्ट। अब इसका हमने पालन किया और उन्होंने इसको रद्दी की टोकरी में डाल दिया और रद्दी की टोकरी में किस दुर्गति से डाला है, हम जो यह बार-बार आपको जनसंख्या गिनाते हैं तो वह कोई हम अपने लिये थोड़े ही गिना रहे हैं, अगर यह पीड़ा आपमें से कोई वहां भुगत कर आता और अपने परिवार की दशा देखकर आता तो यहां भाषण देना बंद हो जाते। उनकी पीड़ा को नहीं समझते हो, जिन लोगों ने अपना घर छोड़ा, कौन पागल आदमी होगा जो अपना घर छोड़कर आयेगा? कौन पागल आदमी होगा जो अपनी पत्नी को पीछे छोड़कर आयेगा? कौन पागल आदमी होगा जो अपने बच्चों को पीछे छोड़कर आयेगा, अपनी सम्पत्ति को छोड़ आयेगा? पागल कुत्ते ने तो नहीं काटा जो यह कर रहा है लेकिन उसकी मजबूरी है। उसकी मजबूरी के कारण से आपने देखा होगा कि जनगणना के आधार पर जो विभाजन हुआ, 1951 की जो जनगणना हुई थी उस समय 23 परसेंट पाकिस्तान में अल्पसंख्यक थे, आज डेढ़ परसेंट हैं। बांग्लादेश में विभाजन के समय 22 परसेंट थे, आज 7 परसेंट हैं और जिस अफगानिस्तान की बात आप कह रहे हो, वहां विभाजन के समय 2 लाख सिख रहते थे, आज केवल और केवल 500 सिख हैं।

क्या ये सब हवा में उड़ गये या जमीन में समा गये या धर्म परिवर्तन हो गया या फिर जिंदा रहने के लिये भाग कर किसी ठौर पर आ गये। इनके अलावा तो कोई रास्ता नहीं था। यही तो रास्ता था, जिस रास्ते से आये हैं। इन हालात को देखने के बाद भी मैं सोचता हूं कि इस कानून में कौनसा बहुत बड़ा तूफान हुआ है। अगर आप वास्तव में नागरिकता संशोधन कानून पर

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

चर्चा करना चाहते हो तो उस लाइन को पढ़कर बता दें, जिस लाइन में से यह बात आती हो कि हम इनको तो नागरिकता देंगे और छीन लेंगे, ऐसा कोई शब्द उसमें हो। केवल उसकी आड़ में इधर-उधर भागने का प्रयास क्यों कर रहे हो? अगर उसमें आगे कहीं आपकी मन की भावना के अनुरूप जाता है, कोई एक्शन होता है तो आप उसका विरोध करें, हमें कोई एतराज नहीं, लेकिन आज आपके और मेरे सामने जो कानून रखा हुआ है, इस कानून में तो यह कहीं भी नहीं है। इसमें उन्होंने केवल दो जगहों पर चेंजेज किया है। मोटे रूप में जिसको परंतुक के रूप में कह सकते हैं। उन्होंने केवल इतना किया कि जहां अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, जहां उसको रहना और अपने धार्मिक कार्यक्रमों को करना...

आप ईमानदारी से बता दें कि पाकिस्तान में जितने मंदिर हम बंटवारे के समय छोड़कर आये थे, आज कितने हैं? कितने मंदिरों में आज की तारीख में गोशालाओं के बूचड़खाने बने हुए हैं, उसे देखकर आप आओ फिर हिन्दुस्तान में कहो कि क्या हुआ? उन्होंने केवल बूचड़खाने बनाकर रखे हैं, इतना अपमान हुआ है। उसके बाद भी केवल वोटों के कारण भागे जा रहे हो। मैं विनम्रतापूर्वक कह रहा हूं कि आपकी तुष्टीकरण की नीति के कारण से आप जो हिन्दुस्तान में पूरब-पश्चिम, उत्तर-दक्षिण में राज करते थे, आपकी इन्हीं गलत नीतियों के कारण आप 44 और 52 पर आये हो। आप फिर विचार कर लेना। हम तो दुबारा रहेंगे या नहीं रहेंगे, यहां आएंगे या नहीं आएंगे लेकिन आप इस बात को याद रख लेना कि जिस तरीके से जिस ढंग से आप इस तुष्टीकरण के आधार पर हिन्दुस्तान को चलाने का प्रयास कर रहे हैं और वोटों के पीछे भाग रहे हैं, हिन्दुस्तान कभी माफ नहीं करेगा।

आप उन बच्चों की पीड़ा को भी समझो, जो यहां इतने सालों से दर-दर की ठोकरें खाकर पड़े हुए हैं, ठिठुर रहे हैं। मकान नहीं मिल सकता है। बच्चे का एडमिशन नहीं हो सकता है। सरकारी अस्पताल में इलाज नहीं हो सकता है। उसको जमीन का टुकड़ा नहीं मिल सकता है, उसको मकान नहीं मिल सकता है, आखिर वह बच्चा इंतजार कर रहा है। वह इतने सालों से अपने दुःखी जीवन को सुखी जीवन में बदलना चाहता है। आप और हमने यह जो 1955 का कानून बनाया, यह इसीलिए तो बनाया था कि इन लोगों को नागरिकता दे दी जाए और नागरिकता देने का प्रयत्न हुआ है, समय-समय पर यह आपके राज में भी हुआ है। क्या यह नागरिकता कानून हमने बनाया है?

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

यह नेहरू जी के समय का बना हुआ कानून है। इसमें आपने समय-समय पर कितने अभियान चलाकर लोगों को नागरिकता दी है? नागरिकता उन्हीं को दी है, जो इस प्रकार से प्रताड़ित होकर यहां आए हैं, उसके आधार पर आपने उनको नागरिकता दी है।

मैं सोचता हूं कि नागरिकता में अब तक जितना हुआ, चाहे बांग्लादेश बना या बंगाल के जो टुकड़े हुए, उस समय जो लोग आये, उनको नागरिकता दी। हमने समय-समय पर नागरिकता देने का काम किया है। 2003 में आपके नेता आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने उस समय अटल जी के राज के समय अपने भाषण में नागरिकता देने की बात नहीं की थी? तब अटल जी ने अमेंडमेंट किया था, उसको आपने स्वीकार किया था। उसके बाद 2004 में आपकी सरकार आ गयी। नरसिम्हाराव जी ने फिर एक साल के लिये अमेंडमेंट किया, वह भी आपको स्वीकार था। मतलब कि जो अमेंडमेंट आप करें, वह तो उचित है। जो अमेंडमेंट हम करें, वह आपको नहीं जंचता है। यह जो कलर का चश्मा है, इसे जनता उतार देगी, याद रख लेना। इस स्वभाव से न चलो, ईमानदारी से सोचो और ईमानदारी से समस्या का समाधान करने का प्रयत्न करो और उन लोगों की पीड़ा को समझो।

इसमें क्या परिवर्तन किया? एक ही परिवर्तन किया, हम पहले भी नागरिकता देते थे, आपने कहा कि हमने चार हजार दी। हमने पिछली बार वसुन्धरा जी के आग्रह से कैम्प लगाकर उन पांच सालों में लगभग 13 हजार लोगों को नागरिकता दी। वे किस तरह से भटकते रहते थे। एक कागज लेने जाये तो दूसरा कागज मंगाते थे। दूसरा कागज लेने जाये, तीसरा मंगाते थे और तीसरा कागज लेकर आ जाये तो चौथा मंगाते थे। उसको बिना परेशान किये नागरिकता नहीं मिलती है। अगर उनको नागरिकता आसानी से मिल जाती कोई समस्या नहीं आती। यह समस्या क्यों आयी? नागरिकता आसानी से नहीं मिलती है। इसमें क्या प्रोविजन किया? केवल इतना ही तो प्रोविजन किया कि ये जो सताये हुए अल्पसंख्यक वहां से छोड़कर यहां आये हैं, उनके पास कोई डाकूमेंट है या नहीं है, लेकिन फिर भी पांच साल की अवधि तो रखी है न। 31 दिसम्बर, 2014 के पहले जो लोग इस हिन्दुस्तान में आ गये हैं और जो इस प्रकार के स्थानों से आये हैं। ये कहते हैं कि ये तीनों ही क्यों किया, हमारी बोर्डर ही इन तीनों से मिलती है, 103 किलोमीटर की जो बोर्डर मिलती है, वह इन्हीं तीनों से मिलती है और किससे मिलती है।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

हमारी जो बोर्डर है, जिनसे लोग छिपे हुए इल्लीगल या मजबूर होकर किसी प्रकार से भारत की सीमा में आ गये, उन लोगों को नागरिकता देने का इसमें मामला है। पहले 11 साल की अवधि थी, अब कानून में 5 साल की अवधि की है। 5 साल की अवधि में भी यह कहा है कि किसी के पास लीगल डाकूमेंट हो या न हो, पासपोर्ट लेकर आया और पासपोर्ट की अवधि समाप्त हो गयी, अवधि बढ़ायी फिर भी अवधि समाप्त हो गयी, फिर भी कोई बात नहीं है, बाकी कोई डाकूमेंट नहीं देखा जाएगा। जो इन तीन जगह से आए हैं, उनका एक डाकूमेंट देखेंगे कि वास्तव में वे 31 दिसम्बर, 2014 के पहले आये हुए हैं। उनको नागरिकता दे दी जाएगी, इसमें कहां दिक्कत आ गयी? आपने देखा होगा नागरिकता देने का अभियान पहले भी हमने शुरू किया था। हमने उन लोगों को कैम्प लगाकर भी नागरिकता दी है। क्या मैं यह पूछ सकता हूं कि इन पिछले पांच सालों में 566 मुसलमान जो कि पाकिस्तान से आये हैं, उनको हिन्दुस्तान ने नागरिकता नहीं दी? दी है न। कानून वही है, कानून में एक जो मोटा तरमीम किया है, वह थोड़ा सा किया है।

आप तो भ्रम फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। आपको इससे विरोध नहीं है। आपके पेट में दर्द हो रहा है और माथा बता रहे हो। आपको क्या दर्द है? आपको दर्द यह है कि आपने जम्मू-कश्मीर की 72 सालों से जो समस्या पाली थी, उसको 48 घंटों में तोड़कर फेंक दिया। एक पत्ता भी नहीं हिला, एक गोली भी नहीं चली तो आपने देखा कि यह क्या हो गया, हम तो इस आधार पर जिंदगी भर अपना धंधा चला रहे थे। वह धंधा एकदम बंद हो गया। हिन्दुस्तान की जनता के टैक्स के 2 लाख 72 हजार करोड़ रुपये लगाकर जिनको पाला, उन्होंने हमारे फौजियों पर पत्थर फेंकना अपना शौक समझा और हिन्दुस्तान के तिरंगे झंडे को जूते के नीचे देकर हमको रगड़कर बताया कि ये है आपका झंडा, यह मजाक थोड़े ही है। इस देश का क्या दुर्भाग्य है। अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, वाह रे। आप देखें, भारत तेरे टुकड़े होंगे, इंशा अल्लाह, इंशा अल्लाह, यह क्या है। (व्यवधान)

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री बैठें। कटारिया जी वाइण्डअप करें। माननीय सदस्य बैठें अंकित नहीं होगा।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं कह रहा था कि हमारी जो सोच है, ऐसे लोगों...

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, बैठकर नहीं बोलेंगे। यह कोई डिबेट का तरीका थोड़े ही है। आप नहीं बोलेंगे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): 000

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): 000

श्री अध्यक्ष: आप बैठकर बोलेंगे? मैं हाउस को बंद कर देता हूं। यह कोई तरीका नहीं है, बिलकुल तरीका नहीं है, आप यहां पर मंत्री हैं। आप बैठिए। मंत्री जी आप बैठिए, अंकित नहीं होगा। आप अध्यक्ष की अवहेलना कर रहे हैं। आप कैसे मंत्री हो? यह कोई तरीका नहीं है। बिलकुल तरीका नहीं है। मैं चला जाता हूं। आप अध्यक्ष को हटाइये। क्या यह कोई तरीका है? मैं बिलकुल अलाउ नहीं करुंगा। यदि मैं अध्यक्ष हूं तो आपको अध्यक्ष की पालना करनी पड़ेगी, नहीं तो अध्यक्ष को बदल दीजिए। यह कोई तरीका नहीं है हाउस चलाने का। एक लीडर बोल रहा है, आप कंसीड नहीं कर रहे हैं। अध्यक्ष खड़े हैं तो भी आप बोल रहे हैं। आप लिस्ट देखते, 10 मिनट मंत्री बोलेंगे, क्या यह मेरा काम है? आपको अध्यक्ष पसंद नहीं है तो अध्यक्ष को बदल दीजिए। मैं जब तक अध्यक्ष के पद पर बैठा हुआ हूं तब तक मैं अध्यक्ष पद की गरिमा को बनाये रखूंगा और मैं किसी को अलाउ नहीं करुंगा। मंत्री महोदय, वाइण्डअप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मेरा यह निवेदन है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि इस प्रकार की जहां कहीं भी एक्टिविटी होती है, हमारा-आपका चाहे हम किसी भी पार्टी में हों, इस प्रकार के लोगों को प्रश्रय नहीं मिलकर उनकी आलोचना होनी चाहिए। परंतु दुर्भाग्य क्या है? दुर्भाग्य यह है कि उनको प्रोटेक्ट करने के लिए जब हमारा नेता जाता है तो हमको दुःख...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठें प्लीज। मेरा काम आपको करना है? माननीय सदस्य मैं नाम लूंगा आपका। माननीय सदस्य, I will name you. कोई जरूरी नहीं है हाउस को चलाना। माननीय सदस्य, आप

(श्री अध्यक्ष)

सदन को नहीं चलाना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं चलाएं। कोई जरूरी नहीं है कि मैं अध्यक्ष पद पर रहूं। मैं अध्यक्ष पद पर जब तक हूं तब तक अध्यक्ष पद की जो गरिमा है, जो नियम है, उनका पालन करवाऊंगा, चाहे मंत्री हो या कोई भी हो। अगर नहीं करना है तो मुझे हटा दें। मुझे कोई तकलीफ नहीं है। हाउस इस तरह से नहीं चलेगा। मैं फिर आपसे निवेदन करना चाहता हूं। मैंने रमेश जी को रोका है। मेरा काम नहीं है। चीफ व्हिप ने टाइम दिया है कि कितना समय देना है। यह मेरा काम है? मंत्री बैठे-बैठे बोलेगा? अध्यक्ष को हटा दीजिए। आप डिक्टेट कीजिए, हाउस कैसे चलेगा? यदि मैं अध्यक्ष हूं तो नियम और कानून से चलेगा। कोई सदस्य बोल रहा है तो जब तक वह बैठे नहीं, आप नहीं बोलेंगे। माननीय कटारिया साहब, मैंने आपको कल कहा साढ़े तीन तक चलाएंगे। आप वाइंड-अप कीजिए जिससे प्रस्ताव को पास करने का निर्णय करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि इसमें एक विषय जो हर व्यक्ति ने उठाने की कोशिश की कि इसमें मुसलमानों को क्यों नहीं लिया? मैं सोचता हूं कि जहां मुस्लिम कंट्री है, वहां से वह प्रताड़ित नहीं हो सकते। इसके बारे में किसी को डाउट है क्या? इसके बारे में भी डाउट है कि वह वहां प्रताड़ित होते हैं। मैं सोचता हूं ... (व्यवधान) अगर प्रताडित हैं तो सारी दुनिया को लोगों को कहें कि इस धर्मशाला में आ जाओ, यह तुम्हारे लिए खुली है। अपने यहां से प्रस्ताव पास करवाकर यह कह दो कि इस धर्मशाला में कोई भी बिना रोक-टोक आ सकता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप बैठिए। आपके लिए दोबारा बोलूंगा। आप दूसरी बार सदस्य हैं। समझना नहीं चाहते। इस सदन की गरिमा को खतम करना चाहते हैं। माननीय कटारिया साहब प्लीज वाइंड-अप करिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, केवल आब्जेक्शन इसी बात का है कि इसमें मुसलमान को अलग क्यों रखा? जब यह लिखा है कि जो प्रताड़ित लोग हैं, प्रताड़ित अल्पसंख्यक नहीं होते तो 23 परसेंट से 1.5 परसेंट क्यो आते? क्या खा गई जमीन? क्या बात करते हैं? कम से कम इतना तो सही सोचा कीजिए। राज और पार्टियां तो आएंगी और चली जाएंगी। मुल्क रहेगा तो आप और हम रहेंगे, नहीं तो तुम्हारे राम जी को लेकर हिन्द महासागर में डूबने की मर्जी हो तो तैयार हो जाओ।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(समय-समाप्ति सूचक घंटी)

दुर्भाग्य है। क्या चाह रहे हैं? एक जमीन का टुकड़ा बचा है। इस जमीन के टुकड़े को भी बर्बाद करने पर तुल गए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारिया जी, आप वाइंड-अप करें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं सोचता हूं कि अभी जिस प्रकार के प्रदर्शन हो रहे हैं। आप सब गांधी के अनुयायी हैं। क्या तूफान हो गया ऐसा? कोई इस कानून को पढ़कर अंडरलाइन तो कर दे कि इसमें किसी कानून के तहत हमने किसी की नागरिकता छीनने का कोई प्रोविजन डाल रखा है। जो हिन्दुस्तान का नागरिक है, वह हिन्दुस्तान का नागरिक ही रहेगा। कहां दिक्कत आ रही है? दिक्कत आ रही है वहां जो आपके मन में भी है और मेरे मन में भी है क्योंकि इस धर्मशाला में कई इस प्रकार के लोग आए कि रोज बम पटकते थे। कभी बस में फटता था, कभी कहीं फटता था। उन लोगों को नागरिकता नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी, नहीं मिलेगी। इसमें कोई दो राय नहीं है। केवल उन लोगों को जो देश को तोड़ने के लिए और देश को बर्बाद करने के लिए यहां घुसपैठिए के नाम से घुसकर इस धर्मशाला का जो मजाक कर रहे हैं, उनको रोकने के लिए इस कानून में यह प्रावधान जान-बूझकर नहीं रखा लेकिन प्रताड़ित लोगों को लाने के लिए, अब कहते हैं कि पूर्वांचल में क्या होगा? **(समय-समाप्ति सूचक घंटी)**

इस कानून में पूर्वांचल में है, जहां इनर लाइन परमिट की व्यवस्था है और जो जनजाति क्षेत्र हैं, उसमें यह कानून लागू नहीं होगा। फिर क्यों भड़का रहे हो? मैं आपसे विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं यह कानून उस पूर्वांचल में नागालैंड से लेकर मिजोरम में, जहां मणिपुर में नहीं था तो उसको भी इन्होंने जोड़ लिया। आसाम को जोड़ रखा है, जनजाति क्षेत्र को जोड़ रखा है। जनजाति क्षेत्र की संस्कृति को बचाने के लिए कानून...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बड़ी विनम्रता के साथ जो केन्द्र ने कानून बनाया है, वह देश हित में है। आज समझ में नहीं आएगा तो पांच साल बाद अगर जिन्दा रहे तो फिर समझा देंगे। उसी के आधार पर हिन्दुस्तान, हिन्दुस्तान रहेगा, नहीं तो आपने देखा हमारी आबादी, हम कितने

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

लिबरल हैं। सबको कितना एडजस्ट करते हैं। साढ़े चार करोड़ की आबादी आज 19 करोड़ पहुंच गई तो भी हमने गले से रखा है। वहां आज घटकर एक परसेंट आ गया तो भी बर्दाश्त करके बैठे हैं या नहीं? उन एक परसेंट लोगों को, उनकी बहिन-बेटियों की इज्जत उनके खड़े-खड़े सामने जा रही है तो वहां क्या मरने के लिए रहेगा? ऐसे लोगों को इंसानियत के नाते, दुनिया में तो बड़े आदर्श की बातें कर रहे हैं कि हिन्दुस्तान में सब आओ, उसको गले लगा लो। गले लगाओ और वही हमारे गले में फांसी लगाए तो क्या उसको गले लगाना उचित रहेगा? मैं सोचता हूं कि यह कानून जिस भावना से और जिस मंशा से लाया गया है, इस देश को ताकतवर बनाकर उन देशद्रोहियों को चुन-चुनकर ठीक करने के लिए निकाला है। इसको स्वीकार कर लो। आज नहीं करोगे, कल करोगे और भगवान ने जिन्दा रखा तो पांच साल बाद आपको बताऊंगा जो 52 हैं, वह 52 भी नहीं रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय संसदीय मंत्री जी।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो संकल्प मेरे द्वारा प्रस्तुत किया गया था सदन के विचारार्थ, उस बाबत नागरिकता अधिनियम, 2019- इस अधिनियम के संशोधन के कारण आज पूरे देश में व्यापक विरोध हुआ है और वह विरोध मामूली विरोध नहीं है। हिंसक विरोध हुआ है, उग्र प्रदर्शन हुए हैं और कई लोगों की मौतें भी हुई हैं। सार्वजनिक सम्पत्ति और निजी सम्पत्तियों को नुकसान भी पहुंचा है। इसके साथ-साथ जीवन तो अस्त-व्यस्त हुआ ही है, सामाजिक सद्भाव भी बिगड़ा है। मैं इस कारण से इस संकल्प को लेकर आया हूं। राजस्थान में भी विरोध प्रदर्शन हुए। लेकिन सरकार की अच्छी व्यवस्था के कारण यहां पर कानून व्यवस्था बनी रही।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठे-बैठे नहीं बोलें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एक निवेदन कर दूं आप जब भी बोलें हमारी तरफ से कोई डिस्टर्बेंस नहीं हुआ, कतई नहीं हुआ। वर्ना आपने जो भाषण दिया था, उसमें मैं पचास बार बोल सकता था आपके खिलाफ। लेकिन मैंने बोला नहीं है। एक शब्द भी नहीं बोला।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, अध्यक्ष की तरफ देखकर आप बोलिए।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, संविधान के धर्मनिरपेक्ष ढाँचे पर आघात पहुंचा है। यह मायने नहीं रखता कि मापदंड क्या होंगे? अगर मापदंड आसान होंगे तो हर कोई एनआरसी में आ जाएगा। लेकिन नतीजा क्या होगा? वही लाइनें लगेगी, वो ही लंबा कागजों का काम होगा, शोषण होगा, गलतियां होंगी और एक गलत रजिस्टर बनाएंगे। गलत रजिस्टर बनाकर भारी मात्रा में धन खर्च होगा और समय खर्च होगा। हमारी उत्पादकता खतम होगी। दूसरी स्थिति यह है कि अगर मापदंड कठिन रहे तो यह इतना डरावना होगा कि वह आदमी कहां से लायेगा डाकूमेंट? जिस अस्पताल में पैदा हुआ, वह अस्पताल ही बंद हो गया। जिस ग्राम अधिकारी ने उसको जन्म पत्र दिया, वह अधिकारी ही मर गया, नतीजा क्या रहेगा? गरीब तो मांगता फिरेगा, इधर-उधर गिड़गिड़ाता रहेगा और असरदार लोग प्रमाण पत्र ले बैठेंगे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य प्लीज। आप सीनियर आदमी है। आप भी वहीं काम कर रहे हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वो उद्देश्य पहचान पत्र नवम्बर, 2009 में आपने चालू किया था, माननीय अटल बिहारी की गवर्नमेंट के टाइम पर। नतीजा क्या निकला? एक पायलट प्रोजेक्ट चालू किया गया जिसके तहत सीमावर्ती जो 13 जिले थे, उनकी 13 तहसीलें चूज की गईं। राजस्थान के जैसलमेर की तहसील भी चूज की गयी। जैसलमेर की तहसील में और जैसलमेर के शहर में कुल मिलाकर पापूलेशन थी उस समय 2 लाख 8 हजार। 6 साल तक मशक्कत चलती रही 31 मार्च, 2009 तक 6 साल लगातार। अध्यक्ष महोदय, नतीजा यह निकला कि 2 लाख 8 हजार आदमियों में से 44 हजार आदमी प्रमाणित नहीं कर पाए क्योंकि डाकूमेंट नहीं मिल पाए। जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल पाया।

दुनिया भर की चीज़ें, जो भी डाकूमेंट मांगे थे, वह नहीं मिल पाए। नतीजा यह निकला, वह फेल हो गया, बंद हो गया। सारा का सारा पायलट प्रोजेक्ट बंद हो गया। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप विराजें। इसीलिए जरूरत नहीं है आपको बताने की।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): जैसलमेर के 334 गांव, जिसमें जैसलमेर का वह भी शामिल

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

था, 449 एलीमेंट्री डाटा महा रजिस्ट्रार को भिजवाया गया। उसने खुद ने यह वर्जन दिया कि 44 हजार आदमी नागरिकता नहीं ले पाए।

मेरा आपसे यही निवेदन है कि इसी तरीके की एनआरसी चलानी है, इसी तरीके से इस अमेंडमेंट को लागू करना है तो राजस्थान में बहुत बड़ी आबादी दस्तावेज के आधार पर, हम राज्य की बात कर रहे हैं, देश की बात नहीं कर रहे हैं, राज्य में भी बहुत बड़ी आबादी नागरिकता प्राप्त नहीं कर पाएगी।

अध्यक्ष महोदय, देश में रह रहे प्रवासियों में से केवल हिन्दू, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध में तो यह नागरिकता दे देगा लेकिन मुसलमानों और यहूदियों को, धर्म के आधार पर यह भेदभाव है और आर्टिकल 14 के विरुद्ध है। कई देशों ने अपने नागरिकों को यह डायरेक्शंस दे दिए कि भारत में मत जाना, वहां पर अशांति है। चारों तरफ उपद्रव ही उपद्रव है। इससे क्या नतीजा निकला, निवेश भी कम हुआ है और विदेशी व्यापार भी कम हुआ है। यह कानून लाखों घरों को बेघर कर देगा। असम में आपने एनआरसी का रिजल्ट देख ही लिया है, 19 लाख में से कितने लाख आदमी हिन्दू निकले। क्या करोगे उनका, कहां ले जाओगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): यह डिस्क्रिमिनेशन है। टोटल डिस्क्रिमिनेशन है। आप यह बताएं यह डिस्क्रिमिनेशन क्यों नहीं है। आपने कहा कि सीमावर्ती हमारे तीन ही थे, अफगानिस्तान था, पाकिस्तान था, क्या आपका भूटान लगा हुआ नहीं है, क्या श्रीलंका लगा हुआ नहीं है, म्यांमार लगा हुआ नहीं है, क्या श्रीलंका में हिन्दू माइनयोरिटी में नहीं है, क्या भूटान में क्रिश्चियन माइनोरिटी में नहीं है, क्या म्यांमार में इंडियन ओरिजन के मुसलमान माइनोरिटी में नहीं है? उनको क्यों नहीं लिया गया, हमें एतराज इस बात पर है। आप बार-बार कहते हो कि हम भ्रम फैला रहे हैं, भ्रम आप फैला रहे हो। (व्यवधान) हमने कभी यह नहीं कहा कि जो बाहर से आए हुए शरणार्थी हैं उन्हें नागरिकता मत दीजिए। हमने दी है। मैं आंकड़े देकर साबित कर सकता हूं। यहां पूर्व आदरणीय मुख्य मंत्री बैठी हुई हैं इनके तीन साल में कितने आदमियों को नागरिकता दी और हमने एक साल में कितने आदमियों को नागरिकता दी, मैं अभी बताता हूं आपको।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

यह किसके लिए, किनको काट रहे हो, कुछ तो सोचो। 1965 में अब्दुल हमीद ने परमवीर चक्र लिया था, उसका तो सोचो। बिस्मिल्लाह खान को सोचो। अमरीका यूनिवर्सिटी का डेलीगेशन बिस्मिल्लाह खान के पास बनारस पहुंचा और उनसे रिक्वेस्ट की कि हम आपका एक कांसर्ट अमरीका में रखना चाहते हैं, उन्होंने अस्वीकार कर दिया। उनसे पूछा गया कि आपके अस्वीकार के क्या कारण हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं तो गंगा के घाट पर शहनाई बजाता हूं, दूसरी जगह कहीं नहीं बजाता। तो कहा गया कि हम विश्वविद्यालय के वहां ऐसा सैट बना देंगे जिसमें आपको गंगा के घाट दिखेंगे, उन्होंने कहा कि गंगा के घाट का सैट तो बना सकते हो लेकिन गंगा प्रवाहित नहीं कर सकते अमरीका की धरती पर। उसको सोचिए जिसने लिखा था, मन तड़पत हरि दर्शन को आज, किसने लिखा था, शकील बदायुंनी ने लिखा था, संगीत नौशाद ने दिया था, रफी ने गाया था, उसको सोचिए। उसको सोचिए जिसने लिखा, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे नाले, आप उनके साथ ... (व्यवधान) बड़े गुलाम अली खान को सोचिए जिसने भजन गाया था हरी ओम तत् सत, हरी ओम तत् सत। आप उन लोगों के साथ यह डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हो। पांच फीसदी आदमियों को आप नागरिकता नहीं दोगे। मान लीजिए आपने 6 करोड़ आदमियों को नागरिकता नहीं दी, यह ब्रिटेन की जनसंख्या के बराबर है, कर दोगे, कर सकोगे? धार्मिक आधार पर धुव्रीकरण करके वोटों की राजनीति तो कर सकते हो। किसी प्रताड़ित, दुःखी व्यक्ति को भारत की नागरिकता देने में कोई एतराज नहीं है। कटारिया साहब, कोई एतराज नहीं है। कोई दुःखी है, जरूर नागरिकता दो, पर यहां के जो दुःखी हैं उनको तो संभाल लो पहले। (व्यवधान)

भारत धर्म निरपेक्ष देश के रूप में विश्व में जाना जाता है। भारत की आज जो इज्जत है वह मोदी की वजह से नहीं है, अमित शाह की वजह से नहीं है, इस देश की विश्व में अगर इज्जत है तो इस बात को लेकर है कि एक कंट्री ऐसी है जिसमें तरह-तरह की जातियां रहती हैं, तरह-तरह की भाषाएं बोली जाती हैं, तरह-तरह की वेशभूषा पहनी जाती है। अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर इस कानून से भारत की छवि को धक्का लगा है। आप माता-पिता का जन्म स्थान पूछना चाहते हो। किसको पता है, आपको पता है आपके माता-पिता का? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्लीज।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): कितने आदमी हैं जिनको पता है माता-पिता का जन्म स्थान। गांव में जाकर पूछो कितने आदमी हैं जिनको माता-पिता के जन्म स्थान का पता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं बोलेंगे।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप भी मेवाड़ के हो, मेरा परिवार भी मेवाड़ से कोटा आया है। मुझे मेरे पिताजी का किस्सा मालूम है, जब मेरी दादी गर्भवती थी, मेरे पिताजी का जन्म होने वाला था, जन्म भीलवाड़ा से कोटा आते वक्त एक खेत में हुआ था, कौनसा स्थान लिखें, बताइये कौनसा स्थान लिखें? (व्यवधान) इन करोड़ों लोगों की पहचान करके केन्द्र सरकार की प्राथमिकता, आपकी प्राथमिकता है कि इन लोगों को चुन-चुनकर तलाश करो। प्राथमिकता रखो अर्थव्यवस्था को बढ़ाने की। हम कैसे पांच फीसदी अर्थव्यवस्था बढ़ा सकते हैं, आज उस पर काम करने की आवश्यकता है। यदि किसी प्रदेश की सरकार ने, मैं आपसे बात कहता हूं, आप कहते हो क्यों खिलाफत कर रहे हो। बात वहां अभिव्यक्ति की आती है, अभिव्यक्ति का नाम लेते ही आप लोगों के मुंह सुट्ट हो जाते हैं। (व्यवधान) ऐसे फंसे पड़े हैं।

किसी भी प्रदेश की सरकार को किसी भी फ़ैसले के खिलाफ, केन्द्र सरकार के किसी भी फ़ैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जाने का हक है। सरकार को छोड़ो, एक छोटे से छोटे नागरिक को भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने का पूरा अधिकार है। मैं चुनौती के साथ ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): संविधान के अनुसार चुनौती देने का अधिकार हर नागरिक को है। हमारी मांग क्या है, हमारी मांग यही है कि चुनौती पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय होने तक इस पर क्रियान्वयन नहीं करने का मतलब राज्य का केन्द्र सरकार से असहयोग करना नहीं है। इसीलिए मैं कहता हूं कि भ्रांति आप फैला रहे हो। हम असहयोग की बात नहीं कर रहे हैं, हम यह कह रहे हैं कि इस पर पुनर्विचार करिए। इसको रिपील करिए। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जब तक नहीं आ जाए, तब तक चुपचाप बैठे रहिए।

कांग्रेस ने शरणार्थियों को नागरिकता देने का कभी विरोध नहीं किया।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

लेकिन चुनिन्दा आदेशों पर और वह भी धर्म आधारित शरणार्थियों को, धार्मिक आधार पर नागरिकता देने का हम विरोध करते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमने राजतंत्र भी देखा, प्रजातंत्र देख रहे हैं और यह अब हमें संघ तंत्र दिखाना चाहते हैं। ताज्जुब की बात है, एक्ट बना दिया, चारों तरफ हल्ला कर दिया। आपने इस एक्ट के नियम बनाए? अध्यक्ष महोदय, नियम इसलिए बनाए कि यह नियम बनाते तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो जाता और यह असंवैधानिक घोषित हो जाता।

अध्यक्ष महोदय, जिस सैक्शन दो के लिए आपने कहा कि सैक्शन दो में इल्लीगल इमिग्रेंट्स को परिभाषित किया गया है। जिसके पास वैध डाकूमेंट नहीं है, इसी पर तो झगड़ा है। झगड़ा क्या है, बात क्या है। आप यह बतायें, आपने हमसे पूछा, जैसे जन्म स्थान, अब यह बता दें आप कि खानाबदोश आदमी अपना क्या जन्म स्थान लिखेगा, घुमंतू क्या लिखेगा, अर्द्ध घुमंतू क्या लिखेगा। ये क्यों पूछ रहे हो। तीन बार आपने बदल-बदल करके, तीन बार बदले हैं, 2010 में बदल दिया, 2015 में बदल दिया, 2020 में फिर बदल दिया और अंधाधुंध लिख दिया। पिछला निवास स्थान, यदि जन्म से वर्तमान निवास स्थान पर नहीं रह रहा हो तो। पिछला निवास स्थान हमें मालूम नहीं, बच्चे हैं, एक साल का बच्चा ले करके मां-बाप कहीं जाते हैं, उनको यही मालूम नहीं कि वह कहां जन्मा था, कहां नहीं जन्मा था।

प्रोविजो में जो आपने डाला है, हमारा मुख्य विरोध किस बात का है। हम क्यों इसको रिपील करवाना चाहते हैं, हम क्यों चाहते हैं कि केन्द्र सरकार इस एक्ट को वापस ले। मोटी बात यह है कि धर्म के आधार पर आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। क्यों नहीं आपने इसमें मुस्लिम्स को रखा, क्यों नहीं आपने यहूदियों को रखा, क्यों नहीं आपने म्यांमार को शामिल किया, क्यों नहीं आपने श्रीलंका के माइनोरिटी वालों को लिया, क्यों नहीं आपने भूटान के क्रिश्चंस को लिया, क्यों नहीं लिया, क्या वजह थी उसकी? हमारा विरोध तो इस बात का है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): क्योंकि संविधान का प्रिएम्बल क्या कहता है, यह आप अच्छी

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

तरह से जानते हो, उसके बावजूद भी आपने शरारती तरीके से इसको लाने की कोशिश की है।

आप इनको अलग-अलग नहीं कर सकते हैं। तीनों, सिटीजन्स अमेंडमेंट एक्ट, एन.पी.आर. और एन.आर.सी. ये तीनों आपस में जुड़े हुए हैं। आप अलग-अलग करके भ्रमित मत करें, नहीं हूं। जनता अच्छी तरीके से जानती है कि आपके मन में क्या है, आपका इरादा क्या है। दुनिया का हर आदमी जानता है आपको कि आपके इरादे क्या हैं। क्योंकि आप वही तो लोग हो, जो कभी लव-जिहाद, कभी तीन तलाक, इस तरीके की बातें करने वाले आप ही लोग हो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं। मैं आपको वे आंकड़े बता रहा था।

अध्यक्ष महोदय, 2016 से ले करके 2018 तक कुल मिला करके आपको केन्द्र सरकार ने जो पावर डेलिगेट की थी कलेक्टर को नागरिकता देने के लिये, उसमें तीन साल में आपने सिर्फ 577 आदमियों को नागरिकता दी और हमने 2019 में, एक साल के अन्दर-अन्दर 1200 आदमियों को नागरिकता दी है। ये आंकड़े मेरे नहीं हैं। ये आप ही की सरकार के छापे हुए आंकड़े हैं 557 के तो, और 1200 हमने इस बार दिये। तो मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस कानून को लाने की कोई आवश्यकता ही नहीं थी।

देशभर में इसको ले करके व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। उन प्रदर्शनों से आप घबरा भी रहे हो। अंदर ही अंदर तो फूट रहे हो। अभी पूनियां साहब ने कहा था कि आप तो क्या, आपके फूफा भी इसको लागू करेंगे। हमारे फूफा तो चले गये, वैसे ही यह एक्ट भी चला जायेगा ऊपर। पूनियां साहब, न फूफा दिखेगा, न यह एक्ट दिखेगा। देशभर में इसको ले करके व्यापक प्रदर्शन हुए हैं। देश के नागरिकों में भय का वातावरण है, डर बैठा हुआ है। लोगों के दिल और दिमाग में डर बैठा हुआ है। जब हम इस नागरिकता के दस्तावेज मांगने जाएंगे तो हम बताएंगे क्या। किसके पास है नागरिकता का, क्या सबूत है किसके पास। आधार था, मोबाइल नम्बर था, यह तो मांग चुके पहले ही। यह अमेंडमेंट करने की क्या जरूरत आ रही थी।

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं यह प्रस्ताव करता हूं कि जो संकल्प सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उसको स्वीकार किया जाए।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

जो पक्ष में हों, वे हां कहें।

अनेक माननीय सदस्य: हां।

श्री अध्यक्ष: जो विपक्ष में हों, वे न कहें।

अनेक माननीय सदस्य: नो।

श्री अध्यक्ष: फिर दुबारा पूछ रहा हूं मैं।

प्रश्न यह है कि संसदीय कार्य मंत्री द्वारा प्रस्तुत संकल्प पारित किया जाए?

(स्वीकृत)

संकल्प पारित किया गया।

सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 10 फरवरी, 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिये स्थगित की जाती है।

(तदनंतर सदन की बैठक 15.55 बजे सोमवार, दिनांक 10 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिये स्थगित हुई)